

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)
2019 का प्रतिवेदन सं. 11

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

**संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर-माल एवं सेवा कर)
2019 की प्रतिवेदन सं. 11**

_____ को लोकसभा/राज्य सभा के पटल पर रखी गई

विषय सूची

| विषय | पृष्ठ |
|---|---------------|
| प्राक्कथन | i |
| कार्यकारी सार | iii |
| अध्याय I : माल एवं सेवाकर (जीएसटी) का कार्यान्वयन | 1-30 |
| 1.1 जीएसटी की पृष्ठभूमि | 1 |
| 1.2 जीएसटी की अवधारणा | 1 |
| 1.3 प्रमुख विधान | 3 |
| 1.4 जीएसटी के नए घटक | 4 |
| 1.5 केंद्रीय प्रशासनिक संरचना | 8 |
| 1.6 जीएसटी के उद्देश्य | 9 |
| अध्याय II : राजस्व और विवरणी दाखिला की प्रवृत्ति | 31-48 |
| 2.1 राजस्व प्रवृत्ति | 31 |
| 2.2 जीएसटी पंजीकरण | 38 |
| 2.3 जीएसटी विवरणी दाखिला करने का तरीका | 40 |
| 2.4 निष्कर्ष | 47 |
| अध्याय III : जीएसटी आईटी परियोजना का नियोजन और कार्यान्वयन | 49-111 |
| 3.1 प्रस्तावना | 49 |
| 3.2 जीएसटीएन का संगठनात्मक ढांचा | 50 |
| 3.3 जीएसटी आईटी परियोजना के कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि | 50 |
| 3.4 जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा | 52 |
| 3.5 आईटी लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विहंगावलोकन | 55 |
| 3.6 प्रस्तावना | 56 |
| 3.7 कंपोजिशन लेवी योजना (सीएलएस) का लाभ लेने के लिए अयोग्य करदाताओं को वैध और वंचित करने में विफलता | 57 |
| 3.8 अन्य श्रेणियों के करदाताओं से संबंधित मुद्दे | 63 |

| | विषय | पृष्ठ |
|------|---|-------|
| 3.9 | पंजीकरण मॉड्यूल के उपयोगकर्ता की अनुकूलता को प्रभावित करने वाले मुद्दे | 67 |
| 3.10 | स्वीकार किये गये निष्कर्ष और सुधारात्मक कार्रवाई की गई या शुरू की गई | 70 |
| 3.11 | पंजीकृत मॉड्यूल पर निष्कर्ष | 71 |
| 3.12 | प्रस्तावना | 72 |
| 3.13 | ईसीएल के अद्यतन में कमियाँ | 74 |
| 3.14 | बैंकों की सेवा आवश्यकताओं का कार्यान्वयन न होना | 76 |
| 3.15 | लेखा अधिकारियों के साथ सामंजस्य न होना | 78 |
| 3.16 | जहां भुगतान विवरण चालान की समाप्ति के बाद प्राप्त हुए थे वहां भुगतान की स्वीकृति न होना | 78 |
| 3.17 | मिलान फ़ाइलों में प्रणाली स्तर नियंत्रण का अभाव | 79 |
| 3.18 | जीएसटी आईटी प्रणाली में डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान प्रदान नहीं किए गए | 80 |
| 3.19 | संदेशों के प्रदर्शन का लेन-देन की वास्तविक स्थिति के साथ तालमेल नहीं था | 80 |
| 3.20 | भुगतान मॉड्यूल के निष्कर्ष | 81 |
| 3.21 | आईजीएसटी निपटान के लिए प्रावधान | 82 |
| 3.22 | अधूरे आईजीएसटी निपटान | 85 |
| 3.23 | प्रतिलिपि अभिलेख | 89 |
| 3.24 | आईजीएसटी निपटान में गलत संगणना | 90 |
| 3.25 | निपटान प्रतिवेदनों में गलत प्रविष्टियां | 92 |
| 3.26 | आईजीएसटी के आईटीसी में अवास्तविक दावे | 97 |
| 3.27 | आईजीएसटी निपटान रिपोर्ट का निष्कर्ष | 99 |
| 3.28 | व्यापार निरन्तरता | 99 |
| 3.29 | परिवर्तन प्रबंधन | 103 |

| विषय | पृष्ठ |
|--|----------------|
| 3.30 व्यवसाय निरंतरता तथा परिवर्तन प्रबंधन पर निष्कर्ष | 108 |
| 3.31 संक्षिप्त आईटी लेखापरीक्षा निष्कर्ष | 108 |
| अध्याय IV : जीएसटी की अनुपालन लेखापरीक्षा | 113-147 |
| 4.1 डेटा के अभिगम में कमी | 113 |
| 4.2 लेखापरीक्षा जांच | 114 |
| 4.3 प्रस्तावना | 114 |
| 4.4 संक्रमणकालीन क्रेडिट हेतु प्रावधान | 115 |
| 4.5 संक्रमणकालीन क्रेडिटों की पुष्टि हेतु सीबीआईसी विनिर्देश | 118 |
| 4.6 संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों के सत्यापन हेतु आईटी का प्रभाव | 119 |
| 4.7 संक्रमणकालीन क्रेडिटों की लेखापरीक्षा | 120 |
| 4.8 कंपोजिशन योजना में अनियमित पंजीकरण | 135 |
| 4.9 अधिनिर्णय संबंधी कर अधिकारियों के लिए करदाताओं का आवंटन एवं मैपिंग | 137 |
| 4.10 प्रतिदाय के दावों की लेखापरीक्षा का विहंगावलोकन | 140 |
| 4.11 प्रतिदाय के प्रावधानों का अननुपालन | 141 |
| 4.12 निष्कर्ष | 145 |
| परिशिष्ट-I | 149 |
| परिशिष्ट-II | 150 |
| परिशिष्ट-III | 153 |
| परिशिष्ट-IV | 156 |
| परिशिष्ट-V | 158 |
| परिशिष्ट-VI | 160 |
| परिशिष्ट-VII | 162 |
| शब्दावली | 163 |

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

कर सुधार का परिमाण जो जीएसटी में है, अधिक नहीं बताया जा सकता। प्रतिवेदन में अन्यत्र यह टिप्पणियां दी गई हैं कि व्यवसायों सहित सभी हितधारकों के प्रयास इस प्रणाली के पारगमन में प्रशंसनीय हैं। कि ऐसे एक प्रमुख पारगमन में प्रारंभिक कठिनाईयां होगी यह भी अप्रत्याशित नहीं है। अतः वे मुद्दे जो रह गये हैं और जिन्हें इस प्रतिवेदन में बताया गया है उनको हितधारकों द्वारा कमी निकालने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अन्तर/कमियां इस प्रमुख सुधार की पूरी क्षमता को साकार रूप देने के लिए रचनात्मक सुधारों के भाव से बताई गई है। प्रतिवेदन में उठाए गए मुद्दे सुधार के भाव के संगत हैं: कर के ऊपर कर के भार से उपभोक्ता को राहत प्रदान करना; जहां तक संभव हो प्रणाली को सरल बनाना; करदाताओं को एक आईटी आधारित प्रणाली उपलब्ध कराना जो अनुपालन भार में कमी करेगी; और व्यवसाय करने में भी सुविधा प्रदान करेगी; और इस परिप्रेक्ष्य में कर अधिकारी-करदाता प्रसंग में बिलकुल निम्नतम तक कमी करना।

कर के भुगतान और निपटान की प्रणाली जो जीएसटी के लिए परिकल्पित थी, वह एक सौ प्रतिशत बीजक-मिलान पर आधारित थी और इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाने और आईजीएसटी का निपटान भी बीजक मिलान पर आधारित था। दोनों में से अभी तक कुछ भी संभव नहीं है चूंकि बीजक मिलान प्रणाली को शुरू नहीं किया गया है। इस प्रतिवेदन में बीजक मिलान की महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में पहचान की गयी है जिससे इस प्रमुख कर सुधार के पूरे लाभ प्राप्त होंगे। यह केन्द्र और राज्य दोनों के कर राजस्व की रक्षा करेगा, यह आईजीएसटी के उचित निपटान की ओर अग्रसर करेगा, भले ही समाप्त न करे, परन्तु कर अधिकारी-करदाता प्रसंग में कमी लाएगा। वास्तव में मानवीय प्रणाली में समझा जाने वाला 'निर्धारण' भी आगे आवश्यक नहीं होगा (विवरणियां स्वयं ही एक ऐसी प्रणाली से तैयार की जा सकती हैं जो बीजकों का मिलान करती हों) और अपवंचन आदि के मामलों को, विशाल डेटा, जो करोड़ों बीजकों से उत्पन्न होता है, का विश्लेषणात्मक उपकरणों और आरटीफिशियल इंटेलिजेंस लागू कर के पता लगाया जा सकता है।

कार्यकारी सार

अध्याय 1 : माल एवं सेवाकर (जीएसटी) का कार्यान्वयन

- जीएसटी को कर व्यापक को कम करने, वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु समान बाजार संचालित करने और इन्हें सरलीकृत, स्व-विनियमन और गैर-अंतर्वेधी कर अनुपालन क्षेत्र में लाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था।

(पैराग्राफ 1.6)

- जीएसटी को लागू करना कुछ वस्तुओं/क्षेत्रों को छोड़ते हुए बहु केंद्रीय एवं राज्य करों की एकरूपता और समस्त मूल्य श्रृंखला में इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) की उपलब्धता के संबंध में सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है। कर दरों की बहुलता को भी काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है। करदाताओं के लिए एकल आईटी आधारित इंटरफेस लागू करने का उद्देश्य भी काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया है।

(पैराग्राफ 1.6.2)

- एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें जीएसटी पूरी क्षमता से लागू नहीं किया जा सका वह सरलीकृत कर अनुपालन क्षेत्र है।
 - जीएसटी लागू किये जाने के दो वर्ष बाद भी, “बीजक मिलान” के माध्यम से प्रणाली द्वारा मान्य कर क्रेडिट यथावत् नहीं था और गैर-अंतर्वेधी ई-कर प्रणाली भी भ्रामक थी।
 - विवरणी तंत्र की जटिलता और तकनीकी गड़बड़ी के कारण बीजक मिलान को वापिस लेना पड़ा, जिसके परिणामतः प्रणाली में आईटीसी धोखाधड़ी संभावित हो गई। जीएसटी प्रणाली की कमियां कार्यकारी तथा विकसितकर्ता के बीच समन्वय के गंभीर अभाव को दर्शाती है।

(पैराग्राफ 1.6.2)

अध्याय II : राजस्व और रिटर्न फाइलिंग रुझान

राजस्व विश्लेषण

- अप्रत्यक्ष कर की वृद्धि 2016-17 से 2017-18 से 5.80 प्रतिशत कम हो गई थी जबकि यह वृद्धि दर 2016-17 में 21.33 प्रतिशत थी।

(पैराग्राफ 2.1.1)

- 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने वित्त आयोग के फार्मूले के अनुसार राज्यों को वर्ष के अन्त में आईजीएसटी विचलन का सहारा लिया, जो भारत के संविधान और आईजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। इससे राज्यों को निधियों के वितरण का प्रभाव भी पड़ता है जो “प्लेस ऑफ सप्लाई” की अवधारणा के बजाय पूरी तरह से अलग आधार पर है जैसाकि आईजीएसटी अधिनियम में परिकल्पित है।

(पैराग्राफ 2.1.3)

- जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, वस्तुओं और सेवाओं (पेट्रोलियम और तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बिना) पर केन्द्र के राजस्व में 2016-17 में शामिल करों के राजस्व की तुलना में 2017-18 में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

(पैराग्राफ 2.1.4)

- 2017-18 के दौरान लोक लेखा से जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के ₹ 6,466 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ।

(पैराग्राफ 2.1.5)

विवरणी दाखिल करना

- जबकि यह उम्मीद थी कि जैसे ही प्रणाली स्थिर होगी अनुपालन में सुधार होगा, अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 तक दाखिल किए जा रही सभी विवरणीयां में गिरावट दर्ज की गई
- जीएसटीआर-1 की विवरणी का दाखिला प्रतिशतता जीएसटीआर-3बी विवरणी के अनुरूप दाखिलों की तुलना में हमेशा से कम थी। जीएसटीआर-3बी आरंभ करने के परिणामस्वरूप आईटीसी दावो के साथ

विविधता का दाखिला हुआ जिसे सत्यापित किया जा सकता था तथा यह समान जीएसटीआर-1 के दाखिलों का हतोत्साहन प्रतीत होता है। चूंकि जीएसटीआर-1 का दाखिला अनिवार्य है अतः कम-दाखिला चिंता का विषय है तथा इसका समाधान करने की आवश्यकता है।

- जीएसटीआर-3बी केवल एक सारांश विवरणी है, जीएसटीआर-1 के कम-दाखिला का अर्थ है कि कर विभागों के पास आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल किए गए बीजक स्तर का पूरा विवरण नहीं है, जिसका उपयोग जीएसटीआर-3बी में दिए गए विवरणों को सत्यापित करने या टर्नओवर तक पहुँचने के लिए किया जा सकता है।

(पैराग्राफ 2.3.1)

अध्याय III : जीएसटीएन का आईटी ऑडिट

16 मामलों में, मुख्य वैधता/कार्यात्मकता लागू मॉड्यूलों में मौजूदा रूप में कानूनी प्रावधानों के साथ संरेखित नहीं पाई गयी थी। इन 16 मामलों में, आवश्यक वैधता सात मामले में एसआरएस में शामिल नहीं की गई थी, वैधता अन्तर्निहित नहीं थी यद्यपि एसआरएस को आठ मामलों में उचित ढंग से तैयार किया गया था और एसआरएस प्रावधान में शामिल एक शर्त एक मामले में अधिनियम में निर्धारित नहीं था।

(पैराग्राफ 3.5)

पंजीकरण मॉड्यूल

प्रणाली वैधीकरण को जीएसटी पंजीकरण मॉड्यूल में हुए जीएसटी अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों के साथ संरेखण नहीं किया गया था जिससे निम्नलिखित महत्वपूर्ण अन्तराल छूट गये:-

- संयुक्त उद्ग्रहण योजना का लाभ उठाने में अयोग्य करदाताओं को मान्य तथा निषेध करने में प्रणाली विफल रही।

(पैराग्राफ 3.7.2)

- अनिवार्य क्षेत्रों को वैकल्पिक या जंक मूल्यों को स्वीकार करते हुए पाया गया था।

(पैराग्राफ 3.8.1)

- टीडीएस पंजीकरण को अमान्य श्रेणी के तहत अनुमति दी गई थी।

(पैराग्राफ 3.8.3)

- सीबीडीटी तथा एमसीए डेटाबेस के साथ पंजीकरण (कानूनी नाम, व्यवसाय का प्रकार और सीआईएन) में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की मान्यता का अभाव।

(पैराग्राफ 3.10.2)

भुगतान मॉड्यूल

भुगतान मॉड्यूल 1 जुलाई 2017 से परिचालन में होने के बावजूद निम्नलिखित परिचालनात्मक कमियों से भरा हुआ था; जैसे

- करदाता द्वारा कर के सफल भुगतान के बाद भी ईसीएल को अद्यतित करने में विलम्ब।

(पैराग्राफ 3.13.1)

- बैंकों के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा आवश्यकताओं पर आश्वासन का अभाव।

(पैराग्राफ 3.14)

- जीएसटी प्राप्तियों के समेकन में समस्याएं।

(पैराग्राफ 3.15)

- सीपीआईएन की समाप्ति से पूर्व आरंभ किए गए भुगतान परन्तु सीआईएन को सीपीआईएन की समाप्ति के पश्चात् सृजित किया गया तथा करदाताओं को संदेशों के गलत प्रदर्शन जैसे मामलों का निपटान तब तक नहीं किया गया जब तक कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया नहीं गया।

(पैराग्राफ 3.16)

- डेबिट/क्रेडिट कार्डों के माध्यम से भुगतान की सुविधा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका क्योंकि मंत्रालय ने इसका निर्णय नहीं किया कि वित्तीय प्रभावों से कैसे निपटा जाए।

(पैराग्राफ 3.18)

बैंकों और जीएसटी पोर्टल के आईटी अनुप्रयोगों के मध्य स्वचालित इंटरफेस के साथ प्रणाली में, अमान्य जीएसटीआईएन और सीपीआईएन की समाप्ति के रूप में ऐसी त्रुटियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

(पैराग्राफ 3.15)

आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदन

सभी आईजीएसटी निपटान बही खाते को तदनुसूची जीएसटी मॉड्यूलों अर्थात् आयात और अपीलों का क्रियान्वयन न करने के कारण सृजित नहीं किया जा रहा था। निपटान एल्गोरिथ्म में अशुद्धियों के साथ युग्मित तथा प्रतिदाय हेतु आवश्यक सभी सूचना का पता लगाने में जीएसटीआर-3बी विवरणी को सीमित करने से केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों के लिए निधियों के निपटान पर असर पड़ा।

- आईजीएसटी शेष के ₹ 2,11,688 करोड़ हेतु आंशिक रूप से उत्तरदायी अपूर्ण आईजीएसटी बही खाते 2017-18 के दौरान निपटाये नहीं गये थे।

(पैराग्राफ 3.22)

- 5 निपटान बही खाते में 6748 मामलों में प्रतिलिपि रिकॉर्ड भी पाये गये थे जिसके कारण जुलाई 2017 से जुलाई 2018 की अवधि हेतु आईजीएसटी निधियों से ₹ 416.07 करोड़ का गलत निपटान किया गया।

(पैराग्राफ 3.23)

- करदाताओं की गलत श्रेणी से एल्गोरिथ्म के द्वारा गलत प्रविष्टियां लेने के कारण गलत प्रविष्टियां हुईं जिसके कारण जुलाई 2017 से

जुलाई 2018 की अवधि के दौरान ₹ 359.46 करोड़ की राशि के आईजीएसटी के गलत निपटान के ब्यौरे देखे।

(पैराग्राफ 3.25)

- एक करदाता का अवास्तविक त्रुटिपूर्ण आरटीसी दावा जो उस महीने में सभी करदाताओं के आरटीसी दावों का 79 प्रतिशत था। प्रणाली द्वारा स्वीकृत किया गया जो कपटपूर्ण आईटीसी दावों के प्रति प्रणाली की कमजोरी को उजागर करते हैं।

(पैराग्राफ 3.26)

प्रणाली की रूपरेखा में कमी

- लेखांकन प्राधिकारियों के साथ साझा की गई फाइलों में चेकसम या अभिलेख स्तर के योग जैसा कोई नियंत्रण योग नहीं था।

(पैराग्राफ 3.17)

- आईजीएसटी मॉड्यूल में गलत प्रतिवेदन से प्रविष्टियां लेने में आईजीएसटी एल्गोरिथ्म को दोषपूर्ण पाया गया।

(पैराग्राफ 3.25)

- टर्नओवर, परिवर्तन संभावित जैसे क्षेत्र को विन्यास योग्य नहीं बनाया गया था।

(पैराग्राफ 3.7.1)

- जब संयुक्त उदग्रहण प्रणाली के लिए निर्धारित कारोबार की सीमा को पार किया गया था तब कोई चेतावनी जारी नहीं की गई।

(पैराग्राफ 3.7.1)

व्यवसाय निरंतरता एवं बदलाव प्रबंधन

व्यवसाय निरंतरता नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया तथा केवल आपदा राहत योजना स्थापित की गई थी।

(पैराग्राफ 3.28.1)

जीएसटीएन सूचित सुधारात्मक कार्रवाई के पश्चात् भी निपटान नहीं किया गया जो लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कुछ कमियों के साथ युग्मित परिवर्तन प्रबंधन के लिए प्रणालीगत अभिगम के अभाव ने जीएसटी पोर्टल पर चल रहे अनुप्रयोग में विद्यमान महत्वपूर्ण जोखिमों को दर्शाता है।

(पैराग्राफ 3.29)

आईटी लेखापरीक्षा के जांच परिणाम:

यह स्वीकार करते हुए कि जीएसटी विकासाधीन एक नई प्रणाली है तथ्य यह है कि इसके परिणाम और अखिल भारतीय प्रभाव को देखते हुए, यह सबसे आवश्यक है कि इसके लागू होने से पहले विकास और प्रणाली के परीक्षण में उचित सावधानी रखी जाए। व्यापार नियमों को उचित प्रकार से मैप करने में विफलता और लागू प्रणाली में मुख्य वैधताओं के अभाव जीएसटीएन के कार्य में अपर्याप्तता को इंगित करता है।

आईटी लेखापरीक्षा में उजागर मुद्दों ने जीएसटीएन के लिए विभिन्न कार्यात्मकताओं के विकास की प्राथमिकता की पुनः जांच करने, उनके मूल कारण विश्लेषण और परीक्षण प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता को इंगित किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक रूप से लागू होने से पहले अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाया और उनमें सुधार किया गया है। यूएटी/एसआरएस साईन ऑफ में कार्यकारी की भागीदारी को पुनः जांच करने की आवश्यकता है।

अपूर्ण आईजीएसटी एल्गोरिथ्म के कारण आईजीएसटी बकाया के संचयन की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये ताकि राज्यों को आगामी विभाजन के प्रति समायोजित होने के लिए निपटान न किए गए आईजीएसटी के तदर्थ विभाजन की सहायता लेने की आवश्यकता को कम किया जा सके।

(पैराग्राफ 3.31)

अध्याय IV : जीएसटी की अनुपालन लेखापरीक्षा

- अखिल भारतीय डेटा तक अधिगम सार्थक लेखापरीक्षा हेतु और राजस्व प्राप्तियों को प्रमाणित करने हेतु जरूरी अपेक्षित आश्वासन

प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण है। सीएजी के संगठन को वर्तमान तिथि तक जीएसटी डेटा तक अधिगम नहीं दिया गया है।

- जीएसटी डेटा तक अभीगम के अभाव में, इस अध्याय में अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष क्षेत्र में किए गए सीमित लेखापरीक्षाओं पर आधारित थे। हालांकि, इस सीमित लेखापरीक्षा में भी सामने लाए गए मुद्दों का विस्तार, गंभीर प्रणालीगत कमियों के विषय में बताता है जिनका विभाग द्वारा पता लगाना आवश्यक है।

(पैराग्राफ 4.1)

- संक्रमणकालीन क्रेडिट पर किए गए लेखापरीक्षा के कुछ निष्कर्षों से पता चला कि अस्वीकृत क्रेडिट का पता लगाने और इसे अस्वीकृत करने के लिए एसीईएस में उपलब्ध डेटा/रैड फ्लैग का लाभ नहीं लिया गया।

(पैराग्राफ 4.7)

- अधिनिर्णय संबंधी अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की संवीक्षा के अधीन नहीं लिये जाने के कारण पंजीकृत करदाताओं का गैर-आवंटन अथवा गलत मैपिंग ने ऐसे मामलों में विवरणियां दाखिल करने/विवरणियां दाखिल नहीं करने के जोखिम को आगे बढ़ाया। अत्यधिक सघन वातावरण में , आईटी प्रणाली द्वारा उत्पन्न हुई समस्याओं को रैज कार्यालयों द्वारा स्वयं ले जाया गया।

(पैराग्राफ 4.9.2)

- प्रतिदायों से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन के उदाहरणों ने स्वचालन पूर्ण होने तक प्रतिदाय की मानवीय प्रसंस्करण की निगरानी हेतु प्रणाली में सुधार के अलावा उपयुक्त जांच और पुष्टि के साथ प्रतिदाय प्रसंस्करण के स्वचालन की आवश्यकता को इंगित किया।

(पैराग्राफ 4.11)

कर के भुगतान और निपटान की प्रणाली जो जीएसटी के लिए परिकल्पित थी, वह एक सौ प्रतिशत बीजक-मिलान और इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाने साथ ही बीजक मिलान के आधार पर आईजीएसटी के निपटान पर आधारित

थी। दोनों में से अभी तक कुछ भी संभव नहीं है चूंकि बीजक मिलान प्रणाली को शुरू नहीं किया गया है। इस प्रतिवेदन में बीजक मिलान की महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में पहचान की गयी है जिससे इस प्रमुख कर सुधार के पूरे लाभ प्राप्त होंगे। यह केन्द्र और राज्य दोनों के कर राजस्व की रक्षा करेगा, यह आईजीएसटी के उचित निपटान की ओर अग्रसर करेगा, भले ही समाप्त न करे, परन्तु कर अधिकारी-करदाता प्रासंग में कमी लाएगा। वास्तव में मानवीय प्रणाली में समझा जाने वाला 'मूल्यांकन' भी आगे आवश्यक नहीं होगा (विवरणियां स्वयं ही एक ऐसी प्रणाली से तैयार की जा सकती हैं जो बीजकों का मिलान करती हों) और अपवंचन आदि के मामलों को, विशाल डेटा, जो करोड़ों बीजकों से उत्पन्न होता है, का विश्लेषणात्मक उपकरणों और एआई लागू कर के पता लगाया जा सकता है।

अध्याय I: जीएसटी कार्यान्वयन

यह अध्याय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विवरणी तंत्र और इसके कार्यान्वयन की स्थिति सहित जीएसटी की विशेषताओं का अवलोकन प्रस्तुत करता है।

1.1 जीएसटी की पृष्ठभूमि

मूल्य वर्धित कर सिद्धांत पर आधारित व्यापक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पहली बार केलकर कार्य दल द्वारा दिसंबर 2002 में सुझाया गया था। भारत में जीएसटी की घोषणा पहली बार 2006-07 के केंद्रीय बजट में की गई थी। तब से मंत्रियों की सशक्त समिति ने जीएसटी और जीएसटी अधिनियम के मसौदे की पृष्ठभूमि तैयार करने पर काम किया था। सितंबर 2016 में संसद में संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके जीएसटी को कार्यान्वित किया गया, इसके बाद राज्य विधानसभाओं में पारित किया गया। और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 (8 जुलाई 2017 से जम्मू और कश्मीर सहित) से लागू किया गया।

जैसा कि भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने 30 जून 2017 को संसद के केन्द्रीय हॉल से जीएसटी के शुभारंभ पर कहा, "जीएसटी केंद्र और राज्यों के बीच एक व्यापक सहमति का परिणाम है और भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता और ज्ञान के लिए एक सम्मान है।

1.2 जीएसटी की अवधारणा

1.2.1 जीएसटी की परिभाषा

जीएसटी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक कर है और आपूर्ति के कुल मूल्य श्रृंखला निर्माता से उपभोक्ता तक एक कर है। प्रत्येक चरण में भुगतान किए गए इनपुट करों का क्रेडिट मूल्यवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा, जो प्रत्येक चरण में जीएसटी अनिवार्य रूप से केवल मूल्यवर्धन पर कर बनाता है। इस प्रकार अंतिम उपभोक्ता आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम वितरक द्वारा लगाए गए कर, जिसमें पिछले सभी चरणों में सेट-ऑफ लाभ सहित, केवल जीएसटी को वहन करेगा।

जीएसटी एक उपभोग आधारित कर है यानी वह राज्य कर अर्जित करता है जहां माल और/या सेवाओं की खपत होती है।

1.2.2 सम्मिलित कर

जीएसटी में निम्नलिखित केंद्रीय और राज्य करों को सम्मिलित किया:-

| सम्मिलित केंद्रीय कर | सम्मिलित राज्य कर |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> केंद्रीय उत्पाद शुल्क (पांच पेट्रोलियम¹ और तंबाकू उत्पादों को छोड़कर) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क सेवा कर अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे आमतौर पर प्रतिकारी शुल्क के रूप में जाना जाता है। विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क। | <ul style="list-style-type: none"> राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट) / बिक्री कर (मानव उपभोग के लिए पांच पेट्रोलियम उत्पादों और मादक शराब को छोड़कर) मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर के अतिरिक्त) केन्द्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा लगाया गया और राज्यों द्वारा एकत्रित किया गया) चुंगी और प्रवेश कर खरीद कर विलास टैक्स लॉटरी, सट्टे और जुए पर कर |

केन्द्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क और वैट पांच पेट्रोलियम उत्पादों पर जारी रहेगा, जो जीएसटी परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित किए जाने पर जीएसटी उदग्रहण के अधीन होगा। तंबाकू उत्पादों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी दोनों के अधीन किया जा सकता है। मानव उपभोग के लिए मादक शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था।

1.2.3 जीएसटी के घटक

जीएसटी के तीन घटक इस प्रकार हैं:-

- **केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी):** राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर केंद्र सरकार को देय।
- **राज्य / केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर (एसजीएसटी / यूटीजीएसटी):** राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के भीतर माल और सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार को देय।

¹ पेट्रोलियम कूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल

- **एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी):** वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति के मामले में, आईजीएसटी भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। समान आईजीएसटी भारत में आयात पर भी लगाया जाता है। आईजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आईजीएसटी संघ और राज्यों के बीच बांटा जाएगा।
- **जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर:** जीएसटी के अलावा, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर नामक उपकर अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जा सकता है और वर्तमान में इस तरह के उपकर को पान मसाला, तंबाकू, वातित पेय, कार और कोयले पर लगाया जाता है।

1.3 प्रमुख विधान

देश में माल और सेवा कर लागू करने के लिए संविधान (एक सौ बाईसवा संशोधन) विधेयक, 2016 को राज्यसभा ने 3 अगस्त, 2016 को और लोकसभा ने 8 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था। तत्पश्चात भारत के राष्ट्रपति ने 8 सितंबर, 2016 को सहमति व्यक्त की और इसे संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में अधिसूचित किया।

1 जुलाई 2017 जीएसटी लागू करने के लिए निम्नलिखित अधिनियम पारित किए गए:-

- सीजीएसटी अधिनियम, 2017;
- यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017,
- आईजीएसटी अधिनियम, 2017;
- जीएसटी (राज्यों की क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017

उपरोक्त अधिनियमों को 12 अप्रैल 2017 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया गया और 1 जुलाई 2017 से² लागू किया गया। उपरोक्त के अलावा, प्रत्येक राज्य ने एसजीएसटी अधिनियम भी पारित किया है।

उपरोक्त सभी अधिनियमों को, सीजीएसटी संशोधन अधिनियम, 2018 और जीएसटी (राज्यों के लिए मुआवजा) संशोधन अधिनियम, 2018, आईजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधित किया गया। जो 29 अगस्त 2018 को अधिसूचित और 1 फरवरी 2019 से प्रभावी है।

² अनुच्छेद 370 के मद्देनजर जम्मू और कश्मीर अधिनियम के विस्तार के रूप में ये अधिनियम राज्य द्वारा पास करने के बाद 8 जुलाई 2017 से जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू है।

1.4 जीएसटी के नए घटक

जीएसटी में पेश किए गए कुछ उल्लेखनीय कारक, जो पूर्व-जीएसटी काल में नहीं थे, नीचे दिए गए हैं:-

1.4.1 जीएसटी परिषद

भारत के संविधान के अनुच्छेद 279A (1), के अनुसार, जैसा कि संशोधन किया गया, भारत के राष्ट्रपति ने 12 सितम्बर, 2016 से जीएसटी परिषद का गठन किया। जीएसटी परिषद से संबंधित मुद्दों पर संघ और राज्य सरकारों को सिफारिशें करने के लिए परिषद एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी परिषद, केंद्र और राज्यों के संयुक्त मंच, की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और सदस्य प्रत्येक राज्य द्वारा नामित केन्द्रीय राज्य मंत्री या वित्त मंत्री होते हैं और वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या अन्य मंत्री होते हैं।

अनुच्छेद 279 ए (4) के अनुसार, परिषद संघ और राज्यों को सिफारिशें करेगी:-

- क) संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए करों, उपकरणों और अधिभार को जीएसटी में शामिल किया जा सकता है;
- ख) जिन वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है, या उन्हें छूट दी जा सकती है;
- ग) मॉडल जीएसटी कानून, करारोपण के सिद्धांत, अंतर-राज्य व्यापार आपूर्ति पर लगाए गए जीएसटी का विभाजन और आपूर्ति के स्थान (पीओएस) को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत;
- घ) उनके न्यूनतम टर्नओवर की सीमा जिनके लिए वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है;
- ङ) जीएसटी के बैंड के साथ निचली दरों सहित दरें;
- च) किसी भी प्राकृतिक आपदा या विपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें;
- छ) अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान; तथा
- ज) जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला, जो कि परिषद तय कर सकती है।

इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करते समय, जीएसटी परिषद को वस्तुओं और सेवाओं के सामंजस्यपूर्ण ढांचे की आवश्यकता और वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार के विकास के लिए निर्देशित किया जाएगा।

1.4.2 वस्तु और सेवाकर नेटवर्क

वस्तु एंड सेवा कर तंत्र (जीएसटीएन) 28 मार्च 2013 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-सरकारी कंपनी और एक 'नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन' के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसका गठन केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए समान और साझा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारभूत ढाँचा और सेवाएँ प्रदान करने के लिए किया गया था।

भारत सरकार के पास जीएसटीएन में 24.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है और दिल्ली और पुदुचेरी के एनसीटी सहित भारतीय संघ के सभी राज्यों में और परिषद की 24.5 प्रतिशत की अलग हिस्सेदारी है। शेष 51 प्रतिशत हिस्सेदारी गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों के पास है। जीएसटीएन को मई 2018 में पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय पर आगे की कार्यवाही सरकार द्वारा की जानी थी।

इस रिपोर्ट के अध्याय III में उद्देश्यों और संगठनात्मक संरचना का विस्तृत विवरण किया गया है।

1.4.3 करदाताओं का आपसी सशक्तिकरण और वितरण

जीएसटी के तहत, करदाताओं को प्रत्येक राज्य में अलग पंजीकरण प्राप्त करना होगा जहां वे काम करते हैं। प्रत्येक पंजीकरण के तहत जीएसटी (अर्थात् सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी) के सभी करों का भुगतान करने के लिए एक एकल चालान बनाया जाता है और केंद्र और राज्य दोनों करों के लिए एक एकल विवरणी दाखिल किया जाता है।

इस दोहरे नियंत्रण के मद्देनजर, जीएसटी अधिनियम जीएसटी के सभी घटकों सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी को प्रशासित करने के लिए केंद्र और राज्य कर अधिकारियों को आपसी सशक्तिकरण प्रदान करते हैं। कर अधिकारी करदाताओं या उन्हें आवंटित विशिष्ट क्षेत्रों के संबंध में जीएसटी के सभी घटकों के प्रशासन का संचालन करते हैं। जबकि राज्य वाणिज्यिक कर विभाग राज्यों को प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है,

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और इसके क्षेत्रीय कार्यालय केंद्र को सौंपे गए कार्यों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं।

20 सितंबर 2017 को जीएसटी परिषद के परिपत्र के अनुसार, एकल इंटरफेस सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच राज्य में पंजीकृत करदाता आधार के विभाजन के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए:-

- क) ₹ 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर के करदाताओं की कुल संख्या में से करदाताओं के 90 प्रतिशत से अधिक सभी प्रशासनिक नियंत्रण राज्य³ कर प्रशासन और 10 प्रतिशत केंद्रीय कर प्रशासन के साथ निहित होंगे;
- ख) ₹ 1.5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले करदाताओं के संबंध में, सभी प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र और राज्य कर प्रशासन के लिए प्रत्येक 50 प्रतिशत के अनुपात में समान रूप से विभाजित किये जाएंगे;
- ग) प्रत्येक राज्य में करदाताओं का विभाजन कंप्यूटर द्वारा स्तरीकृत एच्छक नमूनाकरण के आधार पर राज्य स्तर पर किया जाएगा और करदाताओं की भौगोलिक स्थिति और प्रकार को भी ध्यान में रखा जा सकता है, जैसी भी पारस्परिक रूप से सहमति हो।

राज्य कर अधिकारियों को आईजीएसटी और सीजीएसटी का प्रतिदाय देने के लिए (अक्टूबर 2017) में अधिकार⁴ दिया गया और इसी तरह राज्यों में निर्देशों में केंद्रीय कर अधिकारियों को एसजीएसटी का प्रतिदाय देने का अधिकार देने के निर्देश राज्यों में दिये गये हैं। जीएसटी परिषद ने अपनी 9 वीं बैठक (16 जनवरी 2017) में सिफारिश की कि केंद्र और राज्य दोनों कर प्रशासनों के पास संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के संबंध में अन्वेषण-आधारित प्रवर्तन कार्रवाई करने की शक्ति होगी और सीबीआईसी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को डीओ⁵ पत्र (अक्टूबर 2018) के माध्यम से इस निर्णय को लागू किया।

³ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जहां ₹ 1.5 करोड़ से नीचे के सभी करदाता राज्य को आवंटित थे।

⁴ अधिसूचना सं.11/2017-एकीकृत कर और सं.39/2017-केंद्रीय कर दोनों 13 अक्टूबर 2017 द्वारा।

⁵ डीओएफ सं. सीबीआईसी/20/43/01/2017-जीएसटी (पीटी.) दिनांक अक्टूबर 2018।

1.4.4 जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा

16 सितंबर 2016 से प्रभावी संविधान संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान किया है कि संसद को जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, पांच साल तक की अवधि के लिए जी.एस.टी. कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा प्रदान करना चाहिए। इन प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 पारित किया गया। इस अधिनियम ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से उपकर लगाने का भी प्रावधान किया।

आधार वर्ष (2015-16) से जीएसटी में शामिल किए गए करों / शुल्कों से संबंधित राजस्व में 14 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त करने वाले किसी भी कमी के लिए राज्यों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। राजस्व में कमी एसजीएसटी संग्रह (एसजीएसटी के साथ-साथ आईजीएसटी के रूप में एकत्र किए गए एसजीएसटी के रूप में एकत्र) और जीएसटी में शामिल राज्य करों के बकाया के संग्रह को ध्यान में रखकर पूरी की जानी थी। जीएसटी क्षतिपूर्ति दो महीने में देय है और इसकी अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के बाद हर वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम रूप से गणना की जानी चाहिए, जैसा कि सीएजी द्वारा ऑडिट किया गया हो।

1.4.5 मुनाफाखोरी के विरुद्ध

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 में यह निर्धारित किया गया है कि पूर्व-जीएसटी कर दरों की तुलना में वस्तुओं या सेवाओं की किसी भी आपूर्ति पर जीएसटी की दर में कमी, या आईटीसी के लाभ को कीमतों में कमी के माध्यम से प्राप्तकर्ता को दिया जाना चाहिए। विशिष्ट वस्तु या सेवा हेतु कर की दर में कमी के बावजूद विभिन्न साधनों द्वारा वस्तु या सेवा के अंतिम मूल्य में जान बूझकर परिवर्तन न करना 'मुनाफाखोरी' होगा। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में मुनाफाखोरी से संबंधित शिकायतों की जांच और स्थगन के लिए 3-स्तरीय संरचना प्रदान की गई।

- राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण
- मुनाफाखोरी-रोधी उपाय महानिदेशालय
- राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समितियाँ और स्थायी समिति

जीएसटी की दर में कमी के बावजूद किसी भी उपभोक्ता या संगठन को वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में कमी का अनुभव करने वाले व्यक्ति उचित शिकायतों के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कोई भी आपूर्तिकर्ता, व्यापारी, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता, जिन्हें जीएसटी की दर में कमी के कारण आईटीसी का लाभ नहीं मिल सका, वे भी उचित साक्ष्य के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्राधिकरण सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के प्रावधानों के किसी भी कथित उल्लंघन पर अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी भी इच्छुक दल जैसा कि सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 137 (सी), में इसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा परिभाषित व्यक्ति निकाय, संघ या एक संदर्भ पर किया गया है; प्राधिकरण उस तिथि से दो साल की समाप्ति के बाद अस्तित्व में रहेगा जिस दिन अध्यक्ष अपने कार्यालय में प्रवेश करता है जब तक कि परिषद अन्यथा की सिफारिश नहीं करता।

1.4.6 अखिल भारतीय स्तर पर ई-वे बिल का लागू होना

जीएसटी लागू होने के बाद, बिना किसी बाधा के पूरे भारत में माल की त्वरित और आसान आवाजाही के लिए, देश भर के सभी चेक पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है। देश भर में सामानों की परेशानी मुक्त आवाजाही के लिए प्रदान करते हुए, वाहन प्रभारी द्वारा कार्य करके ई-वे (इलेक्ट्रॉनिक) बिल में एक इलेक्ट्रॉनिक बिल की परिकल्पना की गई है, ई-वे बिल प्रणाली, एक वेब आधारित समाधान है, जिसे 1 अप्रैल 2018 से सभी अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए राष्ट्रव्यापी शुरू किया गया है और ₹50,000 मूल्य से अधिक माल की आवाजाही के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अंतरराज्यीय आपूर्ति के संबंध में, राज्यों को 3 जून 2018 को या उससे पहले किसी भी तारीख को चुनने के लिए दिया गया था। सभी राज्यों ने अंतर राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल नियमों को अधिसूचित किया है, आखिर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जहां इसे 16 जून 2018 से आरंभ किया गया था। अलग-अलग राज्यों द्वारा अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए ई-वे बिल बनाने के लिए अलग-अलग न्यूनतम सीमाएं तय की गई हैं।

1.5 केंद्रीय प्रशासनिक संरचना

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है और सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों को केंद्रीय राजस्व अधिनियम, 1963 के तहत गठित दो सांविधिक बोर्डों नामतः केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

(सीबीआईसी⁶), और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से संबंधित करता है। जो जीएसटी रोपण वे उद्ग्रहण से सम्बंधित मामले सीबीआईसी द्वारा देखे जाते हैं। सीबीआईसी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों जिसे कमिश्नरी कहा जाता है, द्वारा अप्रत्यक्ष कर कानून प्रशासित करवाता है।

जीएसटी के कार्यान्वयन के मद्देनजर, सीबीआईसी ने प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त के नेतृत्व में जीएसटी के 21 क्षेत्रों में अपने क्षेत्र कार्यालयों का पुनर्गठन 16 जून 2017 के परिपत्र द्वारा किया गया। जीएसटी के इन 21 क्षेत्रों के तहत प्रधान आयुक्त / आयुक्त की अध्यक्षता में 107 जीएसटी करदाता सेवा कमिश्नरी हैं जो जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कार्य देखते हैं। डिवीजन और रेंज क्रमशः बाद के प्रारूप हैं, जिसके प्रमुख क्रमशः उप / सहायक आयुक्त और अधीक्षक हैं। इन कमिश्नरी के अलावा, विशिष्ट कार्यों से निपटने के लिए 49 जीएसटी अपील कमिश्नरी, 48 जीएसटी लेखापरीक्षा कमिश्नरी और 22 निदेशालय जैसे सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए महानिदेशक (प्रणाली) और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए महानिदेशक, एनएसीएन हैं।

1.6 जीएसटी के उद्देश्य

यह परिकल्पित किया गया था कि जीएसटी एकल कर में वर्तमान में केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उद्ग्रहित किये जा रहे अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया जाएगा, करों के सौपान को कम किया हो तथा वस्तु और सेवा हेतु सामान्य राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध हो। जीएसटी कर व्यवस्था को सरल बनाया जाना भी अपेक्षित था और इसके परिणामस्वरूप सुदृढ़ आईटी आधार भूत संरचना के कारण बेहतर कर अनुपालन और एक गैर-अंतर्वेधी ई-कर प्रणाली प्राप्त हुई। मूल्य संवर्धन की कड़ी में एक स्तर से दूसरे स्तर पर निवेश कर क्रेडिट के समेकित स्थानांतरण के कारण, जीएसटी को अपने प्रारूप में अंतर्निहित तंत्र विकसित करना था जिससे व्यापारी द्वारा कर अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।

1.6.1 इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तंत्र

जीएसटी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य तंत्र थे:

- बहुल केंद्रीय और राज्य करों की एकरूपता

⁶ पूर्व में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीइसी)।

- बहल कर दरों को समाप्त करके कर संरचना को सरल बनाना और सरल प्रारूपों और प्रक्रियाओं को प्रारंभ करना।
- कर दाता के लिए एकल आईटी इंटरफेस और आईटी आधारित कर प्रशासन उपलब्ध कराते हुए आईटी प्रणाली के मूल को विकसित कर रहे आईटीसी क्रेडिट के प्रणाली सत्यापित समेकित प्रवाह के साथ आईटी समर्थित अनुपालन।

1.6.2 परिकल्पित तंत्र की कार्यान्वयन स्थिति


जीएसटी के प्रभावी होने के पहले महीने के अंत तक (यानी 31 जुलाई 2017 तक), केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट से 63.9 लाख करदाताओं को जीएसटी पोर्टल में माइग्रेट किया गया था और नए पंजीकरण के लिए 10.9 लाख करदाताओं ने आवेदन किया। कर भुगतान कार्यक्षमता जीएसटी प्रभावी करने की तारीख यानी 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध थी। जीएसटी प्रथम महीने अर्थात् जुलाई 2017 में ₹ 92,283 करोड़ की जीएसटी संग्रहण राशि एकत्र की गई जिसमें सीजीएसटी के ₹ 14,894 करोड़, एसजीएसटी के ₹ 22,722 करोड़, आईजीएसटी के ₹ 47,469 करोड़ तथा ₹ 7,198 करोड़ जीएसटी प्रतिउपकर उप कर शामिल थे।

51.4 प्रतिशत करदाताओं ने जुलाई 2017 के लिए जीएसटीआर -3 बी विवरणी नियत तारीख (28 अगस्त 2017) पर दाखिल की। 1 सितंबर 2017 तक पोर्टल पर मासिक विवरणी जीएसटीआर-1 और 2 जारी की गई।

किन्तु रिपोर्ट के स्वरूपों में परिवर्तन किए गए थे। विभिन्न प्रमुख गतिविधियों के लिए नियत तारीखों को स्थगित कर दिया गया था और जीएसटीआर -2 और 3 को लम्बित रखा गया है। ये परिवर्तन विभिन्न कारकों जैसे कि जीएसटी पोर्टल पर प्रारूपों की जटिलता या तकनीकी गड़बड़ी या हितधारकों की तैयारियों में कमी और इन परिवर्तनों के कारण उत्पन्न परिवर्तनों के कारण थे। नतीजतन, जीएसटी प्रणाली अभी भी एक प्रगतिशील प्रणाली है, जिसमें लगभग दो साल बाद भी संपूर्ण विवरणी तंत्र के साथ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं:-

चार्ट सं.1 जीएसटी के उद्देश्यों को परिकल्पित तंत्र से मैप करता है व उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को बताता है।

चार्ट 1: जीएसटी के उद्देश्य, उपलब्धियों की सीमा और फॉल आउट



जैसा चार्ट सं.1 में चर्चा की गई है, जीएसटी के तहत परिकल्पित तंत्र की स्थिति निम्नलिखित है।

(क) बहुल कर

बहुल करों को समेकित करने का उद्देश्य आईटीसी समर्थित मूल्य श्रृंखला के साथ में 37 विभिन्न केंद्रीय और राज्य करों को जीएसटी में समेकित कर अधिकतर रूप से प्राप्त कर लिया गया है। मुख्य उत्पाद, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद जब जीएसटी परिषद द्वारा निर्णय दिया जाता है, को सम्मिलित करने के लिए सैवधानिक संशोधन में प्रावधान के साथ केवल कुछ सामान/क्षेत्रों का जीएसटी से बाहर रखा गया है।

(ख) कर संरचना

जीएसटी ने एक संरचना उपलब्ध कराई है जिसमें समान वस्तु या सेवा सभी राज्यों में एक समान कर दर के अंतर्गत है। अब 28% में कुछ एश्वर्य और भोग विलासिता सामान जैसे कार, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला और वातित पेय जो कि आगे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के अंतर्गत है; सहित चार मुख्य कर स्तर (5%, 12%, 18%, और 28% कर दरों) हैं। वस्तु और सेवाओं पर जीएसटी दरों की एक संकेतक सूची **परिशिष्ट-1** में दी गई है।

कुछ ऐसे उत्पाद हैं जहां एकसमान प्रकृति वाली समान वस्तुओं या सेवाओं की (अर्थात् समान एचएसएन/एसएसी कोड) उत्पाद की प्रकृति या उत्पाद के इकाई मूल्य के आधार पर बहुल कर दरें होती हैं। जैसा कि नीचे तालिका सं. 1 में व्याख्या की गई है:

तालिका सं.1 वस्तु/सेवा की उक्त श्रेणी पर बहुल कर दरे

| | | |
|----------------|---------------------------|------------|
| जूते | ₹ 1000 तक | 5 प्रतिशत |
| | ₹ 1000 और से अधिक | 12 प्रतिशत |
| फाइबर | सिल्क और जूट | शून्य |
| | कॉटन और प्राकृतिक | 5 प्रतिशत |
| | मानव निर्मित | 18 प्रतिशत |
| रेडीमेड परिधान | ₹ 1000 से नीचे की कीमत पर | 5 प्रतिशत |
| | ₹ 1000 और ऊपर | 12 प्रतिशत |
| होटल और लॉज | टैरिफ | |
| | ₹ 1000 से कम | शून्य |
| | ₹ 1000 - ₹ 2500 | 12 प्रतिशत |
| | ₹ 2500 - ₹ 7500 | 18 प्रतिशत |
| | ₹ 7500 और से ऊपर | 28 प्रतिशत |

उपरोक्त तालिका से, यह देखा गया कि एक ही प्रकृति की वस्तुओं या सेवाओं को कई कर दरों के अंतर्गत रखा गया है।

अपनी विभिन्न बैठकों के माध्यम से जीएसटी काउंसिल ने समय-समय पर स्लैब और दर संरचना की समीक्षा की। जीएसटी की स्थापना के बाद से, सीबीआईसी ने क्रमशः 2017, 2018 और 2019 (31 मार्च 2019 तक) में सीजीएसटी दरों को बदलने से संबंधित 47, 30 और 9 अधिसूचनाएं जारी कीं। इसी तरह, 2017, 2018 और 2019 में (क्रमशः 31 मार्च 2019 तक) आईजीएसटी दरों को बदलते हुए 50, 31 और 8 अधिसूचनाएँ जारी की गईं।

इस प्रकार, यद्यपि कर दर संरचना को पूर्व-जीएसटी यूग की तुलना में सरल बना दिया गया है, इसको सरल किये जाने के आगे भी काफी संभावना है।

(ग) विनिर्दिष्ट विवरणीयां

जीएसटी में, कर दाता को सभी जीएसटी करों जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर हेतु केवल एक विवरणी फाईल करनी पड़ती है। जीएसटी में विवरणी तंत्र की आधार भूत विशेषताओं में विवरणी की इलेक्ट्रॉनिक दाखिला, बीजक स्तर सूचना को अपलोड करने, प्राप्तकर्ता को आपूर्तिकर्ता से विवरणी से आईटीसी के संबंध में सूचना का

स्व-संचालन परिकल्पित किया गया है। विवरणी तंत्र को फाईल विवरणी और आईटीसी प्राप्त करने के लिए कर दाता को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। **परिशिष्ट-II** में जीएसटी में निर्दिष्ट विभिन्न विवरणी का विवरण दिया गया है।

जीएसटी परिषद ने घोषणा की (जुलाई 2018) कि एक नये सरलीकृत विवरणी तंत्र को 1 जनवरी 2019 से लागू किया जाएगा। ये नये सरलीकृत प्रारूप को अभी भी (जून 2019) शुरू किया जाना था। विवरणी को सरल करने की आवश्यकता यह दर्शाती है कि आरंभ में तैयार किये फार्म और सहायक आईटीसी विशेषताएं सरलीकृत कर व्यवस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं थी।

(घ) आईटीसी का तंत्र सत्यापित सम्मिलित प्रवाह


आईटीसी का तंत्र सत्यापित सम्मिलित प्रवाह को जीएसटीआर 1, 2 और 3 विवरणी द्वारा प्राप्त किया जाना परिकल्पित किया गया था। वास्तविक रूप से इसे परिकल्पित किया गया था ताकि आपूर्तिकर्ता जीएसटीआर-1के द्वारा महीने के दौरान उनके द्वारा जावक आपूर्ति के बीजक-वार विवरण फाईल करें। जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जावक आपूर्ति के विवरण जीएसटीआर-2ए फार्म से पंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराये गये थे। इसी प्रकार, संरचना डीलर्स, इनपुट सर्विस वितरक और गैर-आवासीय करदाता के साथ-साथ सरकारी विभाग/एजेंसियों द्वारा स्रोत पर (टीडीएस) काटे गये कर के संबंध में आपूर्तियों के समान विवरण प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराये गये थे। इसलिए, फार्म जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध विवरण के आधार पर, कर दाता को अन्य आवक आपूर्तियों के विवरण जोड़ने के बाद जीएसटीआर फार्म प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

अपने फार्म जीएसटीआर-2 में प्राप्तकर्ता द्वारा जोड़ी गई, सुधारी गई या खत्म की गई आवक आपूर्तियों के विवरण समान पोर्टल द्वारा जीएसटीआर-1ए फार्म में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराये गये थे। आपूर्तिकर्ता द्वारा सुधार या तो स्वीकृत या निरस्त किये जा सकते हैं और आपूर्तिकर्ता द्वारा पहले से प्रस्तुत किया फार्म जीएसटीआर-1 उनके द्वारा स्वीकृत सुधारों की सीमा तक संशोधित किया जाना चाहिए।

जीएसटीआर-3 जीएसटी देयता की राशि के साथ महीने के दौरान बिक्री और खरीद के विवरण सहित एक मासिक विवरणी है। अधिकतर जीएसटीआर-3 का जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 से स्वतः जनित होना अपेक्षित था जबकि करदाता को इलेक्ट्रॉनिक नकद लैजर से दावाकृत कर, ब्याज, शक्ति, प्रतिदाय

की देयता तथा जीएसटीआर-3 फाईल करते समय इलेक्ट्रॉनिक नकद/क्रेडिट लैजर में डेबिट प्रविष्टियों के शोधन के विवरण शामिल करने होते हैं। डेटा का प्रवाह और जीएसटी मासिक विवरणी में विवरण का स्वतः तैयार होना, जैसा वास्तव में परिकल्पित किया गया था, को नीचे चार्ट सं. 2 में चित्रात्मक रूप से दर्शाया गया है।

चार्ट सं.2: वास्तविक रूप से परिकल्पित जीएसटी विवरणी



एनबी: इसी प्रकार, सरकारी विभाग/एजेंसियों द्वारा कंपोजीशन डीलर्स, गैर-आवासीय करदाता, इनपुट सेवा वितरक, स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) व ई-कॉमर्स संचालकों द्वारा टीडीएस क्रमशः जीएसटीआर-4, 5, 6, 7 और 8 को दर्शाते हुए आपूर्ति प्राप्तकर्ता की जीएसटीआर-2 में स्वतः तैयार होना था। उपरोक्त चार्ट में केवल जीएसटीआर-1 को उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है।

यद्यपि, यह प्रणाली वास्तविक रूप से परिकल्पित और रचित की गई थी, इन मुख्य विवरणी की तिथियों को सिस्टम शीघ्रता के संबंध में व्यापार की सुगमता की कमी और बताई गई आशंका उदघृत करते हुए जीएसटी को आरंभ करने से प्रंद्रह दिन पहले लम्बित कर दिया गया था, जैसाकि 18 जून 2017 को हुई 17वीं जीएसटी बैठक में सूचना दी गई थी। जीएसटी की उक्त बैठक में परिषद को यह सूचना भी दी गई थी कि यद्यपि सिस्टम को 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को रॉलआऊट के लिए तैयार थे, व्यापार और उद्योग विशेषतः बैंकिंग, नागरिक उड्डयन और टेलीकॉम क्षेत्र ने सिस्टम की स्थिरता और सुदृढ़ता के बारे में स्वयं को सुपरिचित करने और आश्वासन देने के लिए सिस्टम की जांच के लिए अधिक समय के लिए अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि यद्यपि जीएसटीएन तैयार था, बड़े व्यापार और उनके उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) सॉफ्टवेयर तैयार नहीं था और

जीएसटी सुविधा प्रदाता (जीएसपी) सॉफ्टवेयर की जांच करने के लिए समय की आवश्यकता है।

हालांकि यह मत न्यायसंगत नहीं है। जीएसटीएन का गठन मार्च 2013 में किया गया था, जीएसटी में लाने के लिए संविधान संशोधन सितंबर 2016 में पारित किया गया था और जनवरी 2017 में घोषणा की गई थी कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया जाएगा। संविधान संशोधन पारित होने से पहले, मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएम) ने मॉडल जीएसटी अधिनियमों और व्यापार प्रक्रियाओं पर काम करना शुरू कर दिया था और प्रथम मॉडल जीएसटी अधिनियम जून 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2015 के दौरान पंजीकरण, भुगतान, पंजीकरण और प्रतिदाय पर व्यावसायिक प्रक्रिया दस्तावेजों को भी सार्वजनिक ज्ञानक्षेत्र में रखा गया था। जीएसटी मॉडल कानून नवंबर 2016 तक तैयार किए गए थे और अप्रैल 2017 में संसद द्वारा अधिनियम पारित किये गये थे। विवरणी, पंजीकरण, भुगतान, प्रतिदाय, बीजक पर ड्राफ्ट कानून नियम शुरू में सितंबर 2016 में तैयार किए गए थे और ड्राफ्ट नियमों के अगले संस्करण को आईटीसी, पारगमन, मूल्यांकन और संरचना को जोड़ने के लिए मार्च 2017 में अंतिम रूप दिया गया था और मई 2017 में परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। ड्राफ्ट प्रपत्र (बीजक, भुगतान, पंजीकरण, प्रतिदाय, वापसी और बेमेलता) को सितम्बर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था तथा इसके अतिरिक्त संरचना, आईटीसी, भुगतान प्रतिदाय और पंजीकरण को कवर करते हुए ड्राफ्ट प्रपत्र के सेट का मई 2017 में अंतिम रूप दिया गया था। 19 जून 2017 को अंतिम रूप से तैयार किये गये नियम और फार्म अधिसूचित किये गये।


जीएसटी एक प्रमुख कर सुधार है और सरकार ने अपनी ईच्छा को स्पष्ट कर दिया था कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से शुरू किया जाएगा। इन परिस्थितियों में, यह उम्मीद की गई थी कि सिस्टम डिजाइन को अग्रिम रूप से अच्छी तरह से मजबूत किया जाएगा या सिस्टम परिवर्तनों का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा। प्रारूपों की सरलता और व्यापार करने में आसानी बुनियादी आवश्यकताएं थी। हालांकि यह देखा गया था कि नियमों और प्रारूपों को शुरू करने की तिथि तक अंतिम रूप दिया गया था और व्यवसाय दर्शाते हैं कि वे रोल आउट के लिए तैयार नहीं थे। जीएसटी पोर्टल को भी व्यापक परीक्षणों के बिना तैयार होने का अनुमान लगाया गया था कि इस तरह के अखिल भारत प्रणाली की आवश्यकता थी।

जीएसटी परिषद ने उद्योग और जीएसपी की तैयारी की कमी को देखते हुए दो महीने के लिए एक सरल अस्थायी उपाय जीएसटीआर-3बी को मंजूरी (जून 2017) दे दी। जीएसटीआर-3बी को एक स्वयं-मूल्यांकन सारांश विवरणी के रूप में डिजाइन किया गया था जिसमें जावक आपूर्ति और आवक आपूर्ति का सारांश विपरित प्रभार के प्रति देय था। आईटीसी का निपटान करदाताओं द्वारा दायर किए गए इन स्व-मूल्यांकन सारांश विवरणी के आधार पर किया जा रहा था। शुरू में दो महीने के लिए शुरू की गई यह अस्थायी विवरणी आज तक जारी है और जीएसटीआर-2 और 3 को स्थगित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप सिस्टम सत्यापित आईटीसी और बीजक मिलान का मुख्य तंत्र प्राप्त नहीं किया गया था। आज तक सारांश विवरणी में करदाता द्वारा रिपोर्ट किए गए आईटीसी का उपयोग आगे के लेन-देन के लिए किया जाता है।

जुलाई 2018 में, अर्थात् जीएसटीआर-3बी को जीएसटीआर-2 और 3 को लम्बित रखने के एक साल बाद, जीएसटी परिषद ने घोषणा की कि 1 जनवरी 2019 से एक नया सरलीकृत विवरणी तंत्र लागू किया जाएगा। नये विवरणी तंत्र को अभी अंतिम रूप से आरंभ (जून 2019) किया जाना है, जो एक अस्थायी उपाय के रूप में जीएसटीआर-3बी को लागू करने के दो साल बाद हुआ है। एक संशोधित विवरणी तंत्र तैयार करने में देरी के साथ, सारांश विवरणी जीएसटीआर-3बी, जो एक स्वयं-उदघोषणा हैं, सत्यापित चालानों के आधार पर सिस्टम जनित विवरणी की अपेक्षा जीएसटी के आरंभ होने के बाद से जारी है।

स्थगित की गई प्रक्रियाओं और विवरणों को विवरणी की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले प्रवाह चार्ट सं. 3 में लाल रंग से दर्शाया गया है।

चार्ट सं.3: मुख्य जीएसटी विवरणी की वर्तमान स्थिति



वर्तमान में, आईटी सिस्टम केवल जावक आपूर्ति को प्राप्त करता है, जैसा कि जीएसटीआर 1 में आपूर्तिकर्ता द्वारा दाखिल किया जाता है; जिसे जीएसटीआर-2ए में प्राप्तकर्ता द्वारा देखा जा सकता है। जीएसटीआर-1ए और 2 और मासिक विवरणी जिसे जीएसटीआर-3 के माध्यम से प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक विवरण के मिलान द्वारा आपूर्ति के सत्यापन और सुधार की आगे की प्रक्रियाओं को स्थगित रखा गया है।

घटनाओं का अनुक्रम स्पष्ट रूप से मूल विवरणियों के प्रारूप व रचना की जटिलता इंगित करता है।

(ड) जीएसटीआर-2 और 3 को स्थगित करने के प्रभाव

- **असत्यापित आईटीसी**

कर दाता द्वारा दावा किये गये आईटीसी तंत्र सत्यापित नहीं किया गये थे और आईटीसी खाता करदाताओं द्वारा दायर स्व-मूल्यांकन सारांश मासिक विवरणी (जीएसटीआर -3बी) से प्राप्त गैर-सत्यापित आईटीसी के आधार पर स्वयं तैयार हो रही थी।

- **स्वयं-नियामक तंत्र न होना**

चूंकि आईटीसी और मासिक विवरणी सिस्टम-सत्यापित विवरणों पर आधारित नहीं थे, इसलिए स्व-नियामक प्रणाली लागू नहीं की गई है। इसके अलावा, मूल रूप से परिकल्पित विवरणी तंत्र में, यह सत्यापित किया जा सकता था कि आपूर्तिकर्ताओं ने अपने समग्र कर देयता का भुगतान किया है जैसा कि जीएसटीआर-3 में मिलान किये गये जावक और आवक आपूर्ति से जारी होता है, क्योंकि करदाता को जीएसटीआर-3 दाखिल करते समय भुगतान विवरण प्रस्तुत करना पड़ता था। इस तरह की कोई जांच सारांश स्व-मूल्यांकन जीएसटीआर-3बी में नहीं की जा सकती है।

- **विवरणी की हस्तगत जांच**

स्व-नियामक प्रणाली के अभाव में, उपलब्ध डेटा सेटों की प्रति जांच करने और मैनुअल रूप में निर्धारितियों से जानकारी या स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कर विभागों द्वारा डेटा विश्लेषण और व्यवसाय आसूचना उपकरणों का

उपयोग किया जा रहा था। इससे जीएसटीआर 1 और 3बी के साथ-साथ ई-वे बिल डेटा में उपलब्ध डेटा का उपयोग करके बीआई टूल्स और डेटा निवृत्तियों के आधार पर कर अधिकारियों द्वारा दावों की हस्तगत जांच की गई है। यह करदाताओं के लिए भी नुकसानदेह है क्योंकि उन्हें अपने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दायर जीएसटीआर-1 में विवरण प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है, जबकि ऐसी जानकारी का उपयोग सत्यापन के लिए किया जा रहा है।

- **मुख्य सुरक्षा उपायों के बिना सिस्टम को शुरू किरने को असुरक्षित बना दिया**

आईटीसी का दावा करने के लिए नकली बीजक के उपयोग सहित कुछ करदाताओं द्वारा किए गए धोखाधड़ी आईटीसी दावों का पता लगाने की कई रिपोर्टें थीं। इस प्रकार, किसी भी अन्य सुरक्षा उपायों या प्रभाव मूल्यांकन के बिना, मूल रूप से परिकल्पित प्रमुख नियंत्रण तंत्र को वापस लेते हुए जीएसटी आईटी प्रणाली को आंशिक रूप से आरंभ करने से सिस्टम को असुरक्षित बना दिया।

- **वार्षिक विवरणी पर प्रभाव**

वार्षिक विवरणी में जावक और आवक आपूर्ति के विवरण, विवरणी में घोषित आईटीसी और कर भुगतान के विवरण जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को शामिल करना था। इसमें मांग और प्रतिदाय, कम्पोजीशन करदाताओं से प्राप्त आपूर्ति और जावक और आवक आपूर्ति के एचएसएन वार सारांश जैसी अन्य जानकारी भी है।

जीएसटीआर-2 और 3 को रोकने से वार्षिक विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया जटिल बन गई है क्योंकि जीएसटीआर-2ए और 3बी से बहुत सीमित डेटा वार्षिक विवरणी को स्वयं तैयार करेगा। करदाताओं को वार्षिक विवरणी को अंतिम रूप देने से पहले जीएसटीआर-1 में उपलब्ध डेटा को अपने जीएसटीआर-3बी के साथ मिलान करना होगा।

मूल रूप से जीएसटी अधिनियम में यह परिकल्पना की गई थी कि एक वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक विवरणी आगामी 31 दिसम्बर तक दाखिल किया जाएगा। वर्ष 2017-18 की वार्षिक वापसी की नियत तारीख समय-समय पर बढ़ाई गई है और अंतिम तिथि 31 अगस्त 2019 तक बढ़ा दी गई है।

जीएसटी कानून में यह परिकल्पना की गई थी कि मासिक विवरणी में किसी भी बेमेल क्रेडिट को वित्तीय वर्ष के सितम्बर के महीने के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने या विवरणी दाखिल करने तक, जो पहले हो, ही सुधारा जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित बीजक पर आईटीसी का दावा करने की अंतिम तिथि मूल रूप से वित्तीय वर्ष के सितम्बर महीने या वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना, जो भी पहले हो था। इस प्रकार, समय विस्तार के साथ, आईटीसी के उपयोग के साथ-साथ 2017-18 के विवरणी को अंतिम रूप देने के लिए खुला रखा गया है।

- **अपूर्ण आईजीएसटी निपटान**

‘स्टॉप गैप’ व्यवस्था के रूप में शुरू की गई, जीएसटीआर 3बी में, सारांश विवरणी होने के कारण, में आईजीएसटी निपटान या विभाजन के लिए आवश्यक सभी विवरण प्राप्त नहीं किए जा सके। इसे जीएसटीएन के आईटी लेखा परीक्षा के निष्कर्षों में विस्तारित किया गया है (अध्याय III के पैराग्राफ 3.22 का संदर्भ लें)।

जब हमने जीएसटी विवरणी तंत्र में प्रमुख पहलुओं के अभाव को इंगित किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली अभी भी (मार्च 2019) बनने की प्रक्रिया में है, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2019) कि व्यापार और उद्योग को नई व्यवस्था में समायोजित करने के लिए और अधिक समय देने के लिए जीएसटी परिषद ने बीजक मिलान से रियायत देने जैसे कदम उठाने की सिफारिश की है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि सरकार ने डेटा विश्लेषकों और व्यापार आसूचना (बीआई) उपकरणों के माध्यम से राजस्व रिसावों को रोकने के लिए वैकल्पिक तंत्र शुरू किए हैं। यद्यपि मंत्रालय ने यह माना है कि व्यापार और उद्योग की कठिनाइयों के कारण स्व-सुधार प्रणाली के रूप में परिकल्पित इस प्रणाली को ठीक किया जा रहा था।

इस प्रकार, जैसा कि मूल रूप से परिकल्पना की गई थी, स्व-सुधार प्रणाली नहीं थी और इसके परिणामस्वरूप आईटी आधारित इंटरफ़ेस की अपेक्षा परिहार्य निर्धारिती कर अधिकारी मूर्त इंटरफ़ेस को जारी रखा गया। अगर पूरी तरह से समाप्त नहीं है तो भी यह परिहार्य भौतिक इंटरफ़ेस को कम करने के उद्देश्य के विपरीत है।

(च) अन्य परिकल्पित स्व-शासित तंत्र

- **अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा आपूर्तियों के लिए विपरित प्रभार तंत्र का गैर-कार्यान्वयन**

सामान्यतः माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, निर्दिष्ट मामलों में, कर भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता की अपेक्षा माल या सेवाओं के प्राप्तकर्ता को होता है, जिसे विपरित प्रभार कहा जाता है। जीएसटी अधिनियमों में यह प्रावधान है कि जहां भी एक पंजीकृत व्यक्ति एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति की खरीद करता है, पंजीकृत व्यक्ति को विपरित प्रभार के आधार पर जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है।

प्रारंभ⁷ में (जून 2017) एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा या एक दिन में पांच हजार रुपये तक सभी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त आपूर्ति को विपरित प्रभार से छूट दी गई है। तथापि, सभी श्रेणियों के पंजीकृत व्यक्तियों को शुरू में 31 मार्च 2018 तक अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा आपूर्ति पर विपरित प्रभार के प्रावधानों से छूट (अक्टूबर 2017) दी गई थी। इस तरह की छूट⁸ को समय-समय पर 30 जून 2018 तक, 30 सितंबर 2018 तक और अंत में 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा⁹ दिया गया था।

आरसीएम को शुरू करने के औचित्य और इस प्रणाली में आगे परिवर्तन किए जाने से पहले इसके बाद स्थगित करने के प्रभाव की जांच की आवश्यकता है।

- **स्रोत पर कर कटौती**

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51, सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरण और सरकारी एजेंसियों द्वारा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए प्रदान की गई है। टीडीएस ₹ 2.5 लाख से अधिक के भुगतान के लिए लागू है।

⁷ अधिसूचना सं.8/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017।

⁸ अधिसूचना सं.38/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 13 अक्टूबर 2017, (आईजीएसटी अधिसूचना सं.32/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 13 अक्टूबर 2017।

⁹ अधिसूचना सं. 10/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 23 मार्च 2018, संख्या 12/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 29 जून 2018 और सं.22/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 6 अगस्त 2018।

टीडीएस प्रावधानों को समय-समय पर स्थगित कर दिया गया था। इस स्थगन के कारण, जैसा कि 18वीं जीएसटी परिषद की बैठक कार्यवृत्तों में उल्लेख किया गया है, टीडीएस को घटाने के लिए सरकारी एजेंसियों की तैयारी की कमी थी और संबंधित राज्यों के निपटान तंत्र को निधि से जोड़ने के लिए टीडीएस की आवश्यकता थी। यह भी बताया गया था कि चूंकि जीएसटीआर-2 दायर नहीं किया जा रहा था, इसलिए टीडीएस लाभ करदाता को नहीं दिया जा सका।

टीडीएस प्रावधानों को अंततः 1 अक्टूबर 2018 से लागू कर दिया गया। कर कटौतिकर्ताओं को आने वाले महीने की 10 तारीख तक विवरणी दाखिल करना था। हालांकि, अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018 के महीनों के लिए इस विवरणी की नियत तिथि को 31 जनवरी 2019 तक बढ़ा¹⁰ दिया गया था जिसमें कहा गया था कि कुछ ऑपरेटर जीएसटी पोर्टल पर उनके सामने आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण पंजीकरण प्राप्त करने में असमर्थ थे।

कम से कम जहां सरकार को आपूर्ति की गई थी वहां टीडीएस डेटा का उपयोग आपूर्तिकर्ताओं के टर्नओवर जानने के लिए किया जा सकता है, और इस प्रकार, गैर-रजिस्ट्रार और कर चोरी करने वालों की पहचान की जा सकती है। सामने आ रही गड़बड़ियों और इस तथ्य को देखते हुए कि कर संग्रहण कर विभाग का कार्य है और न की सभी सरकारी विभागों का, यह सिफारिश की जाती है कि सरकार टीडीएस के कार्यान्वयन की समीक्षा करे और जो कुछ भी टीडीएस के माध्यम से प्राप्त करने की अपेक्षा है उसे प्राप्त करने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करें। उदाहरण के लिए, सरकार को परामर्श और अन्य सेवाएं प्रदान करने वाले बोलीदाता के लिए सेवा कर पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया जाता था। इसी प्रकार सरकार को एक निश्चित सीमा से अधिक वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए, जीएसटी पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर, सरकारी विभागों द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं को और इसी तरह के तरीकों के लिए किए गए भुगतानों के अन्य आंकड़ों का वास्तविक समय विश्लेषण जिनकी सरकार पहचान कर सकती है, वे टीडीएस की इस पूरी प्रक्रिया के रूप में समान उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।

¹⁰ आदेश सं.4/2018-केन्द्रीय कर दिनांक 31 दिसंबर 2018।

(छ) आंशिक रूप से जीएसटी पोर्टल को आरंभ करना

परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, जीएसटीएन ने परियोजना प्रबंधन योजना तैयार की जिसमें कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा के साथ विभिन्न उपयोग मामले¹¹ और विभिन्न मॉड्यूल की कार्यक्षमताओं की योजना बनाई गई थी। जीएसटी पोर्टल के कार्यान्वयन को तीन चरणों में लागू करने की परिकल्पना की गई थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई थी।

चरण-I

चरण-I में करदाता पंजीकरण, करदाता पंजीकरण अनुमोदन, बीजक अपलोड, भुगतान, विवरणी, इनपुट क्रेडिट सामंजस्य, आईजीएसटी निपटान, एमआईएस रिपोर्ट, तंत्र व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और सहायता डेस्क शामिल थे।

सॉफ्टवेयर आवश्यकता निर्दिष्टीकरण (एसआरएस) में परिकल्पित परियोजना के इस चरण के लिए कार्यान्वयन को शुरू में 184 उपयोग मामलों में वर्गीकृत किया गया था, जिन्हें जनवरी 2017 से अगस्त 2017 तक की अवधि में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, 1 जुलाई 2017 तक जीएसटी आरंभ करने के समय पर चरण-I की केवल 35 कार्यक्षमताएं उत्पादित वातावरण में थीं। 184 उपयोग मामलों में से जनवरी 2019 तक 25 उपयोग मामले उत्पादन में नहीं थे। जीएसटीएन ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि इन 25 उपयोग मामलों में से 12 को छोड़ दिया गया था, 11 को चरण-II में स्थानांतरित कर दिया गया था और वार्षिक विवरणी (सितंबर 2018 में अधिसूचित प्रपत्र) से संबंधित दो मामले प्रक्रियाधीन थे। छोड़े गये उपयोग मामले मुख्य रूप से जीएसटीआर-3 विवरणी (स्थगित किय गये) से संबंधित थे और जो कानून/नियमों में परिवर्तन के कारण अनावश्यक हो गए थे।

चरण-II

चरण-II में निर्धारण, प्रतिदाय, निर्णय और याचिका, लेखा परीक्षा और जांच, वसूली और बड़े खाते में डालना (27 राज्यों/केंद्र शा. प्रदेश) शामिल थे।

¹¹ उपयोग का मामला उन कार्रवाइयों या ईवेंट चरणों की सूची होती है, जो आमतौर पर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भूमिका और सिस्टम के बीच होने वाले इंटरैक्शन को परिभाषित करते हैं।

जनवरी 2017 से मार्च 2019 तक की अवधि में इस चरण की विभिन्न कार्यक्षमताओं को कवर करने वाले कुल 122 उपयोग मामलों को प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षण¹² (यूएटी) व्यवहार में लेने की योजना बनाई गई थी। तथापि, इन अधिकांश मॉड्यूल के लिए एसआरएस, जनवरी और सितंबर 2018 के बीच बंद कर दिए गए थे और दो मॉड्यूल के एसआरएस (एमआईएस और लेखा परीक्षा) अभी बंद किए जाने थे। इस चरण के 103 उपयोग मामलों को अक्टूबर 2018 तक यूएटी व्यवहार में लिया जाना था। तथापि, हमने देखा कि जनवरी 2019 तक केवल 87 उपयोग मामलों को कार्यान्वित किया गया था।

इन विलंब का जीएसटी के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ा जो नीचे दिए गए विवरण के रूप में प्रतिदाय मॉड्यूल के मामले में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है:-

भारत से बाहर माल के निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी के प्रतिदाय के लिए मॉड्यूल, सीमा शुल्क आईटी प्रणाली और जीएसटी पोर्टल के बीच लिंकेज सितंबर-अक्टूबर 2017 के दौरान प्रदान किया गया था। लेकिन प्रतिदाय की अन्य श्रेणियों के लिए, यह मूल रूप से परिकल्पना की गई थी कि करदाता जीएसटी पोर्टल पर प्रतिदाय आवेदन दाखिल करेगा, दाखिल किया गया आवेदन ऑनलाइन कर अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा और प्रतिदाय की पूरी प्रक्रिया स्वचालित होगी। हालांकि, चूंकि जीएसटी पोर्टल पर प्रतिदाय मॉड्यूल उपलब्ध नहीं कराया गया था, यह निर्णय लिया गया था (अक्टूबर 2017) कि प्रतिदाय दावे से संबंधित आवेदन दाखिल किया जाना चाहिए और हस्तगत रूप से संसाधित किया जाना चाहिए। इसलिए, एक फेसलैस आईटी इंटरफेस की अपेक्षा कर अधिकारी के साथ परिहार्य इंटरफेस की आवश्यकता दर्शाते हुए, जीएसटी पोर्टल पर प्रतिदाय आवेदन फाइल करने के लिए करदाताओं के लिए और मैन्युअल प्रोसेसिंग के लिए क्षेत्राधिकार कर अधिकारी को प्रिंट आउट लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कार्यक्षमता आरएफडी-01ए विकसित करके एक वैकल्पिक हल बनाया जिससे हस्तक्षेप रहित ई-कर प्रणाली होने के वास्तविक उद्देश्य विफल हो गये।

¹² यूएटी सॉफ्टवेयर परीक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यूएटी के दौरान, आभासी सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर का परीक्षण, विनिर्देशों के अनुसार वास्तविक दुनिया परिदृश्यों में आवश्यक कार्यों की संभाल कर सकते हैं।

प्रतिदाय आवेदन जो मूल रूप से परिकल्पित कर अधिकारी को ऑनलाइन स्थानांतरित किया जा सकता है, अक्टूबर 2017 में और अगस्त से अक्टूबर 2018 के दौरान शेष सात श्रेणियों¹³ के लिए प्रतिदाय (जैसे सेवाओं का निर्यात-कर के भुगतान के साथ) एक श्रेणी के लिए जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया था। **प्रतिदाय की ऑनलाइन प्रक्रिया से संबंधित बैंक ऑफिस मॉड्यूल तैयार नहीं था (मई 2018)।**

जीएसटीएन के चरणवार कार्यान्वयन योजना के अनुसार, प्रतिदाय के महत्वपूर्ण मॉड्यूल की योजना मूल रूप से चरण-II के लिए बनाई गई थी। जीएसटी परिषद की सिफारिश और भारत सरकार के निर्देशों पर प्रतिदाय कार्यप्रणाली पर काम पहले चरण के साथ शुरू किया गया था। चूँकि मॉड्यूल तैयार नहीं था, तथापि, प्रतिदाय का मैनुअल प्रसंस्करण जारी था।

स्वतः चालित प्रतिदाय आवेदन जोकि कर अधिकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता, उसे अधिकतर मामलों में जीएसटी के लागू होने के एक वर्ष बाद भी आरंभ किया गया था, जबकि माल के आयात पर भुगतान किये गये आईजीएसटी प्रतिदाय को छोड़कर प्रतिदाय की प्रक्रिया अभी भी हस्तगत रूप से की जा रही है। इसने प्रतिदाय माड्यूल की दोषपूर्ण योजना को दर्शाया है।

चरण-III

चरण-III में बीआई, प्रबंधन डैशबोर्ड और डायनामिक रिपोर्टिंग शामिल थी।

जीएसटीएन के प्रबंधित सेवा प्रदाता मैसर्स इन्फोसिस को सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर 50 बीआई रिपोर्टें प्रदान करनी थीं जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सीबीआईसी से 500 प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाना था। ये रिपोर्टें

¹³ (i) इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही में अतिरिक्त शेष राशि, (ii) कर के भुगतान के बिना माल/सेवाओं का निर्यात, अर्थात्, आईटीसी संचयन, (iii) कर निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/अपील/किसी अन्य आदेश के कारण, (iv) विपरीत कर संरचना के कारण संचित आईटीसी, (v) एसईजेड यूनिट/एसईजेड डेवलपर (कर के भुगतान के साथ) को की गई आपूर्ति के कारण, (vi) एसईजेड इकाई/एसईजेड डेवलपर (कर के भुगतान के बिना) और (vii) एक अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के कारण जो बाद में अंतर-राज्यीय आपूर्ति और इसके विपरीत (पीओएस का परिवर्तन) माना जाता है।

डेटाबेस में विसंगतियों की पहचान के लिए विवरणी, पंजीकरण, भुगतान और ई-वे बिल डेटा के विश्लेषण पर आधारित थीं और जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी ई-वे बिल डेटा जैसे आईटीसी बेमेल और अन्य विसंगतियों का पता लगाने के लिए डेटा की तुलना की जा सके। प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के अनुसार, रिपोर्टों की आवश्यकता के आधार पर बीआई की निष्पादन योजना को अंतिम रूप दिया जाना था। जीएसटीएन अक्टूबर 2018 तक आवश्यक बीआई रिपोर्टों की पहचान करने की प्रक्रिया में था और इसलिए, निष्पादन योजना केवल तैयारी चरण के तहत थी, कार्यान्वयन के लिए किसी समय-सीमा को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

जीएसटी पोर्टल को आंशिक रूप से आरंभ करने के लिए जीएसटीएन की प्रतिक्रिया और हमारी टिप्पणियां

जब हमने (नवंबर 2018) जीएसटी पोर्टल के चरण-वार कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख किया, जीएसटीएन ने कहा (जनवरी 2019) कि जीएसटी जुलाई 2017 से शुरू किया जाना था और दिसंबर 2016 में एसआरएस के खत्म करने के बाद परिवर्तन किए गए थे। इसलिए, चरण-1 की कार्यप्रणालियों के कार्यान्वयन को पुनः प्राथमिकता दी गई थी। नियमों, अधिसूचनाओं और जीएसटी परिषद के निर्णयों में लगातार बदलावों के मद्देनजर चरण-1 और ॥ दोनों के लिए परिवर्तन अनुरोध (सीआर) की योजना बनाई गई थी और जीएसटी पोर्टल में निरंतर आधार पर लागू किया गया था।

जीएसटीएन का उत्तर अग्रिलिखित तथ्यों के मद्देनजर देखा जाना चाहिए:-

- i. जहां तक वित्त पोषण और मानव संसाधन क्षमता का संबंध है, कोई अपर्याप्तता नहीं थी।
- ii. नियमों, प्रारूपों में तीव्र और पुनरावर्ती परिवर्तनों हेतु गुजांईश और आईटी प्रणाली सक्षम बनाने में परिणामी परिवर्तनों की अपेक्षा थी और जीएसटी व्यवस्था की वर्तमान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का सुगम पारगमन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना संचालन प्रणाली में ध्यान रखा जाना चाहिए था।
- iii. कार्यान्वित प्रणालियों में और उसके बाद किए गए परिवर्तनों में भी कमियां देखी गई थीं जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय-॥ में सुचित किए गए 'जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से देखा जा सकता

है। जीएसटीएन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की सूचना दिए जाने के बाद भी इस लेखा परीक्षा द्वारा बताई गई कमियां कुछ मामलों में दूर नहीं की गईं।

- iv. जीएसटीएन प्रबंधन को जीएसटी परिषद/सरकार द्वारा दी गई गतिविधियों के लिए व्यापक समय-सीमा के भीतर कार्यात्मकता के कार्यान्वयन के लिए अपनी स्वयं की समय-सीमा तय करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

जीएसटीएन ने डीओआर (जून 2019) द्वारा समर्थित अपने जवाब में कहा कि, आईटी बिजनेस प्रक्रियाओं के पंजीकरण, भुगतान और विवरणी की तैयारी प्रारूप व्यवसाय प्रक्रिया दस्तावेज और मॉडल जीएसटी अधिनियमों के आधार पर शुरू की गई थी, जो अप्रैल से अक्टूबर 2015 और जून 2016 के दौरान प्रदान की गई थी। इसके बाद, जीएसटी नियम दिसंबर 2016 और जनवरी 2017 में सार्वजनिक ज्ञानक्षेत्र में दर्शाये गए थे। ये पूर्ण नियम नहीं थे और इसे जनता की टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया गया था। करदाताओं और कर सलाहकारों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, इन नियमों में परिवर्तन किये गये थे। इसलिए, 2015 और जून 2016 में प्रदान की गई प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन अपरिहार्य थे। यद्यपि जीएसटीएन ने उचित योजना और निगरानी तंत्र तैयार किया था, तब भी, कानून और नियमों की विकसित प्रकृति के कारण योजना में संशोधन किया गया है।

यह भी कहा गया था कि उन्होंने एक जटिल जीएसटी प्रणाली की आईटी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है और कर विभागों, बैंकों, लेखा अधिकारियों और अन्य हितधारकों की विभिन्न प्रणालियों के साथ एकीकृत किया है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि जीएसटी के रूप में जटिल प्रणाली के लिए देरी और परिवर्तन पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं हैं। जीएसटीएन संगठन विशेष रूप से मार्च 2013 में जीएसटी के लिए आईटी दृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था और जीएसटी को मूल रूप से आरंभ करने से चार साल पहले से अस्तित्व में है। इसलिए यह माना जाएगा कि वे इस विशाल कर सुधार के लिए तैयारी कर रहे थे। **जीएसटीएन का अधिनियम/नियम प्रावधानों में लगातार परिवर्तन प्रणाली के विकास में देरी को कारण बताने से यह संकेत**

मिला कि जीएसटी की उभरती प्रकृति परियोजना प्रबंधन में कारक नहीं थी। जीएसटी प्रतिदाय को रोकने के कारण करदाताओं, विशेष रूप से निर्यातकों को नुकसान उठाना पड़ा, जो प्रतिदाय मॉड्यूल की दोषपूर्ण योजना के कारण था।

प्रणाली की दक्षता इसके विकास में शामिल सभी हितधारकों की संयुक्त जिम्मेदारी है। जीएसटी के कार्यान्वयन और प्रगति की भी नियमित रूप से डीओआर द्वारा निगरानी की जा रही थी, जिसे जीएसटी आरंभ करने के लिए समय-सीमा के बारे में जानकारी थी। प्रणाली की अक्षमताओं से पता चलता है कि वह न केवल सिस्टम डिजाइन में विफल थी बल्कि जीएसटीएन द्वारा इसका परीक्षण और अखिल भारत में प्रारंभ करने से पहले कर विभागों द्वारा स्वीकृति में भी विफल थी। इस प्रकार, जिस कार्यपालिका ने विकसित प्रणाली का समर्थन किया है, वह सामने आ रही समस्याओं के लिए समान रूप से जवाबदेह है।

1.6.3 निष्कर्ष और सिफारिशें:

भारत में जीएसटी का कार्यान्वयन शायद दुनिया में सबसे बड़ा कर सुधार है और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, डीओआर, सीबीआईसी, जीएसटीएन व वह व्यवसाय जो तैयार थे, सम्मिलित सभी हितधारकों द्वारा किए जा रहे प्रयास जो इसे सम्भव बना रही है, सराहनीय है। जीएसटी के आगमन ने वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक आम राष्ट्रीय बाजार प्रदान किया है और जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए कुछ वस्तुओं/क्षेत्रों को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की मूल्य श्रृंखला में आईटीसी प्रदान करके कर सौपान को कम करने का मार्ग प्रशस्त किया है। जीएसटी ने देश भर में कर दरों के साथ-साथ पंजीकरण फॉर्म, प्रतिदाय और बीजक के प्रारूपों में एकरूपता को बढ़ाया है। ई-वे बिलों ने अधिकतर मानवीय चेक पोस्टों को बदल दिया है।

एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां सरकार पूरी क्षमता से जीएसटी प्रारंभ करने में सक्षम नहीं है, वहां सरलीकृत कर अनुपालन व्यवस्था है। नीचे दी गई चार्ट सं. 4 दर्शाता है कि जीएसटी फ्रंट में क्या हुआ और यह जीएसटी कर अनुपालन प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है:

चार्ट सं.4: जीएसटी अनुपालन



विवरणी तंत्र की जटिलता और तकनीकी गड़बड़ियों के परिणामस्वरूप जीएसटी विवरणी (जीएसटीआर-1, 2 और 3) का उपयोग करते हुए, बीजक मिलान के आधार पर मूल रूप से परिकल्पित सिस्टम-सत्यापित आईटीसी को रोक दिया गया। सारांश स्व-मूल्यांकन जीएसटीआर-3बी विवरणी, एक 'स्टॉप गैप' उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार आज की प्रचलित प्रणाली बीजक की एक आईटी आधारित जाँच के बिना एक असत्यापित प्रतिदाय है, और इससे आईटीसी धोखाधड़ी की संभावना है। स्व-सुधार प्रणाली, जैसा कि मूल रूप से परिकल्पित है, स्थापित नहीं है और इससे आईटी आधारित इंटरफेस के बजाय परिहार्य निर्धारित-कर अधिकारी भौतिक इंटरफेस को जारी रखने का कारण है। बीजक मिलान और प्रतिदाय, आकलनों आदि के स्व-जनन के बिना, परिकल्पित जीएसटी कर अनुपालन प्रणाली गैर-कार्यात्मक है।

राज्यों को आईजीएसटी का निपटान भी प्रभावित होता है क्योंकि आईजीएसटी निपटान रिपोर्ट विवरणी से प्राप्त डेटा और अपील और प्रतिदाय जैसे मॉड्यूल से भी जुड़ी हुई थी।

कुल मिलाकर, जब एक प्रमुख प्रणाली परिवर्तन आरंभ होने वाला था और कुछ समय से विचार किया जा रहा था, यह अपेक्षा की गई थी कि इस परिवर्तन को संभव बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास किये गये होंगे। यह समझा जाता है कि अखिल-भारतीय प्रभाव के साथ कर प्रशासन में एक बड़े परिवर्तन में कुछ प्रारंभिक समस्याएं हो सकती हैं। अब किए जाने वाले परिवर्तनों की सीमा,

प्रणाली के प्रमुख पहलुओं के निरस्तीकरण के साथ-साथ, हालांकि, डीओआर, सीबीआईसी और जीएसटीएन जैसे हितधारकों के बीच अपर्याप्त समन्वय के साथ-साथ प्रारंभ करने से पहले पर्याप्त रूप से प्रणाली की कोशिश करने में विफलता को दर्शाती है। जीएसटी पोर्टल, जहां तक कार्यान्वित है, जीएसटी अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं था और इस प्रतिवेदन के अध्याय III में कुछ क्षेत्रों में परिचालन की कमी और सिस्टम डिजाइन की कमी से भरा था जैसा कि हमारे आईटी लेखापरीक्षा निष्कर्षों में बताया गया, बताया गया है।

कर के भुगतान और निपटान की प्रणाली जो जीएसटी के लिए परिकल्पित थी, वह एक सौ प्रतिशत बीजक-मिलान और इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाने साथ ही बीजक मिलान के आधार पर आईजीएसटी के निपटान पर आधारित थी। दोनों में से अभी तक कुछ भी संभव नहीं है चूंकि बीजक मिलान प्रणाली को शुरू नहीं किया गया है। इस प्रतिवेदन में बीजक मिलान की महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में पहचान की गयी है जिससे इस प्रमुख कर सुधार के पूरे लाभ प्राप्त होंगे। यह केन्द्र और राज्य दोनों के कर राजस्व की रक्षा करेगा, यह आईजीएसटी के उचित निपटान की ओर अग्रसर करेगा, भले ही समाप्त न करे, परन्तु कर अधिकारी करदाता प्रासंग में कमी लाएगा। वास्तव में मानवीय प्रणाली में समझा जाने वाला 'मूल्यांकन' भी आगे आवश्यक नहीं होगा (विवरणियां स्वयं ही एक ऐसी प्रणाली से तैयार की जा सकती हैं जो बीजकों का मिलान करती हों) और अपवंचन आदि के मामलों को, विशाल डेटा, जो करोड़ों बीजकों से उत्पन्न होता है, का विश्लेषणात्मक उपकरणों और एआई लागू कर के पता लगाया जा सकता है।

अध्याय II: राजस्व और विवरणी दाखिला की प्रवृत्ति

इस अध्याय में भारत सरकार के जीएसटी राजस्व, आईजीएसटी का लेखांकन और विवरणी दाखिला की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है।

2.1 राजस्व प्रवृत्ति

2.1.1 भारत सरकार के समग्र संसाधन

संघ सरकार के कर राजस्व में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्ति शामिल थी। जीएसटी से पूर्व, अप्रत्यक्ष करों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क शामिल थे। जीएसटी के लागू होने के बाद, पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को जीएसटी से बदल दिया गया है। पेट्रोलियम उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता रहा और तम्बाकू को जीएसटी के साथ-साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीन किया गया। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए संघ सरकार का समग्र कर राजस्व नीचे दी गई तालिका संख्या 2 में दिया गया है:-

तालिका संख्या 2: भारत सरकार के संसाधन

(₹ करोड़ में)

| कर घटक | 2016-17 (जीएसटी पूर्व) | 2017-18 (जीएसटी के बाद) |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| क. कुल राजस्व प्राप्तियां | 22,23,988 | 23,64,148 |
| i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ | 8,49,801 | 10,02,738 |
| ii. अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां | 8,66,167 | 9,16,445 |
| iii. गैर-कर प्राप्तियां | 5,06,721 | 4,41,383 |
| iv. अनुदान-सहायता और योगदान | 1,299 | 3,582 |
| ख. विविध पूंजी प्राप्तियां | 47,743 | 1,00,049 |
| ग. ऋणों की वसूली और अग्रिम | 40,971 | 70,639 |
| घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां | 61,34,137 | 65,54,002 |
| भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ) | 84,46,839 | 90,88,838 |

स्रोत: संबंधित वर्षों के केन्द्रीय वित्त लेखा।

2016-17 से 2017-18 में संघ सरकार की समग्र प्राप्तियों में ₹ 6,41,999 करोड़ की वृद्धि हुई। कुल राजस्व प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी 2016-17 में 38.95 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 38.76 प्रतिशत के साथ लगभग स्थिर बनी हुई है। अप्रत्यक्ष करों में 2016-17 से 2017-18 में

5.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि 2016-17 के दौरान यह वृद्धि दर 21.33 प्रतिशत थी। जीएसटी राजस्व के विवरण पर आगामी पैराओं में चर्चा की गई है।

2.1.2 भारत सरकार का जीएसटी राजस्व: बजट अनुमान बनाम वास्तविक प्राप्ति

बजट अनुमानों और वास्तविक जीएसटी प्राप्तियों की एक तुलना नीचे तालिका सं. 3 में दर्शायी गई है।

तालिका संख्या 3: बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक प्राप्ति (जीएसटी)

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | बजट अनुमान (बीई) | | | संशोधित अनुमान (आरई) | | | वास्तविक | | |
|---------|-----------------------|----------|--------|----------------------|----------|--------|-----------|-----------|--------|
| | सीजीएसटी | आईजीएसटी | उपकर | सीजीएसटी | आईजीएसटी | उपकर | सीजीएसटी | आईजीएसटी | उपकर |
| 2017-18 | कोई बीई नहीं केवल आरई | | | 2,21,400 | 1,61,900 | 61,331 | 2,03,261 | 1,76,688* | 62,612 |
| 2018-19 | 6,03,900 | 50,000 | 90,000 | 5,03,900 | 50,000 | 90,000 | 4,57,535# | 28,947# | 95081# |

स्त्रोत: संघ वित्त लेखाओं और संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेजों की प्राप्ति

* राज्यों को ₹ 67,998 करोड़ सौंपे और शेष ₹ 1,08,690 करोड़ केन्द्र द्वारा रखे गये

मार्च 2019 के अनंतिम आंकड़े जो सीजीए वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जैसा कि ऊपर तालिका 3 से देखा जा सकता है, सीजीएसटी राजस्व अनुमानों से कम था और 2018-19 के अनंतिम आंकड़े भी संकेत देते हैं कि सीजीएसटी राजस्व आरई के लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं जो सीजीएसटी के मूल बीई की तुलना में ₹ एक लाख करोड़ कम है। आईजीएसटी के विवरणों की आगामी पैराओं में चर्चा की गई है।

2.1.3 आईजीएसटी का लेखांकन और संव्यवहार

आईजीएसटी, अंतर-राज्यीय आपूर्ति और वस्तुओं और सेवाओं के आयात / निर्यात पर उद्ग्रहित किया जाता है और भारत सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है जैसा कि आईजीएसटी अधिनियम में निर्दिष्ट है; संघ और राज्यों के बीच बांटा जाता है। आईजीएसटी को शुरू में भारत के समेकित निधि में मुख्य शीर्ष मुख्य शीर्ष 0008 के तहत एकत्र किया गया और फिर एक बार जब करदाता इसे आगे की आपूर्ति पर सीजीएसटी / एसजीएसटी / यूटीजीएसटी का भुगतान करने के लिए आईटीसी के रूप में उपयोग करता है (यहाँ आईटीसी क्रॉस उपयोग के रूप में संदर्भित किया गया है), सीएफआई या संबंधित राज्य सरकार के एसजीएसटी शीर्ष के अंतर्गत सीजीएसटी/जीएसटी से प्रासंगिक

खाताशीर्ष अर्थात् सीजीएसटी/यूटीजीएसटी में राशि हस्तांतरित की जाती है। इसके अलावा, जब किसी कारण से आगे के उपयोग के लिए आईजीएसटी का आईटीसी अयोग्य हो जाता है या व्यपगत हो जाता है (आईटीसी श्रृंखला को टुटना), तो संघ और राज्यों के बीच विभाजित किया जाएगा। आईटीसी प्रति उपयोगिता और विनियोग राशि हर महीने एक एल्गोरिथम का उपयोग करके प्राप्त की जाती है जो जीएसटी पोर्टल पर दाखिल विवरणी के आधार पर चलती है।

आईजीएसटी के लिए लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, आईजीएसटी के तहत संग्रहण मुख्य शीर्ष 0008 के तहत बुक किए जाने हैं, जिसमें सामानों और सेवाओं के आयात / निर्यात पर आईजीएसटी की बुकिंग के लिए उप मुख्य शीर्ष '01' और सामानों और सेवाओं की घरेलु आपूर्ति पर आईजीएसटी के लिए '02' हैं। आईटीसी प्रति उपयोगिता के साथ-साथ सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को अलग-अलग आईजीएसटी के विभाजन को इन शीर्षों के अंतर्गत रखकर लघु शीर्ष उपलब्ध कराये गये हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए केंद्र सरकार के वित्त खातों में मुख्य शीर्ष 0008 के अंतर्गत बुक की गई प्रविष्टियों की सूची नीचे तालिका 4 में दी गई है:-

तालिका संख्या 4: मुख्य शीर्ष 0008 आईजीएसटी के तहत बुकिंग

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 0008-01 माल के आयात / निर्यात और सेवाओं पर आईजीएसटी | 0008-02 वस्तुओं और सेवाओं की घरेलु आपूर्ति पर आईजीएसटी | कुल |
|-------------------------------------|---|--|--------------|
| साल के दौरान संग्रहण | 2,02,141 | 1,80,485 | 3,82,626 |
| आईटीसी प्रति उपयोगिता | शून्य | (-)1,45,350 | (-)1,45,350* |
| आईजीएसटी का विभाजन | शून्य | (-)25,587 | (-)25,587* |
| निपटान और विभाजन के बाद शेष | 2,02,141 | 9,547 | 2,11,688 |
| अग्रिम विभाजन | शून्य | (-)35,000 | (-) 35,000 |
| अग्रिम विभाजन के बाद शेष | 2,02,141 | (-) 25,453 | 1,76,688 |
| राज्यों को सौंपा गया हिस्सा (अंतरण) | (-) 67,998 | शून्य | (-)67,998 |
| | 1,34,143 | (-)25,453 | 1,08,690 |

*इस प्रतिवेदन के अध्याय III में रिपोर्ट किया गया है कि आईजीएसटी निपटान/ प्रभाजन एल्गोरिथम की अशुद्धता और कमियों के तहत आईजीएसटी

निपटान और प्रभाजन की सटीकता को जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के भाग के रूप में पहचान की गई है।

जैसा कि तालिका सं. 4 से देखा जा सकता है, उप मुख्य शीर्ष 02 (घरेलु सामान और सेवाओं की आपूर्ति पर आईजीएसटी) के अंतर्गत ₹ 1,80,485 करोड़ के संग्रहण के प्रति ₹ 1,45,350 करोड़ और इन समायोजनों के बाद ₹ 9,547 करोड़ शेष छोड़ते हुए विभाजन के प्रति ₹ 25,587 आईटीसी प्रति उपयोगिता के संबंध में आईजीएसटी से बाहर हस्तांतरित किये गये।

उप-मुख्य शीर्ष 01 (माल और सेवाओं के आयात निर्यात) पर आईजीएसटी से विभाजन या आईटीसी प्रति उपयोग के लिए कोई समायोजन नहीं किये गये थे हालांकि वर्ष के दौरान ₹ 2,02,141 करोड़ की राशि एकत्र की गई थी। आयात और प्रतिदाय के डेटा के गैर-उपयोग के कारण आईजीएसटी एल्गोरिथम में कमियों पर जीएसटी इस रिपोर्ट के अध्याय III के (भाग सी का संदर्भ ले) की आईटी लेखापरीक्षा पर हमारी टिप्पणियों के भाग के रूप में टिप्पणी की गई है।

आईजीएसटी में काफी शेष के कारण, जीएसटी परिषद ने जनवरी 2018 में आयोजित 25वीं बैठक में केंद्र और राज्यों को अनंतिम आधार पर 35,000 करोड़ रुपये के अग्रिम निपटान की सिफारिश की। इस अग्रिम का निपटान को आधार के रूप में जीएसटी में शामिल करों से राज्यों के राजस्व 2015-16 में लेते हुए किया गया था और 2018-19 में राज्यों के बकाया नियमित निपटान के प्रति दस बराबर किशतों में समायोजित करने का प्रस्ताव किया गया था।

इस अग्रिम निपटान के बाद वर्ष के अंत में आईजीएसटी में ₹ 1,76,688 करोड़ शेष था। भारत सरकार ने केंद्रीय करों के अंतरण के लिए वित्त आयोग सूत्र अपनाते हुए राज्यों / संघशासित प्रदेशों को आईजीएसटी के तहत ₹ 67,998 करोड़ सौंपे। **आईजीएसटी का अंतरण भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है क्योंकि संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले करों और कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 269 (ए) (अर्थात् आईजीएसटी) के तहत लगाए गए शुल्कों को से संविधान के अनुच्छेद 270 (1) में शामिल नहीं किया जाता है।** जब मंत्रालय ने आईजीएसटी की लेखांकन प्रक्रिया को सीएजी के पास अनुमोदन के लिए भेजा, तो जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित केंद्र और राज्यों की आईजीएसटी की अग्रिम प्रभाजन के लिए प्रक्रिया को सीएजी द्वारा सहमती दी गई थी। लेकिन सीएजी द्वारा विचलन की प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त नहीं की गई थी कि आईजीएसटी का विचलन भारत के संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध था।

इसके अलावा, वित्त आयोग के सूत्र का उपयोग करने वाले फंडों के अंतरण का प्रभाव राज्यों के बीच आईजीएसटी फंडों के वितरण पर भी पड़ता है, जो उस अनुपात से काफी भिन्न स्वरूप में जिसमें निधि सामान्य रूप से राज्यों में चले जाती थी, क्योंकि आईटीसी प्रति-उपयोगिता या विभाजन आपूर्ति अवधारणा पर आधारित होती है।

जब हमने (अप्रैल 2019) में यह बताया और वित्त मंत्रालय ने सूचित (मई 2019) किया कि 2017-18 में आईजीएसटी का विचलन किया गया था, तो कानून और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग से औपचारिक राय लेने के बाद, आईजीएसटी शेष के लेखांकन के लिए लंबित लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना था। यह आगे कहा गया कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 49(5) को संशोधित (अगस्त 2018) किया गया, जो प्रावधान करती है कि आईजीएसटी की आईटीसी का पहले उपयोग हो और तब केवल सीजीएसटी/ एसजीएसटी का भुगतान सीजीएसटी और एसजीएसटी को आईटीसी का उपयोग करे। आईजीएसटी के तेजी से निपटारों को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि 2018-19 के दौरान शेष आईजीएसटी के रूप में विकसित नहीं किया गया है जैसा कि 2017-18 में किया गया था और नियमित निपटान के बाद आईजीएसटी शेष उपलब्ध है और प्रतिदाय को अनंतिम रूप से लागू किया जा रहा है।

वर्ष 2017-18 के दौरान अवक्रमित आईजीएसटी राशि के अधिकार को स्थापित करने के लिए इसके द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई के पहलू पर मंत्रालय का जवाब मौन है। आईजीएसटी अधिनियम की धारा 49(5) में संशोधन जैसे कदम आईजीएसटी के तेजी से उपयोग का प्रावधान करती है और 2018-19 के दौरान आईजीएसटी शेष के अनंतिम निपटान केवल 2018-19 में आईजीएसटी के निपटान को प्रभावित करेगा। आईजीएसटी शेष के वितरण के लिए वित्त आयोग के सूत्र को अपनाने के कारण राज्य के राजस्वों पर प्रभाव के पहलू पर मंत्रालय का जवाब भी मौन था।

यहां पर उल्लेख करना उचित होगा कि 12 फरवरी 2019 को संसद के पटल पर रखी गई संघ सरकार के लेखा (2019 की रिपोर्ट सं. 2) पर सीएजी की रिपोर्ट में, यह सलाह दी गई थी कि भारत सरकार को अपने हिस्से का सही तरीके से लेखा रखना चाहिए और केन्द्रीय हिस्से से ही विचलन होना चाहिए और जीएसटी अधिनियम के अनुसार राज्यों को शेष 50 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। इसे देखते हुए, केन्द्र के व्यय के रूप में परिणामी समायोजन की विधिवत बुकिंग के लिए आईजीएसटी के राज्यों की हिस्सेदारी को ठीक से लेखांकित करना चाहिए।

2.1.4 वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर राजस्व की तुलना

भारत सरकार के अप्रत्यक्ष कर संग्रहणों की तुलना माल और सेवाओं पर जीएसटी पूर्व और बाद में करने के लिए, जैसा कि नीचे दी गई तालिका संख्या 6 में दिखाया गया है, हमने राजस्व जीएसटी में शामिल केंद्रीय करों के सभी घटकों से संबंधित माना है।

- 2016-17 के लिए: 2016-17 के सीवीडी और एसएडी के केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क के शामिल किए गए घटक और
- 2017-18 के लिए: 2017-18 की प्रथम तिमाही में संग्रहित करों के अतिरिक्त 2017-18 हेतु वर्ष अंत में आईजीएसटी शेष में सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और केंद्र के हिस्से के साथ-साथ 2017-18 की शेष अवधि के दौरान शामिल करों से संबंधित बकाया का संग्रहण शामिल है। राज्यों को विचलन के बाद केन्द्र द्वारा प्रतिधारित आईजीएसटी का शेष हिस्सा है।

मार्च के लिए जीएसटी राजस्व अप्रैल में देय था, जबकि मार्च का राजस्व केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के मामले में भी मार्च में ही देय था। इसलिए अप्रत्यक्ष करों की राजस्व वृद्धि की एक उचित तुलना के लिए, हमने अप्रैल 2018 में एकत्र किए गए केंद्र के मार्च 2018 जीएसटी राजस्व को भी माना है जैसा कि नीचे दी गई तालिका सं. 5 के कॉलम 4 में दिखाया गया है:

तालिका संख्या 5: वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर राजस्व की तुलना
(₹ करोड़ में)

| कर घटक | वर्ष | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016-17 | 2017-18 | 2017-18* |
| पेट्रोलियम और तंबाकू के अलावा अन्य सामान पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क | 1,16,901 | 9,034 | 9,034 |
| सेवा कर | 2,54,499 | 81,229 | 81,229 |
| केंद्रीय जीएसटी कर (सीजीएसटी और यूटीजीएसटी) | 0 | 2,04,896 | 2,37,075 |
| आईजीएसटी** | 0 | 1,08,690 | 1,08,690 |
| सीवीडी और एसएडी का सीमा शुल्क | 1,51,927 | 43,092 | 43,092 |
| केंद्रीय विक्रय कर | 495 | 102 | 102 |
| शामिल मद राजस्व | 5,23,822 | 4,47,043 | 4,79,222 |
| 18-19 के पहले 17-18 में जीएसटी शामिल मदों हेतु राजस्व अंतर | | -76,779 | -44,600 |
| 18-19 से 17-18 में जीएसटी शामिल मदों हेतु राजस्व अंतर (प्रतिशत) | | -15 | -10 |

* मार्च 2018 जीएसटी जो अप्रैल 2018 में एकत्र किया गया

** केंद्र द्वारा रखी गई वर्ष के अंत में शेष राशि, जैसा कि पैरा 1.7.4 में व्याख्या की गई

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, जीएसटी के लागू करने के बाद, माल और सेवाओं पर राजस्व (पेट्रोलियम और तंबाकू पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का छोड़कर) 2016-17 में शामिल करों के राजस्व की तुलना में 2017-18 में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल 2018 में एकत्रित सीजीएसटी के मार्च 2018 के राजस्व जोड़ने के बाद भी, राजस्व में 10 प्रतिशत की सीमा तक गिरावट रही है। क्या राजस्व में इस तरह की गिरावट के कारण, के विश्लेषण किए गए और विश्लेषण के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई पर मंत्रालय से उत्तर मांगा गया और उत्तर प्रतीक्षित था।

2.1.5 लोक लेखों में क्षतिपूर्ति उपकर का लघु अंतरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के प्रावधानों जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम और भारत के सीएजी द्वारा समहति पर क्षतिपूर्ति उपकर के लिए लेखांकन प्रक्रिया, के अनुसार, मुआवजा उपकर लोक लेखों में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। हालाँकि, वित्त लेखा 2017-18 से, यह देखा गया कि लोक लेखों के मुआवजा उपकर के ₹ 6,466 करोड़ के कम स्थानांतरण किये। इस के अतिरिक्त देखा गया कि सहमत लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को मुख्य शीर्ष 2047-अन्य राजकोषीय सेवाओं, लघु शीर्ष 797-आरक्षित निधि में डेबिट के स्थानांतरण करके लोक लेखों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हालाँकि, वित्त लेखा 2017-18 के अनुसार, मुख्य शीर्ष 2047 में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई थी।

मंत्रालय की ओर से (फरवरी 2019) के लिए इन कारणों का उत्तर नहीं दिया गया था और उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

2.1.6 संक्रमणकालीन क्रेडिट, प्रतिदाय और संग्रहण लागत

(ए) संक्रमणकालीन क्रेडिट्स, (बी) करदाताओं द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय, संसाधित और लंबित और (सी) संग्रह की लागत के आंकड़ें मंत्रालय द्वारा प्रदान नहीं किये गये हैं। इसलिए हम इसका विश्लेषण नहीं कर पाए और इस रिपोर्ट में शामिल हैं।

2.2 जीएसटी पंजीकरण

2.2.1 पैन-इंडिया जीएसटी पंजीकरण

जीएसटी के तहत श्रेणी-वार पंजीकरण नीचे तालिका 6 में दिए गए हैं:-

तालिका संख्या 6: पंजीकरण का विवरण


| पंजीकर्ता की श्रेणी | पंजीकर्ता की संख्या | कुल का प्रतिशत |
|------------------------------------|---------------------|----------------|
| सामान्य करदाता | 1,00,49,983 | 84.05 |
| कम्पोजिशन करदाता | 17,48,885 | 14.63 |
| स्रोत पर कर कटौतीकर्ता | 1,40,930 | 1.18 |
| स्रोत पर टैक्ट संग्रहणकर्ता | 5,500 | 0.05 |
| इनपुट सेवा वितरक | 8,885 | 0.06 |
| अन्य (आकस्मिक, एनआरटीपी, ओआईडीएआर) | 1,741 | 0.01 |
| कुल पंजीकरण | 1,19,55,924 | |

स्रोत: जीएसटीएन दैनिक सारांश रिपोर्ट

28 फरवरी 2019 को जीएसटी के तहत कुल पंजीकरण 1.20 करोड़ थे, जिनमें से सामान्य करदाताओं का 84.05 प्रतिशत और कंपोजिशन करदाताओं का लगभग 14.63 प्रतिशत था। 59,74,885 को पूर्व-जीएसटी शासन से विस्थापित किया गया था, कुल पंजीकरण लेखांकन लगभग 50 प्रतिशत थे जबकि शेष नए पंजीकरण थे।

निम्नलिखित चार्ट सं. 5 में इन दो श्रेणियों के तहत 90 प्रतिशत पंजीकरण करते हुए हैं शीर्ष 16 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (यूटीज) में सामान्य करदाताओं और कम्पोजिशन डीलरों के वितरण को दर्शाया गया है:-


चार्ट सं. 5: सामान्य बनाम कम्पोजिशन करदाता



स्रोत: 28 फरवरी 2019 को जीएसटीएन रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त सांख्यिकीय डेटा।

2.2.2 सामान्य करदाताओं का वितरण

लेखाचित्र सं. 1: सामान्य करदाताओं का वितरण



स्रोत: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीएन रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त सांख्यिकीय डेटा


क्षेत्र एक प्रतिशत से कम पंजीकरण श्रेणी में थे।

28 फरवरी 2019 तक पूरे भारत में सामान्य करदाताओं के वितरण। चित्र ग्राफ सं. 1 (परिशिष्ट-III में सांख्यिकीय जानकारी) में चित्रित किया गया है।

सामान्य करदाताओं की श्रेणी में, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 10 प्रतिशत से अधिक की श्रेणी में आने वाले शीर्ष राज्यों में शामिल थे और इन दोनों राज्यों का देश में कुल करदाता पंजीकरण का 24.51 प्रतिशत था। सोलह राज्य / संघ राज्य

2.2.3 कंपोजिशन कर दाताओं का वितरण

लेखाचित्र सं. 2: कंपोजिशन कर दाताओं का वितरण



स्रोत: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीन रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त सांख्यिकीय डेटा

कंपोजिशन करदाताओं का वितरण, जिन्होंने 28 फरवरी 2019 तक पूरे भारत में कंपोजिशन लेवी का विकल्प चुना को सचित्र लेखाचित्र सं. 2 में (परिशिष्ट-III में सांख्यिकीय जानकारी) में चित्रित किया गया था।

उत्तर प्रदेश में कुल कम्पोजिशन करदाताओं का 20 प्रतिशत हिस्सा है, और इसके बाद राजस्थान (9.2 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (8.9 प्रतिशत) हैं। पंद्रह राज्य / संघ राज्य क्षेत्र एक प्रतिशत से कम श्रेणी में आते हैं।

2.3 जीएसटी विवरणी दाखिला करने का तरीका

2.3.1 जीएसटीआर-1 और 3 बी का दाखिला तरीका


अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 की अवधि हेतु 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीआर-1 और 3बी को दाखिला करने की प्रवृत्ति, जैसा कि जीएसटीएन द्वारा साझा की गई सारांश रिपोर्ट से संकलित की गई है, को तालिका सं. 7 में दर्शाया गया है:-

तालिका सं. 7: जीएसटीआर-1 और 3बी का दाखिला पैटर्न

| विवरणी प्रकार | जीएसटीआर-1 | | | जीएसटीआर-3बी | | | | |
|---------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | दाखिला हेतु देय | दाखिला की गई रिटर्न | विवरणी दाखिला करने का प्रतिशत | दाखिला हेतु देय | 28 फरवरी तक दाखिला की गई विवरणी | विवरणी दाखिला करने का प्रतिशत | नियत तिथि से दाखिला की गई विवरणी | नियत तिथि से दाखिला करने का प्रतिशत |
| अप्रैल 18 | 44,96,316 | 27,28,772 | 61 | 88,17,798 | 76,94,460 | 87 | 56,38,813 | 64 |
| मई 18 | 46,82,345 | 27,48,617 | 59 | 91,22,309 | 78,18,233 | 86 | 56,18,925 | 62 |
| जून 18 | 93,16,710 | 70,48,521 | 76 | 93,16,710 | 78,97,701 | 85 | 58,39,034 | 63 |
| जुलाई 18 | 47,75,626 | 27,50,521 | 58 | 94,70,282 | 79,57,565 | 84 | 64,39,259 | 68 |
| अगस्त 18 | 47,26,891 | 27,28,177 | 58 | 96,15,273 | 80,14,906 | 83 | 57,02,349 | 59 |
| सितम्बर 18 | 96,57,239 | 69,98,553 | 72 | 96,57,239 | 80,41,279 | 83 | 64,19,403 | 66 |
| अक्टूबर 18 | 46,09,444 | 26,53,997 | 58 | 97,57,664 | 80,52,558 | 83 | 59,28,822 | 61 |
| नवम्बर 18 | 45,72,118 | 25,83,371 | 57 | 98,46,645 | 79,13,241 | 80 | 63,36,787 | 64 |
| दिसम्बर 18 | 99,01,997 | 64,36,328 | 65 | 99,01,997 | 78,18,108 | 79 | 62,49,078 | 63 |

अप्रैल 2018 के लिए जीएसटीआर-3बी का दाखिला 87 प्रतिशत था जबकि दिसम्बर 2018 के लिए दाखिला प्रतिशत केवल 79 प्रतिशत था। यह देखा गया था कि जीएसटीआर-3बी रिटर्नों को 63 प्रतिशत करदाताओं द्वारा औसतन देय तिथि के भीतर दाखिल किया जा रहा था और 20 प्रतिशत ने नियत तिथि के बाद रिटर्नों को दाखिल किया। अप्रैल से दिसम्बर 2018 के दौरान नियत तारीख तक दाखिल जीएसटीआर-3बी रिटर्नों का प्रतिशत 59 से 68 तक की रेंज से कम प्रतिशत पर रहा था। इस प्रकार, जबकि यह उम्मीद थी कि अनुपालन में सुधार होगा क्योंकि प्रणाली समय बीतने के साथ स्थिर हो जाएगी, यह देखा गया कि नियत तारीख तक जीएसटीआर-3बी के दाखिल करने में कोई सुधार नहीं हुआ था।

चार्ट सं. 6: अप्रैल से दिसम्बर 2018 के लिए जीएसटीआर-1 और 3बी दाखिल करना



स्रोत: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीएन रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त किए गए सांख्यिकीय आंकड़े

- अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान जीएसटीआर-3बी रिटर्नों के अनुरूप दाखिला की तुलना में जीएसटीआर-1 रिटर्नों का दाखिला प्रतिशत शुरू से अन्त तक कम थी। आईटीसी के दावों के साथ रिटर्न दाखिल करने के परिणामस्वरूप जीएसटीआर-3 बी का परिचय हुआ जिसे सत्यापित नहीं किया जा सकता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जीएसटीआर-1 का भी दाखिला खरिज हो गया।
- विवरणी तंत्र में किए गए बदलावों के साथ, जीएसटीआर-1 एकमात्र विवरणी रहा है जो बीजक स्तर का विवरण प्रदान करेगा। इसके अलावा, जीएसटीआर-1 में आपूर्ति की गई जीएसटीआईएन-वार विवरण शामिल हैं, और इसलिए विभिन्न जीएसटीआर-1 से विवरणों को सम्मिलित करके, करदाताओं की एक रूपरेखा तैयार करना संभव होगा, जिनका उपयोग कर जीएसटी के तहत गैर-पंजीकृत या अपने कुल व्यापार की अंडर-रिपोर्टिंग करने वाले योग्य व्यापार को पहचाना जा सकता है।

जीएसटीआर-3बी केवल एक सारांश विवरणी है, जीएसटीआर-1 की शॉर्ट- दाखिला में अंतर्निहित है कि कर विभागों में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल किए गए बीजक स्तर का पूर्ण विवरण नहीं है जिसका उपयोग जीएसटीआर-3बी में दिए गए विवरणों को सत्यापित करने या कुल व्यापार को प्राप्त

करने में किया जा सकता है। जबसे जीएसटीआर-1 की दाखिला अनिवार्य हुई है, कम-दाखिला चिंता का क्षेत्र है और समाधान करने की आवश्यकता है।


- दिलचस्प है कि प्रत्येक तिमाही की समाप्ति में जीएसटीआर-1 दाखिला की प्रतिशतता मासिक दाखिला प्रतिशत से अधिक थी। जैसा कि तालिका संख्या 7 में देखा जा सकता है कि अप्रैल और मई 2018 के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने के कारण क्रमशः 45 लाख और 47 लाख करदाताओं के प्रति, केवल 27 लाख करदाताओं ने इन रिटर्नों को दाखिल किया। लेकिन जून महीने के लिए जिसमें ₹ 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाताओं के विवरणी फाइल करने के लिए बकाया थे (अर्थात् तिमाही विवरणी), जीएसटीआर-1 फाइल करने के कारण कुल करदाता बढ़कर 93 लाख हो गए, जिसके प्रति 70 लाख लोगों द्वारा जीएसटीआर-1 दाखिल किया गया था। ऐसी प्रवृत्ति अगली दो तिमाहियों में भी देखी जा सकती थी।

जीएसटीआर-1 का दाखिला दरों में तिमाही में हुई बढ़ोतरी का कारण ये भी हो सकता है कि (i) ₹ 1.5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों की तुलना में छोटे करदाताओं ने जीएसटीआर-1 दाखिला का बेहतर अनुपालन किया है या (ii) ₹ 1.5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों के मासिक रिटर्नों के बजाय तिमाही विवरणी दाखिला करना है।

- मंत्रालय से (अप्रैल 2019) इस प्रवृत्ति के कारणों की जांच करने का अनुरोध किया और उन करदाताओं के ब्रेक-अप को प्रदान करने के लिए कहा जिसको ₹ 1.5 करोड़ से ऊपर एवं नीचे के टर्नओवर के साथ जीएसटीआर-1 दाखिल करना था, जिन्होंने देय तिथि तक और 31 दिसम्बर 2018 तक रिटर्नों को दाखिल किया। जवाब प्रतीक्षित था (जून 2019)।

2.3.2 जीएसटीआर-1 और 3बी का राज्यानुसार दाखिला पैटर्न

चार्ट सं. 7 दिसम्बर 2018 के लिए जीएसटीआर-1 और 3बी का राज्यानुसार दाखिला पैटर्न



स्रोत: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीएन रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त किए गए सांख्यिकीय आंकड़े

देश भर में जीएसटीआर-1 की दाखिला या राष्ट्रीय औसत (दाखिल किए जाने के लिए देय रिटर्नों की प्रतिशतता के रूप में भरे गए रिटर्नों) दिसम्बर 2018 के महीने के लिए 65 प्रतिशत था। पंजाब में सबसे ज्यादा दाखिला देखे गये (82 प्रतिशत), उसके बाद गुजरात और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में देखे गये (79 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी के राज्यों में, जीएसटीआर-1 का दाखिला ओड़ीसा (48 प्रतिशत), बिहार (50 प्रतिशत), झारखंड (54 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (56 प्रतिशत), तेलंगाना (59 प्रतिशत), गोवा (60 प्रतिशत), कर्नाटक (61 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (62 प्रतिशत) में अखिल भारतीय औसत से कम थे। केन्द्रशासित प्रदेशों में, चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा दाखिला 79 प्रतिशत उसके बाद दमन एवं दीव और दादरा तथा नगर हवेली (75 प्रतिशत) में थे, जबकि पुदुच्चेरी (57 प्रतिशत) में राष्ट्रीय औसत से नीचे दाखिला दर दर्ज की गई।


देश भर में जीएसटीआर-3बी का दाखिला का राष्ट्रीय औसत 79 प्रतिशत है। केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ (89 प्रतिशत) में सबसे ज्यादा दाखिला, उसके बाद पंजाब (88 प्रतिशत), गुजरात (86 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (83 प्रतिशत) में देखा गया था। सामान्य श्रेणी के अधिकतर, राज्यों में जीएसटीआर-3बी का दाखिला की दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर या लगभग समान थी।

मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या जीएसटीआर-1 के इतने कम विवरणी दाखिलों के कारणों का विश्लेषण किया गया है और इस तरह के विश्लेषण के आधार पर कोई कार्रवाई की गई और जवाब प्रतीक्षित था (जून 2019)।

2.3.3 जीएसटीआर-4 का दाखिला

जीएसटीआर-4 का दाखिला की प्रवृत्तियां, अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 तक की अवधि के लिए 28 फरवरी 2019 तक कंपोजिशन द्वारा दाखिल एक तिमाही विवरणी को नीचे चार्ट सं.8 में दिया गया है (परिशिष्ट-IV) में पत्र अनुरूपी सांख्यिकीय विवरण)।

चार्ट सं. 8: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीआर-4 का दाखिला




स्रोत: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीएन रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त किए गए सांख्यिकीय आंकड़े

जबकि कंपोजिशन द्वारा विवरणी दाखिला करना सामान्य करदाताओं (अर्थात जीएसटीआर-1) की विवरणी दाखिला दर से बेहतर प्रतीत होता है और लगभग समान रूप से सामान्य करदाताओं द्वारा सारांश विवरणी (अर्थात जीएसटीआर-3बी) के दाखिलों के साथ, मंत्रालय को जीएसटीआर-4 के दाखिलों में गिरावट के कारणों की जांच करना अपेक्षित था।

दिसम्बर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए जीएसटीआर-4 की राज्यानुसार दाखिला दर, 28 फरवरी 2019 तक नीचे दिए गए चार्ट सं. 9 में दी गई है:-

चार्ट सं. 9: दिसम्बर 2018 के लिए जीएसटीआर-4 की राज्यानुसार दाखिला

जीएसटीआर-4 (तिमाही) राज्यानुसार दाखिला प्रतिशतता बनाम अखिल भारतीय औसत



स्रोत: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीएन रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त किए गए सांख्यिकीय आंकड़े


जीएसटीआर-4 का सबसे अधिक दाखिला पंजाब (88 प्रतिशत) उसके बाद केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ (86 प्रतिशत), गुजरात (85 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (84 प्रतिशत) में देखा गया था। सामान्य श्रेणी के राज्यों में, तेलंगाना (68 प्रतिशत), महाराष्ट्र (70 प्रतिशत) और तमिलनाडु (71 प्रतिशत) का दाखिला दरे 78 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम था जबकि अधिकांश विशेष श्रेणी के राज्यों में जीएसटीआर-4 की दाखिला राष्ट्रीय औसत से कम थी, जम्मू एवं कश्मीर (76 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (84 प्रतिशत) और उत्तराखण्ड (80 प्रतिशत) आदि में दाखिलों की दरे राष्ट्रीय औसत में ऊपर दर्ज की गई।

2.3.4 जीएसटीआर-5, 5ए और 6

जीएसटीआर-5 एक मासिक विवरणी है जो गैर-निवासी कर दाताओं/आकस्मिक कर दाताओं द्वारा दाखिल किया जाता है। भारत में गैर-कर योग्य व्यक्ति को भारत के बाहर से ऑन लाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सेवाएं (ओआईडीएआर) प्रदान करने वालों द्वारा जीएसटीआर-5 दायर किया जाना चाहिए। इनपुट सेवा वितरक द्वारा जीएसटीआर-6 दायर किया जाता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्राप्ति और वितरण का विवरण देता है।

अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 तक की अवधि के लिए 28 फरवरी 2019 को जीएसटीआर-5, 5ए और 6 में दाखिलों की प्रवृत्तियों को नीचे चार्ट सं.10 में दिया गया है (परिशिष्ट-II में अनुरूपी सांख्यिकीय विवरण)।

चार्ट सं.10: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीआर-5, 5ए और 6 का दाखिला



स्रोत: 28 फरवरी 2019 तक जीएसटीएन प्रतिवेदनों के माध्यम से प्राप्त किए गए सांख्यिकीय आंकड़े

जैसा कि ऊपर के लेखाचित्र से देखा जा सकता है, ओआईडीएआर सेवा प्रदाताओं द्वारा जीएसटीआर-5ए के दाखिले ने केवल अप्रैल और मई 2018 में 50 प्रतिशत को पार किया है और जून 2018 से इसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। यह देखते हुए कि केन्द्रीय कर, बेंगलुरु (पश्चिम) के प्रधान आयुक्त द्वारा केन्द्र में सभी ओआईडीएआर करदाताओं के प्रशासन के लिए प्रावधानों के साथ इस श्रेणी के लिए एक अलग पंजीकरण श्रेणी और विवरणी फॉर्म निर्धारित किया गया है, मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि यदि इस तरह के कम विवरणी दाखिलों के कारणों की इस श्रेणी का विश्लेषण किया है तो इस तरह के विश्लेषण के आधार पर की गई कार्रवाई की सूचना दें। इसी प्रकार आईएसडी द्वारा जीएसटीआर-6 के दाखिले के संबंध में विश्लेषण या कार्रवाई की गई, जो लगभग 50 प्रतिशत था, जिसे मंत्रालय से भी मांगा गया है। जवाब प्रतीक्षित था (जून 2019)।

2.4 निष्कर्ष

राजस्व विश्लेषण

- अप्रत्यक्ष कर की वृद्धि 2016-17 से 2017-18 से 5.80 प्रतिशत कम हो गई थी जबकि यह वृद्धि दर 2016-17 में 21.33 प्रतिशत थी।

- जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, वस्तुओं और सेवाओं (पेट्रोलियम और तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बिना) पर केन्द्र के राजस्व में 2016-17 में शामिल करों के राजस्व की तुलना में 2017-18 में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
- भारत सरकार ने वित्त आयोग के फार्मूले के अनुसार राज्यों को वर्ष के अन्त में आईजीएसटी विचलन का सहारा लिया, जो भारत के संविधान और आईजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। इससे राज्यों को निधियों के वितरण का प्रभाव भी पड़ता है जो “प्लेस ऑफ सप्लाई” की अवधारणा के बजाय पूरी तरह से अलग आधार पर है जैसाकि आईजीएसटी अधिनियम में परिकल्पित है।
- 2017-18 के दौरान लोक लेखा से जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के ₹ 6,466 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ।

विवरणी दाखिल करना

- यद्यपि यह उम्मीद थी कि जैसे ही प्रणाली स्थिर होगी अनुपालन में सुधार होगा, सभी विवरणी दाखिल किए जा रहे हैं (जीएसटीआर-1, 3बी, 4, 5ए और 6) ने अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 तक दाखिले की गिरावट को दर्शाया है।
- जीएसटीआर-1 रिटर्नों की दाखिला प्रतिशतता जीएसटीआर-3बी विवरणी के अनुरूप दाखिलों की तुलना में हमेशा से कम थी। जीएसटीआर-3बी आरंभ करने के परिणामस्वरूप आईटीसी दावों के साथ रिटर्नों का दाखिला हुई जिसे सत्यापित किया जा सकता था तथा यह समान जीएसटीआर-1 के दाखिलों का हतोत्साहन प्रतीत होता है। चूंकि जीएसटीआर-1 का दाखिला अनिवार्य है अतः कम-दाखिला चिंता का विषय है तथा इसका समाधान करने की आवश्यकता है।
- जीएसटीआर-3बी केवल एक सारांश विवरणी है, जीएसटीआर 1-के कम-दाखिला का अर्थ है कि कर विभागों के पास आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल किए गए बीजक स्तर का पूरा विवरण नहीं है, जिसका उपयोग जीएसटीआर-3बी में दिए गए विवरणों को सत्यापित करने या टर्नओवर तक पहुँचने के लिए किया जा सकता है।

अध्याय III: जीएसटी आईटी परियोजना का नियोजन और कार्यान्वयन

यह अध्याय जीएसटी आईटी परियोजना के चरण-बद्ध नियोजन और कार्यान्वयन के साथ पंजीकरण और भुगतान मॉड्यूल और आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदनों को शामिल करते हुए जीएसटीएन की हमारी आईटी लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।

3.1 प्रस्तावना

जीएसटी ने देश भर में कर प्रशासन के एकीकरण की परिकल्पना की है, जिसके लिए एक मजबूत आईटी आधार की आवश्यकता है। जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों¹⁴ को एकल और साझा आईटी अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए जीएसटीएन का गठन किया गया था। जीएसटीएन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:-

- किसी भी आईटी संचालित पहलों और सरकार की अन्य ई-शासन पहलों या सरकार के किसी विभाग या एजेंसी, विशेषकर जीएसटी को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आईटी और संचार से संबंधित अवसंरचना को तैयार करने में विभिन्न हितधारकों की सहायता और सहयोग करना;
- वर्तमान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को जीएसटी व्यवस्था में सुचारू रूप से परिवर्तित करना; और
- जीएसटी आईटी प्रणाली के कार्यान्वयन और प्रबंधन सहित विभिन्न हितधारकों को आईटी और संचार संबंधित सेवाएं प्रदान करना।

जीएसटीएन द्वारा विकसित एकल जीएसटी पोर्टल समग्र जीएसटी आईटी इको-प्रणाली के फ्रंट-एन्ड इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और इसमें पंजीकरण आवेदन दाखिल करना, विवरणी दाखिल करना, कर भुगतान के लिए बीजक का सृजन, जीएसटी का भुगतान, आईजीएसटी भुगतान का निपटान

¹⁴ भारत सरकार और राज्य सरकारों के वित्त विभाग, करदाता, सीबीआईसी, राज्य कर प्राधिकरण, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीसीसीए), राज्य कोषागार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अधिकृत बैंक।

और बीआई एवं विश्लेषण को शामिल किया है। मैसर्स इन्फोसिस सिस्टम डेवलपर और व्यवस्थित सेवा प्रदाता (एमएसपी) रही है। सीबीआईसी और राज्य कर विभागों में आईटी प्रणाली को कर प्रशासन के कार्यों जैसे कि पंजीकरण अनुमोदन, निर्धारण, लेखापरीक्षा, अपील प्रवर्तन, न्यायिक निर्णय को संभालने के लिए प्रयोग किया जाता था जबकि नौ राज्य¹⁵ और सीबीआईसी में कर प्रशासन के लिए उनकी अपनी आईटी प्रणालियों को विकसित किया जा रहा है, जीएसटीएन को 20 राज्यों के लिए उक्त का विकास करने का कार्य सौंपा गया था।

3.2 जीएसटीएन का संगठनात्मक ढांचा

संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, कंपनी के निदेशक बोर्ड में न्यूनतम 2 और अधिकतम 14 निदेशक होने चाहिए। जीएसटीएन का अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त अनुमोदन तंत्र के माध्यम से मनोनीत होना चाहिए। बोर्ड को कंपनी के व्यापार के प्रबंधन के लिए बोर्ड के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को नियुक्त करना होगा। मौजूदा संगठनात्मक ढांचे के तहत, सीईओ को कंपनी के विभिन्न कार्यों को देखने वाले कार्यकारी उपाध्यक्ष (ईवीपी) और वरिष्ठ उपाध्यक्ष (एसवीपी) द्वारा मदद की जा रही थी।

जीएसटीएन पर सरकार के नीतिगत नियंत्रण को बोर्ड में पर्याप्त सरकारी प्रतिनिधित्व, महत्वपूर्ण मामलों पर विशेष संकल्प का तंत्र और प्रतिनियुक्ति पर सरकारी अधिकारियों को शामिल करने जैसे उपायों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया था।

3.3 जीएसटी आईटी परियोजना के कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि

जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, जिसकी पृष्ठभूमि का कार्य पहले ही शुरू हो चुका था। जीएसटी को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन को सितम्बर 2016 में पारित किया गया था, सीजीएसटी और आईजीएसटी अधिनियम अप्रैल 2017 में पारित किए गए थे। हालांकि, मई 2007 में गठित मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएम) ने जीएसटी अधिनियमों, नियमों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर काम शुरू किया। मसौदा

¹⁵ तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, सिक्किम और मेघालय।

व्यावसायिक प्रक्रिया दस्तावेजों और मॉडल जीएसटी अधिनियम को क्रमशः अप्रैल-अक्टूबर 2015 और जून 2016 के दौरान पब्लिक डोमेन में रखा गया था। दिसम्बर 2016 और जनवरी 2017 में दो चरणों में जीएसटी के नियम जनता के लिए भी टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इसलिए, जब अधिनियम/नियम और व्यवसाय प्रक्रिया दस्तावेजों में परिवर्तन किए जा रहे थे, तो मसौदा दस्तावेजों को जीएसटी को लागू करने से पहले ही उपलब्ध करा दिया गया था।

आईटी आधारीक संरचना जो जीएसटी का मुख्य आधार है, के निर्णायक महत्व को देखते हुए, जीएसटीएन का गठन मार्च 2013 में हो गया था। 2018-19 तक इन प्रत्येक वर्षों में जीएसटीएन पर वर्ष वार व्यय निम्नानुसार है:

तालिका संख्या 8: जीएसटीएन पर वर्ष-वार व्यय

| वर्ष | वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में) |
|---------|-----------------------------|
| 2013-14 | 3.04 |
| 2014-15 | 12.29 |
| 2015-16 | 48.07 |
| 2016-17 | 69.59 |
| 2017-18 | 544.07 |
| 2018-19 | 427.37 |

इस प्रकार, जीएसटीएन के प्रति मार्च 2017 तक ₹ 133 करोड़ का व्यय किया गया है।

जीएसटीएन यह सुनिश्चित कर पाया कि लागू होने के लिये निर्धारित तारीख अर्थात 1 जुलाई 2017 को कुछ बुनियादी विशेषताओं के साथ जीएसटी आईटी प्रणाली तैयार थी और चल रही थी। जीएसटीआर-3बी को भी कम समय में लागू करने में वे सफल रहे। इसलिये प्रणाली में कमियों और खामियों के लिये प्रणाली को शुरू करने के लिये मिले कम समय को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। प्रणाली की उचित योजना जो परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त रूप से लचीली होती (जिसकी एक प्रमुख नई प्रणाली में परिगमन करते समय उम्मीद की जा सकती है जैसे कि जीएसटी में) और पर्याप्त अग्रिम जांच से जीएसटी के पहले दो वर्षों के लिए उपलब्ध होने की तुलना में

अधिक मजबूत प्रणाली होती । व्यवसायिक प्रक्रिया दस्तावेज की व्यवस्था करने वाली समिति, सीबीआईसी और जीएसटीएन के बीच उचित समन्वय नहीं पाया गया।

3.4 जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा

3.4.1 आईटी लेखापरीक्षा के लिए पृष्ठभूमि

जीएसटी पोर्टल सम्पूर्ण जीएसटी इको-प्रणाली के मूल में रहा है, जो अपने जीएसटी अनुपालन कार्यों के लिए लगभग एक करोड़ करदाताओं को एक एकल इंटरफेस प्रदान करता है। यह संघ और राज्यों में सर्वत्र कर प्रशासन के एकीकरण की सुविधा देता है। जीएसटी पोर्टल पर होने वाले पूरे जीएसटी संबंधित लेन-देन के साथ, यह जीएसटी डेटा का मूल और प्राथमिक स्रोत रहा है, जिसमें देश के महत्वपूर्ण कर डेटा और करदाताओं के संवेदनशील व्यापार डेटा उपलब्ध है। इसलिए सीएजी को समय-समय पर सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 16 के तहत प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के अंतर्गत जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा को अनिवार्य रूप से करने की आवश्यकता है। हमने मई 2018 में जीएसटीएन की पहली आईटी लेखापरीक्षा शुरू की, जिसका विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है।

3.4.2 आईटी लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

31 दिसम्बर 2017 को, जब हमने आईटी लेखापरीक्षा की योजना बनानी शुरू की तो चरण I के लिए नियोजित 50 प्रतिशत कार्यात्मकता और चरण II के लिए नियोजित 12 प्रतिशत कार्यात्मकता पूर्ण हो गई थी। चरण I में विभिन्न मॉड्यूलों के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका सं.9: 31 दिसम्बर 2017 को चरण-I में मॉड्यूलों के कार्यान्वयन का विवरण

| मॉड्यूल (समूहीकृत) | नियोजित कार्यात्मकताएं | 31 दिसंबर 2017 तक उत्पादन में | पूर्ण किया गया प्रतिशत |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| पंजीकरण | 48 | 30 | 63 |
| भुगतान | 10 | 10 | 100 |
| विवरणी# | 37 | 17 | 46 |
| प्रतिवेदन और स्टैंड अलोन | 89 | 35 | 39 |
| कुल चरण I | 184 | 92 | 50 |

#आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदन शामिल, जो सितम्बर 2017 को पूरी हुई थी

जैसा कि तालिका संख्या 9 से देखा जा सकता है, चरण-1 में पंजीकरण और भुगतान मॉड्यूल काफी हद तक क्रियान्वित किए गए थे। जीएसटी पोर्टल पर सृजित आईजीएसटी समायोजन प्रतिवेदन आईजीएसटी की राशि का निर्धारण करेगी जिसे केन्द्र और राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में समायोजित या प्रभाजित किया जाना है। चूँकि इसका भारत और राज्यों की संचित निधि में राजस्व के प्रवाह पर असर पड़ा था, जो पहले से ही क्रियान्वित हो चुके हैं, इसलिए आईजीएसटी समायोजन की पुष्टि करना महत्वपूर्ण था। इसलिए, जीएसटीएन की पहली आईटी लेखापरीक्षा के दौरान पंजीकरण और भुगतान मॉड्यूलों और आईजीएसटी समायोजन प्रतिवेदनों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय किया था।

आईटी सुरक्षा लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी), भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संलग्न कार्यालय की आईटी सुरक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा की सिफारिशों के कार्यान्वयन तक सीमित था। व्यावसायिक निरंतरता योजना (बीसीपी) के पहलू और परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रियाओं के, जो चयनित मॉड्यूलों की लेखापरीक्षा के दौरान हमारे ध्यान में आए, को इस लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था।

3.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस आईटी लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या जीएसटीएन द्वारा कार्यान्वित करदाता पंजीकरण, जीएसटी भुगतान और आईजीएसटी समायोजन के लिए आईटी मॉड्यूल, जीएसटी व्यवस्था और एसआरएस को शासित करने वाले अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप थे।

3.4.4 लेखापरीक्षा कार्यपद्धति

हमने 1 मई 2018 को पंजीकरण, जीएसटी भुगतान और आईजीएसटी समायोजन निपटान प्रतिवेदनों के पहलुओं की नमूना जांच की।

हमने जीएसटीएन टीम के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित (मई 2018) किया जिसमें हमारी लेखापरीक्षा योजना और कार्यक्रम पर चर्चा की उसके बाद जीएसटी आईटी प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रिया और सूचना के

प्रवाह को समझने के लिए चर्चा, प्रस्तुतिकरण और पूर्वाभ्यास किया। हमने जीएसटी आईटी प्रणाली के कुछ हितधारकों नामतः प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीसीसीए) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और दिल्ली सरकार के वैंट विभाग से प्रतिक्रिया प्राप्त की।

जीएसटी एवं एसआरएस को शासित करने वाले प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों में परिकल्पित किए गए महत्वपूर्ण फॉर्म और कार्यात्मकताओं का लेखापरीक्षा परीक्षण पहले जीएसटी प्रणाली के प्रशिक्षण और यूएटी परिवेश पर किया गया था उसके बाद उत्पादन परिवेश में लेखापरीक्षा परीक्षण किया गया। विभिन्न लेखापरीक्षा जांचों के सत्यापन के लिए उत्पादन परिवेश से डेटा का विश्लेषण किया गया था।

सम्पूर्ण जीएसटीएन डेटा को चार हिस्सों (शार्ड) में बांटा गया है और प्रत्येक हिस्से में कुछ राज्यों से संबंधित डेटा शामिल किए गए हैं। अधिकतर लेखापरीक्षा जांचों के लिए, हमने नौ राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों नामतः जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली, नागालैंड, मिजोरम, झारखंड, मध्यप्रदेश, दादरा एवं नागर हवेली, गोवा, पुदुचेरी और अन्य क्षेत्रों (कोड 97) को शामिल करते हुए हिस्से-1 के डेटाबेस के डेटा का विश्लेषण किया। हमने उपयोगकर्ताओं की शिकायतों और आपत्तियों पर जीएसटीएन द्वारा अनुरक्षित डेटा का विश्लेषण भी किया।

लेखापरीक्षा मई-अक्टूबर 2018 के दौरान की गई थी। निरीक्षण प्रतिवेदन 29 नवम्बर 2018 को जीएसटीएन को जारी की गई थी, उसके बाद 26 दिसम्बर 2018 को निकास सम्मेलन किया गया। जनवरी 2019 में जीएसटीएन से प्राप्त उत्तरों को आईटी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। जीएसटीएन द्वारा दिए गए उत्तरों को जनवरी 2019 में पुनः सत्यापित किया गया और सत्यापन के परिणाम को इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से शामिल किया गया है। इस आईटी लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को मार्च 2019 में मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया और मंत्रालय द्वारा भेजे गए जीएसटीएन के उत्तर जून 2019 में प्राप्त हुए। उत्तरों को इस प्रतिवेदन में विधिवत रूप से सम्मिलित किया गया है।

3.4.5 लेखापरीक्षा मानदंड

जिन स्रोतों से हमने इस आईटी लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड लिए हैं, उनमें जीएसटी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, सीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम, यूटीजीएसटी अधिनियम, एसजीएसटी अधिनियमों और उनसे संबंधित नियमों और विनियमों, कर प्राधिकारियों की अधिसूचना जैसे कि सीबीआईसी, व्यावसायिक प्रक्रिया दस्तोवज और एसआरएस के प्रासंगिक प्रावधान हैं। संदर्भ में आसानी के लिए, हमने केवल सीजीएसटी अधिनियम/नियम प्रावधानों का हवाला दिया, लेकिन जो प्रावधान और निष्कर्ष निकाले हैं, वे एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/आईजीएसटी अधिनियमों के समान प्रावधानों, जहां भी लागू हों, के लिए भी प्रासंगिक होंगे।

3.4.6 आभार

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के जवाबों को प्रस्तुत करने के लिए और लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी और रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए जीएसटीएन के सहयोग को लेखापरीक्षा स्वीकार करती है।

3.5 आईटी लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विहंगावलोकन

हमने मंत्रालय को जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा से संबंधित 37 लेखापरीक्षा टिप्पणियां जारी कीं। इनमें से जीएसटीएन द्वारा 25 स्वीकार की गईं और 11 के लिए जीएसटीएन ने बाधाओं/कारणों की व्याख्या की। जीएसटीएन के जवाब के आधार पर एक टिप्पणी को बंद कर दिया था। 25 स्वीकार की गई टिप्पणियों के प्रति, जीएसटीएन ने नौ टिप्पणियों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई (जनवरी 2019) की सूचना दी और अन्यो पर कार्रवाई शुरू की थी। इन नौ में से, पांच टिप्पणियों की अनुपालना पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन चार टिप्पणियों में हमने पाया कि जीएसटीएन द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही प्रतिवेदन दिए जाने के बाद भी लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मुद्दे जारी रहे, जिन पर संबंधित पैराओं में टिप्पणियां दी गई हैं।

16 मामलों (परिशिष्ट-V) में, लागू मॉड्यूलों में मुख्य वैधीकरण/कार्यात्मकताएं कानूनी प्रावधानों के अनुसार नहीं पाई गई थी। इन 16 मामलों में से, सात मामलों में एसआरएस में अपेक्षित वैधीकरण सम्मिलित नहीं थे, आठ मामलों में एसआरएस का सही रूप में गठन किया गया था लेकिन एक मामले में एसआरएस में शामिल शर्त प्रावधान में वर्णित नहीं थी।

पंजीकरण मॉड्यूल, भुगतान मॉड्यूल, आईजीएसटी निपटान रिपोर्टें, व्यावसायिक निरन्तरता और परिवर्तन प्रबंधन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित चार भागों में दिए गए हैं।

भाग क : पंजीकरण मॉड्यूल

3.6 प्रस्तावना

जीएसटी व्यवस्था में, पंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन बनाया गया है और पंजीकरण के इच्छुक किसी भी विधिक व्यक्ति को उक्त के लिए जीएसटी आईटी प्रणाली का उपयोग करना होगा। नए पंजीकरण के लिए आवेदन करते हुए आवेदक को पहले आवेदन फार्म का भाग-ए भरना है, जिसमें वैध नाम, आयकर अधिनियम 1961 के तहत जारी किए गए स्थायी खाता संख्या (पैन), ईमेल पता, और राज्य और जिले के साथ मोबाइल नम्बर शामिल है। भाग ए प्रस्तुत करने और सत्यापित होने के बाद, एक अस्थायी संदर्भ संख्या (टीआरएन) उत्पन्न होती है और आवेदक को भेजी जाती है। उसी के आधार पर, वह आवेदन को पुनः प्राप्त करने और फार्म के भाग बी में बकाया जानकारी भरने में सक्षम होगा। प्रमाणीकरण के साथ आवेदन पंजीकरण को सफलतापूर्वक जमा करने पर आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) उत्पन्न होगी और आवेदक को सूचित की जायेगी। कर विभाग द्वारा आवेदन के अनुमोदन पर, एक पन्द्रह अंक की जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) उत्पन्न होगी और उसे अस्थायी पासवर्ड के साथ ई-मेल द्वारा मुख्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को भेजा जाएगा। इन प्रमाणों का उपयोग रजिस्टर करने वाले द्वारा जीएसटी कॉमन पोर्टल तक अधिगमन के लिए किया जाना चाहिए।

आईटी लेखापरीक्षा ने जीएसटी आईटी प्रणाली के करदाता पंजीकरण मॉड्यूल में कमियों का तथा उन क्षेत्रों का जिनमें जीएसटी आईटी प्रणाली को जीएसटी अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के साथ संरेखित नहीं किया गया था, का खुलासा किया। विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:-

3.7 कंपोजिशन लेवी योजना (सीएलएस) का लाभ लेने के लिए अयोग्य करदाताओं को वैध और वंचित करने में विफलता

3.7.1 वही पैन-धारक सामान्य के साथ-साथ सीएलएस के तहत पाया गया

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 के तहत सीएलएस का चयन करने के लिए एक पंजीकृत व्यक्ति के लिए प्रमुख शर्तें थी:-

- (i) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में करदाता के पैन के प्रति अखिल भारतीय आधार पर कुल कारोबार निर्धारित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए (इस लेखापरीक्षा के समय ₹ एक करोड़)।
- (ii) एक ही पैन के तहत कई पंजीकरण केवल तब सीएलएस के लिए विकल्प चुन सकते हैं यदि इस तरह के सभी पंजीकरणों ने सीएलएस का विकल्प चुना हो।
- (iii) सीएलएस का विकल्प उस दिन से अप्रभावी होगा जिस दिन वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक हो।

लेखापरीक्षा द्वारा की गई परीक्षण जांच से पता चला कि प्रणाली के वैधिकरणों को अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त रूप से मैप नहीं किया था जैसाकि नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है:-

(क) अगस्त 2018 तक, नमूना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों¹⁶ में कुल 1,27,995 सक्रिय करदाताओं में से 168 पैन धारकों को विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकल्स के लिए सीएलएस के साथ-साथ सामान्य करदाताओं के तहत पंजीकृत हुआ पाया गया था।

जीएसटीएन ने वैधिकरण की कमी से सहमत होते हुए कारण के रूप में प्राथमिकता पर महत्वपूर्ण कार्यात्मकताएँ देने की बाधा का हवाला दिया और

¹⁶ जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, नागालैंड, मिजोरम, झारखंड, मध्य प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, गोवा, पांडिचेरी और अन्य क्षेत्र (कोड-97) से युक्त शार्ड-1 डेटाबेस।

कहा कि वैधिकरण 5 अक्टूबर 2018 से कार्यान्वित किया गया था, जिसमें पूरे भारत में एक पैन पर सभी पंजीकरण स्वचालित रूप से कंपोजिशन में परिवर्तित हो जाएंगे, यदि करदाता ने एक भी जीएसटीआईएन के लिए कंपोजिशन का विकल्प चुना था।

हालांकि, बाद में लेखापरीक्षा सत्यापन (जनवरी 2019) ने 358 मामलों का खुलासा किया, जहां एक ही करदाता को सामान्य करदाता और कंपोजिशन श्रेणी के तहत पाया गया था जो कि 5 अक्टूबर 2018 से कार्यान्वित वैधिकरण की विफलता का संकेत देता है।

जीएसटीएन ने पहले जवाब दिया था (जनवरी 2019) कि यह द्रुतिका में तकनीकी समस्या के कारण था और इस समस्या के लिए सुधारात्मक कार्रवाई 15 मार्च 2019 तक पूरी होने की संभावना थी।

जीएसटीएन ने आगे उत्तर दिया (डीओआर के माध्यम से जून 2019) कि चूंकि माइग्रेशन प्रक्रिया को नए करदाताओं को कंपोजिशन का चयन करने की अनुमति देने से पूर्व पूरा नहीं किया गया था अतः उस समय वैधिकरण को लागू नहीं किया गया। उन्होंने विभिन्न व्यवसाय वर्टिकल्स के लिए सीएलएस एवं सामान्य करदाताओं के तहत पंजीकृत 168 पैन धारकों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई के पूर्ण होने की सूचना दी जिसे लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किया जाना है।

जीएसटीएन के उत्तर को स्वीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि जीएसटी के लागू होने के पश्चात एक से अधिक वर्ष के बाद लेखापरीक्षा की गई थी। इसके अलावा, इस मामले को उन कुछ पंजीकरणों में भी पाया गया जो जुलाई 2018 में भी हुए थे। उस समय तक, माइग्रेशन की वजह से वैधिकरण मामले यदि थे तो उनका जीएसटीएन द्वारा सुधार किया जाना चाहिए था। सुधारात्मक उपायों की सूचना के पश्चात भी एप्लीकेशन/डेटा में ऐसी शेष समस्याओं की उपस्थिति एप्लीकेशन की परीक्षण प्रक्रिया में कमजोरी को दर्शाती है।

(ख) जीएसटी आईटी प्रणाली ने किसी पैन धारक को उन मामलों में भी सीएलएस के तहत पंजीकरण करने से वंचित नहीं किया, जिन मामलों में

अखिल भारतीय आधार पर सारे पंजीकरणों से कुल कारोबार सीएलएस के लिए निर्धारित टर्नओवर की सीमा से अधिक था। इसी प्रकार, जीएसटी आईटी प्रणाली में एक ही पैन के तहत सभी पंजीकृत व्यक्तियों के कुल कारोबार के निर्धारण का प्रावधान नहीं था जिससे निर्धारित टर्नओवर को पार करते ही करदाताओं को सीएलएस से सामान्य करदाताओं की श्रेणी में जाने के लिए बाध्य किया जाता।

जीएसटीएन ने जवाब दिया था (जनवरी 2019) कि कंपोजिशन योजना को अपनाते समय एक सामान्य पैन पर जारी किए गए सभी जीएसटीएन के कुल कारोबार के सत्यापन की कार्यात्मकता, विकसित हो रही थी। जीएसटीएन ने यह भी कहा था कि कानूनी प्रावधानों में बदलाव से टर्नओवर की सीमा में बार-बार होने वाले परिवर्तन को समायोजित करने के लिए टर्नओवर सीमा को विन्यास योग्य बनाने के लिए भी प्रणाली को डिजाइन किया जा रहा था। ये बदलाव जून 2019 तक लागू होने की उम्मीद थी।

जीएसटीएन ने डीओआर (जून 2019) द्वारा समर्थित अपने उत्तर में निम्नलिखित कारण दर्शाए कि क्यो पैन आधारित संचित टर्नओवर पर वैधीकरण तर्कसंगत नहीं था:

- कंपोजिशन योजना हेतु निर्धारित टर्नओवर सीमा परिवर्तित होती रही
- वीएटी या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तहत कंपोजिशन हेतु चयनित मानदण्ड जीएसटी की तुलना में भिन्न हैं
- प्रणाली में माइग्रेट किए गए करदाताओं के संबंध में पैन आधारित विवरणी डेटा की अनुपलब्धता

जीएसटीएन ने सूचना दी कि वैधीकरण को इसलिये स्थगन मे रखा गया था तथा 2018-19 के दौरान लागू किया गया है।

उक्त उत्तर कई कारणों की वजह से तर्कसंगत नहीं है। टर्नओवर जैसे क्षेत्र को शुरू से ही विन्यास योग्य नहीं रखना प्रणाली के चूकपूर्ण डिजाइन को दर्शाता है। इसी प्रकार पैन आधारित टर्नओवर डेटा को कंपोजिशन योजना के वैधीकरण के लिये उपयोग न करना कानूनी प्रावधानों को प्रणाली से मिलाने में कमियों को दर्शाता है। कंपोजिशन हेतु जीएसटी तथा पूर्व कर के लिए विभिन्न मानदण्ड सुसंगत नहीं है क्योंकि पूर्वकर का जीएसटी में पर्याप्त

वैधीकरण नहीं है तथा इसलिए जीएसटी का कंपोजिशन मानदण्ड ही सुसंगत है। चूंकि सामान्य तथा कंपोजिशन कर दाताओं की भिन्न कर देयता है अतः लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के पश्चात भी प्राथमिकता पर इस पाए गए वैधीकरण को सम्बोधित न करना चिंता का भी विषय है क्योंकि मामले में राजस्व निहितार्थ है।

कम्पोजिशन योजना के लिए पात्रता का निर्धारण करने में टर्नओवर सीमा की महत्व को देखते हुए जीएसटीएन को स्वयं से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन मूल वैद्यताओं को एप्लीकेशन में शामिल किया गया था। टर्नओवर की सीमा को विन्यास योग्य बनाने की महत्वपूर्ण कार्यात्मकता के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अलावा मंत्रालय को मॉड्यूलों में प्रणाली डिजाइन की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए कि क्या "टर्नओवर" के समान अन्य क्षेत्रों को संभव परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए विन्यास योग्य किया जा सकता है।

3.7.2 सीएलएस के तहत अयोग्य करदाताओं को पंजीकरण की अनुमति

(क) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10(2) के अनुसार, निम्नलिखित गतिविधियों में लगे हुए करदाता सीएलएस के विकल्प के योग्य नहीं थे:-

- अंतर-राज्य बाह्य आपूर्ति
- इलेक्ट्रॉनिक्स वाणिज्य परिचालक (ई-कॉम), जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 52 के तहत स्रोत पर कर संग्रह के लिए अपेक्षित थे, के माध्यम से वस्तुओं की आपूर्ति
- एसईजेड इकाइयों/डेवलपर्स द्वारा या उनको आपूर्ति (अंतर-राज्य आपूर्ति¹⁷ के तौर पर लिये जाते हैं)।

¹⁷ आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(5) के अनुसार।

37,225 कंपोजिशन करदाताओं के डेटा विश्लेषण से पता चला कि डेटा में उपरोक्त श्रेणियों (अंतर-राज्य आपूर्ति, ईसीओएम, एसईजेड डेवलपर इकाइयों) से संबंधित 679 करदाता निहित थे। इस प्रकार, जीएसटी आईटी प्रणाली, इन अयोग्य करदाताओं को सीएलएस का लाभ उठाने से रोकने और वैध बनाने में विफल रही।

जीएसटीएन ने जवाब दिया था (जनवरी 2019) कि अंतर-राज्य आपूर्तिकर्ताओं, ई-कॉम, एसईजेड डेवलपर्स और एसईजेड इकाइयों को कंपोजिशन योजना अपनाने के लिए 29 जून 2018 को प्रणाली में डाल दिया गया है, और मौजूदा मामलों के लिए तय डेटा 29 नवम्बर 2018 को पूरा किया गया था। जीएसटीएन ने यह भी जवाब दिया था कि क्षेत्राधिकार अधिकारी की सिफारिश के आधार पर सामान्य करदाताओं के जीएसटीएन से एसईजेड के फ्लैग, जिन्होंने माइग्रेट करते हुए गलती से एसईजेड का चयन किया था, 30 अगस्त 2018 तक हटा दिए गए थे।

हालांकि, लेखापरीक्षा सत्यापन (जनवरी 2019) ने सीएलएस के तहत पंजीकृत 12 अंतर-राज्य करदाताओं का पता लगाया, जो सुधारात्मक कार्रवाई में कमी का संकेत देते हैं। जीएसटीएन ने जवाब दिया कि इन 12 मामलों के सुधार को 15 फरवरी 2019 तक पूरा करने का अनुमान लगाया गया था।

जीएसटीएन ने आगे उत्तर दिया (डीओआर के माध्यम से जून 2019) कि ई-कॉम. परिचालकों, अन्तर राज्य आपूर्तिकर्ताओं तथा सेज़ इकाइयों/विकासकों के लिए अनिवार्य वैधीकरण बना दिया गया है तथा उन्हें कंपोजिशन चयन के लिए प्रणाली द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी है। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा उत्तर को सत्यापित किया जाना है।

(ख) सरकार ने दिनांक 27 जून 2017 की अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित किया कि पंजीकृत व्यक्ति सीएलएस को चुनने के योग्य नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा व्यक्ति निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माता था:-

- आईस-क्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, कोको युक्त है या नहीं (टैरिफ शीर्षक 21050000);
- पान मसाला (टैरिफ शीर्षक 21069020); और
- तम्बाकू और तंबाकू का निर्मित विकल्प (अध्याय 24)।

हालांकि, जीएसटी आईटी प्रणाली ने एचएसएन कोड के माध्यम से पहचान किए गए उपरोक्त वस्तुओं के निर्माताओं को कंपोजिशन डीलर के रूप में पंजीकरण से प्रतिबंधित नहीं किया।

जीएसटीएन ने जवाब दिया (जनवरी 2019) कि इस मामले पर वैधीकरण जुलाई 2019 तक कार्यान्वित किया जाएगा और यह कि केंद्र और राज्यों के अनुमोदन अधिकारियों द्वारा पंजीकरण आवेदन को मंजूरी देते समय ऐसी संगतियों की जांच और ऐसी त्रुटियों को सुधारना अपेक्षित था। जीएसटीएन ने आगे उत्तर दिया (डीओआर के माध्यम से जून 2019) कि पंजीकरण के समय प्राप्त अनिवार्य डेटा सूचक है तथा पंजीकरण मांड्यूल में प्रणाली केवल शीर्ष पांच वस्तुओं को ले रहा है।

जीएसटीएन का उत्तर सिस्टम डिजाइन परिप्रेक्ष्य में तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शीर्ष पांच वस्तुओं को लेने वाला पंजीकरण मांड्यूल वैधीकरण लागू न करने के एक कारण के रूप में उद्धरित नहीं किया जा सकता। चूंकि मामला कानून के उल्लंघन का है अतः इसे पंजीकरण करते समय आवेदन में सामान्य वैधीकरण जांच के रूप में सम्बोधित किया जा सकता था।

इसके अलावा कर अधिकारियों द्वारा ऐसी कमियों की जांच के संदर्भ में उत्तर को सीबीआईसी की क्षेत्रीय संरचनाओं के द्वारा सीएलएस के तहत अयोग्य पंजीकृतों के गैर-सत्यापन के संबंध में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रकाश में देखना चाहिए जैसाकि इस प्रतिवेदन के **अध्याय IV के पैराग्राफ 4.8** में प्रतिवेदन किया गया है।

इस प्रकार, जीएसटीएन यह सुनिश्चित करने में विफल हुआ कि विधि द्वारा अधिदेशित मूल वैधीकरणों को प्रणाली में उचित प्रकार से बनाया जाता तथा इन्हें केवल सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद ही सम्मिलित किया गया था। जीएसटीएन को अपने मूल कारण विश्लेषण तथा जांच प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत करना चाहिए कि प्रणाली में ऐसी महत्वपूर्ण कमियों की पहचान की जाएं तथा जनता के लिए लागू करने से पूर्व इसे संशोधित किया जाए।

3.8 अन्य श्रेणियों के करदाताओं से संबंधित मुद्दे

3.8.1 विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) के आवंटन के लिए अन्य अधिसूचित व्यक्ति (ओएनपी)

जीएसटी अधिनियम यूएन निकायों तथा दूतावासों को उनके द्वारा की गई खरीदों पर प्रदत्त जीएसटी के प्रतिदाय का दावा करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) आवंटित करने का प्रावधान करता है। अधिनियम यह प्रावधान भी करता है कि, विभिन्न केन्द्रीय और राज्य प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचित अन्य अधिसूचित व्यक्ति (ओएनपी) यूआईएन के आवंटन के लिए ओएनपी श्रेणी के तहत पंजीकरण के योग्य थे। इसरो जैसे संगठन इस श्रेणी के तहत अधिसूचित किए गए हैं। ओएनपी के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित कमियों को देखा गया।

(क) ओएनपी के पंजीकरण के लिए पैन को वैकल्पिक बनाया गया

ओएनपी श्रेणी के तहत यूआईएन प्राप्त करने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पैन अनिवार्य¹⁸ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटी आईटी प्रणाली ने इस आवश्यकता को अनिवार्य क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया था और ओएनपी के लिए कुल 449 पंजीकरणों में से 273 मामलों¹⁹ में, पैन का उल्लेख नहीं किया गया था।

जीएसटीएन ने कहा (डीओआर के माध्यम से जून 2019) कि इस चूक को 31 मार्च 2019 में ठीक किया गया है। इसे लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किया जाना है।

(ख) ओएनपी के लिए पंजीकरण - अधिसूचना संख्या को वैध करने या अपेक्षित दस्तावेजों को प्राप्त/अपलोड करने के लिए सुविधा की अनुपलब्धता

ओएनपी के तहत यूआईएन के लिए पंजीकरण डेटा की हमारे लेखापरीक्षा परीक्षण से पता चला कि जीएसटी आईटी प्रणाली ने "अधिसूचना संख्या" जो एसआरएस के

¹⁸ सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 17 के तहत आवेदन पत्र (भाग-ए) आरईजी-13 के अनुसार।

¹⁹ सभी चार शार्ड।

अनुसार एक अनिवार्य क्षेत्र था, के कॉलम में आवेदकों द्वारा भरी गई अमान्य प्रविष्टि (जैसे 011800012839 टीआरएन, जीएसटी आरईजी-13, यू74999डीएल2018पीटीसी332229, आईएन-डीएल00404261406469क्यू) को स्वीकार किया। इसके अलावा, आवेदकों को राज्य या केन्द्रीय क्षेत्राधिकार को चुनने की अनुमति थी, जबकि अधिकार क्षेत्र अधिसूचना जारी कर्त्ता प्राधिकारी पर आधारित होना चाहिए।

जीएसटीएन ने कहा (डीओआर के माध्यम से जून 2019) कि आवेदन के साथ यूआईएन द्वारा अधिसूचना अपलोड करने की उपलब्धता 31 सितम्बर 2019 तक अपेक्षित थी।

पंजीकरण की एक श्रेणी जिसे विशेष अधिसूचना (ओं) के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, के लिए पंजीकरण करते समय अधिसूचना अपलोड करने के लिए प्रावधान न होना प्रणाली की मूल कमी है।

3.8.2 ऑनलाईन सूचना डेटाबेस एक्सेस और पुनः प्राप्ति सेवाओं में कमी (ओआईडीएआर)

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(17) के अनुसार ओआईडीएआर वे सेवाएँ हैं जिनकी डिलीवरी इंटरनेट या एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा मध्यस्थता से की गई थी और जिनकी प्रकृति न्यूनतम मानव हस्तक्षेप को शामिल करते हुए आपूर्ति को अनिवार्य रूप से स्वचालित थी। इनमें इंटरनेट पर विज्ञापन, क्लाउड सेवाएं, डिजिटल भण्डारण, ऑनलाइन गेमिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं। ओआईडीएआर करदाताओं के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित कमियों को देखा गया था:-

- (i) मॉड्यूल में वीजा विवरणों के साथ पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रतियां, कंपनी के निगमन का प्रमाण-पत्र, मूल देश द्वारा जारी किया गया लाईसेंस और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जैसे मुख्य दस्तावेजों को अपलोड करने की कोई सुविधा नहीं थी। जैसे की एसआरएस में परिकल्पना की गई थी।

- (ii) प्रणाली ने कर पहचान संख्या (टीआईएन) जो पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय भरा जाने वाला अनिवार्य क्षेत्र था, के प्रति अमान्य प्रविष्टियों (जैसे बीएक्सएक्सपीए1851आर, 6, एनए, एनए) को स्वीकार किया। कर अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए टीआईएन से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं था।
- (iii) ओआईडीएआर के लिए पंजीकरण के आवेदन को भरने के लिए अनिवार्य, ओआईडीएआर आवेदकों के अधिकृत प्रतिनिधियों के पैन और पते, जीएसटी आईटी प्रणाली में अनिवार्य नहीं किए गए थे।

जबकि आरंभ में जीएसटीएन ने जवाब दिया (जनवरी 2019) कि मुख्य दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा एक बैकलॉग मद था और इसकी मार्च 2019 तक कार्यान्वित होने की उम्मीद थी, तथापि इस तिथि को डीओआर द्वारा भेजे गए (जून 2019) उनके उत्तर द्वारा सितंबर 2019 तक आगे विस्तारित किया गया था।

टीआईएन के वैधीकरण के संबंध में, जीएसटीएन ने कहा (जनवरी 2019) कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर टीआईएन का एक प्रमाणिक डेटा स्रोत उपलब्ध नहीं था क्योंकि यह एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है। जीएसटीएन ने यह भी कहा था कि टीआईएन/या अधिकृत प्रतिनिधि के विकरण एवं पहचान प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने की कार्यक्षमता जून 2019 तक प्रदान की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने टीआईएन के किसी प्रमाणिक डेटा स्रोत की अनुपलब्धता के संदर्भ में बताया कि यह ओआईडीएआर श्रेणी के तहत पंजीकरण करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा देने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण है। जीएसटीएन का इस छोटी अपितु महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली को स्थापित करने के लिए अधिक समय मांगना तथा डीओआर द्वारा इसकी पुष्टि करना अस्वीकार्य है।

3.8.3 स्रोत पर कर कटौतीकर्ता (टीडीएस) की पंजीकरण प्रक्रिया में कमी

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 51 निर्धारित करती है कि सरकार निम्नलिखित श्रेणी के प्राधिकारियों/व्यक्तियों को कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान या जमा से एक प्रतिशत की

दर से कर कटौती करने का आदेश दे सकती है, जहां इस तरह की आपूर्ति का कुल मूल्य, एक ठेके के तहत, दो लाख और पचास हजार से अधिक था।

- (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या स्थापना; या
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण; या
- (iii) सरकारी एजेंसियां; या
- (iv) ऐसे व्यक्तियों/व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है,

श्रेणी (iv) को केवल जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर सरकार से अधिसूचना के जारी होने पर सक्षम किया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा इस सुविधा के सत्यापन के समय (जून 2018), तक सरकार ने कर कटौतीकर्ता की किसी नई श्रेणी को जोड़ने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की थी। लेकिन ऐसे 700 आवेदक थे जिन्होंने पोर्टल के माध्यम से श्रेणी (iv) के तहत अपने आप को पंजीकृत करवाया था।

जीएसटीएन ने पुष्टि की (जनवरी 2019) कि श्रेणी भविष्य में प्राप्त अधिसूचनाओं के लिए बनाई गई थी और आवेदकों के व्यवहार को देखते हुए, श्रेणी (iv) को अनुपलब्ध बनाया जा रहा था, ताकि इसे आवेदक द्वारा गलती से नहीं चुना जा सके उन्होंने यह भी कहा था (जनवरी 2019) कि सभी टीडीएस में रजिस्टर करने वालों जिन्होंने इस विकल्प का चयन किया, को ई-मेल के माध्यम से संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से कानून के अनुसार श्रेणी में संशोधन करने की सलाह दी जा रही थी और ड्रॉप डाउन मेनू को हटाने के बाद समान अभ्यास का एक और दौर निष्पादित किया जाएगा।

दिनांक 13 सितम्बर 2018 की अधिसूचना जिसके द्वारा इस श्रेणी के तहत निर्दिष्ट स्वायत्त निकायों²⁰, समितियों और सर्वाजनिक क्षेत्र उपक्रम को अधिसूचित किया गया, के मद्देनजर श्रेणी (iv) की मास्किंग अब ठीक नहीं थी। लेखापरीक्षा में सलाह दी गई (मार्च 2019) कि जीएसटीएन को प्रस्तावित

²⁰ एक प्राधिकरण या एक बोर्ड या कोई अन्य निकाय, - (i) संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित; या (ii) किसी भी सरकार द्वारा स्थापित, इक्यावन प्रतिशत या इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से अधिक भागीदारी के साथ किसी भी कार्य को करने के लिए,

सुधारात्मक कार्रवाई पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि टीडीएस प्रावधानों को 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी किया गया था, जिसमें धारा 51 के क्रम सं. (iv) के तहत अधिसूचित श्रेणियां शामिल थीं।

भले ही सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 से टीडीएस की चौथी श्रेणी के तहत कुछ संगठनों को अधिसूचित किया, जीएसटीएन का जनवरी 2019 में जवाब देना कि वे इस श्रेणी को अनुपलब्ध करेंगे, आईटी प्रणाली में जीएसटी प्रावधानों को प्रभाव देने के तरीके पर संदेह उत्पन्न करता है और नए विकास का पता लगाने की स्पष्ट कमी और यह सुनिश्चित करने में डीओआर/सीबीआईसी की विफलता को दर्शाता है।

3.9 पंजीकरण मॉड्यूल के उपयोगकर्ता की अनुकूलता को प्रभावित करने वाले मुद्दे

3.9.1 खोज ने जीएसटी पोर्टल पर मापदंड अवधि से अतिरिक्त आऊटपुट दिया

जीएसटी पोर्टल पर खोज की कार्यात्मकता परीक्षण के दौरान, हमने देखा कि करदाता, जिसने वर्ष 2018-19 के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए सीएलएस से चुना था, के लिए एक खोज परिणाम में मानदंडों में निर्दिष्ट सीमा के बाहर की तारीखें शामिल थी, जो गलत खोज के तर्क/मानदंडों को इंगित करती है।

जीएसटीएन सहमत था कि यह एक कमी थी और कहा कि यह अक्टूबर 2018 में ठीक किया गया था।

हालांकि, सत्यापन के दौरान (जनवरी 2019), हमने ठीक होने के बाद भी खोज की कार्यात्मकता में कमियों को देखा।

3.9.2 जीएसटी पोर्टल पर विभिन्न भाषाओं के लिए कोई विकल्प न होना

एसआरएस के विपरीत, जीएसटी पोर्टल में अंग्रेजी के अलावा करदाताओं के लिए अन्य कोई भाषा विकल्प नहीं था।

जीएसटीएन ने जवाब दिया (जनवरी 2019) कि सभी महत्वपूर्ण कार्यात्मकताओं के कार्यान्वयन होने पर बहुभाषी समर्थन के कार्यान्वयन को प्राथमिकता पर लिया जाएगा और अक्टूबर 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा।

बहुभाषाई सहायता के कार्यान्वयन में देरी का मतलब उन करदाताओं की अनुपालन लागत में वृद्धि है, जो अंग्रेजी भाषा में सहज नहीं हैं।

3.9.3 बहु व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों (वर्टिकल्स) के लिए पंजीकरण

एक ही पैन के तहत अपने किसी भी व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों के लिए अलग पंजीकरण की आवश्यकता वाले करदाताओं को प्रत्येक ऐसे कार्यक्षेत्र के संबंध में फार्म जीएसटी आरईजी-01 में एक अलग आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अलावा, पंजीकरण के लिए एसआरएस में बताया कि जहां जीएसटीआईएन या एआरएन पहले से ही पैन के प्रति मौजूद थे कई क्षेत्र स्वतः भर जायेंगे और गैर-संपादन योग्य होंगे।

जीएसटीएन ने इस सुविधा को कार्यान्वित नहीं किया। वैधता के साथ इस सुविधा को कार्यान्वित करने से प्रणाली को लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए पंजीकरण के समय कानून के कुछ उल्लंघनों को चिन्हित करने में मदद मिलती जैसे (i) कानून के उल्लंघन में समान करदाताओं को कंपोजीशन लेवी तथा सामान्य करदाता श्रेणी के तहत पंजीकृत किया जा रहा है और (ii) कई मामलों में कानूनी नामों और व्यवसाय का संविधान एक ही पैन धारक के लिए अलग-अलग है।

जीएसटीएन ने जवाब दिया (जनवरी 2019) कि कंपोजीशन लेवी का स्वतः भरा जाना लागू कर दिया गया था। शेष क्षेत्रों अर्थात् कानूनी नाम, व्यवसाय का संविधान, प्रोपराइटर का नाम, व्यवसाय/इकाई का पैन प्रमोटरों/साझेदारों का विवरण, एक ही पैन में मौजूदा पंजीकरण में जीएसटीएन, जो एसआरएस का हिस्सा था, का स्वतः भरा जाना विकासाधीन था और जून 2019 तक इसके कार्यान्वित किए जाने की उम्मीद थी। जीएसटीएन ने डीओआर के माध्यम से आगे बताया (जून 2019) कि इसे विकसित किया जा रहा था और इसका कार्यान्वयन सितम्बर 2019 तक अपेक्षित है।

यह स्वीकार्य नहीं है कि पैन नंबर जैसे ब्यौरे कई पंजीकरणों में समान थे। ऐसे मूलभूत कार्य का कार्यान्वयन न करने के परिणामस्वरूप आईटी प्रणाली रखने का मूल लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

3.9.4 पिन कोड के साथ अधिकार क्षेत्र मैपिंग सक्षम नहीं होना

पंजीकरण के भाग-बी को भरने की प्रक्रिया के दौरान, राज्य के सर्कल/वार्ड का चयन करते समय, उपयोगकर्ताओं को पूरे भारत से किसी भी केंद्रीय क्षेत्राधिकार का चयन करने की अनुमति दी गई थी आर्दश रूप से राज्य और केंद्रीय क्षेत्राधिकार को एक दूसरे के लिए मैप किया जाना चाहिए था और विशिष्ट राज्य जीएसटी क्षेत्राधिकार के लिए केवल एक केन्द्रीय क्षेत्राधिकार होना चाहिए था।

डेटा विश्लेषण ने दिखाया कि बड़ी संख्या में गलत क्षेत्राधिकार थे। उ.प्र. राज्य में पंजीकृत लगभग 14 लाख करदाताओं में से कुल 13,432 को या तो उ.प्र. के बाहर केंद्रीय क्षेत्राधिकारों के साथ मैप किया गया था या केंद्रीय क्षेत्राधिकार को रिक्त छोड़ दिया गया था। यह देखते हुए कि पंजीकरण की अधिकांश स्वीकृति माने गए, अनुमोदन मोड के माध्यम से हुई हैं, देश भर में कहीं अधिक करदाता हो सकते हैं, जो गलत क्षेत्राधिकार के साथ पंजीकृत हैं। व्यापार के स्थान की गलत क्षेत्राधिकार मैपिंग कर प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जैसे गलत रिपोर्टिंग, क्षेत्राधिकार कर अधिकारी द्वारा निगरानी की कमी और शिकायत निवारण लंबित होना।

जीएसटीएन ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि उन्होंने सभी राज्यों और सीबीआईसी से पिन कोड आधारित डायरेक्टरी प्राप्त कर ली थी। जीएसटीएन ने यह भी जवाब दिया कि पिन कोड आधारित क्षेत्राधिकार डायरेक्टरी के कार्यान्वयन पर, गलत क्षेत्राधिकार चयन करने की समस्या स्वतः ही कम हो जाएगी। जीएसटीएन ने आरंभ में यह भी बताया (जनवरी 2019) कि अप्रैल 2019 तक कार्यात्मकता जारी होने की संभावना थी। जिसे डीओआर को भेजे गए उनके उत्तर (जून 2019) के माध्यम से सितम्बर 2019 तक बढ़ाया गया।

करदाताओं के गलत मैपिंग के मुद्दों को हमारे द्वारा क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान भी देखा गया था, जैसाकि **अध्याय IV के पैरा 4.9.2** में वर्णित है।

3.10 स्वीकार किये गये निष्कर्ष और सुधारात्मक कार्रवाई की गई या शुरू की गई

3.10.1 लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर जीएसटीएन द्वारा पहचानी गई एआरएन और जीएसटीआईएन को जारी करने में देरी के लिए तकनीकी गड़बड़ियां जनवरी 2019 में जीएसटीएन द्वारा सुधार ली गई थी।

3.10.2 सीबीडीटी और एमसीए डेटाबेस के साथ पंजीकरण (कानूनी नाम, व्यवसाय का प्रकार और सीआईएन) में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की वैधयता के बारे में मुद्दे जो लेखापरीक्षा के द्वारा बताए गए जीएसटीएन द्वारा पहचान लिए गए थे और यह बताया गया (जनवरी 2019) कि मार्च 2019 तक इसमें सुधार होने की उम्मीद थी। जीएसटीएन ने डीओआर के माध्यम से आगे बताया (जून 2019) कि

- वैध नाम का वैधीकरण अप्रैल 2019 तक बंद किया जाना अपेक्षित था।
- व्यवसाय के प्रकार के वैधीकरण हेतु सूचना जीएसटीएन द्वारा करदाताओं को भेज दी गई है और सुधार करने के लिए प्राथमिकता पर इस सूची को कर प्राधिकरणों के साथ साझा किया जाना अपेक्षित था।
- सीआईएन वैधीकरण सितम्बर 2019 तक क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित था।

3.10.3 करदाता के लिए जीएसटी पोर्टल पर प्रत्येक व्यवसाय, जो कि पंजीकृत हो के लिए पैन, मोबाईल और ई मेल का एक-अलग संयोजन प्रदान करना अनिवार्य कर दिया था, हालांकि ये कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है। यह प्रणाली में कानूनी प्रावधानों की सही प्रकार से मैपिंग में विफलता को दर्शाता है जिससे करदाताओं को असुविधा हुई।

जीएसटीएन ने उत्तर दिया कि इस संदर्भ में परिवर्तन अनुरोध अप्रैल 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। जीएसटीएन ने डीओआर के माध्यम से भेजे गए अपने उत्तर में बताया (जून 2019) कि इस पर कार्यान्वयन चल रहा था और ऐसी संभावना है कि यह 30 सितम्बर 2019 तक उत्पादन परिवेश में होगा।

3.10.4 डेटा विश्लेषण से पता चला है कि स्रोत पर कर संग्रह (टीडीएस) श्रेणी में “पंजीकरण नाम” जो एक अनिवार्य क्षेत्र था के प्रति रिक्तियां या एनपी थे,

और अन्य एक क्षेत्र 'क्षेत्राधिकार अनुमोदन प्राधिकारी' था, जो वैधता की अनुपस्थिति की ओर इशारा करता था। जीएसटीएन ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमत होते हुए कहा कि 31 जनवरी 2019 तक नियत डेटा के सही होने की उम्मीद थी। *आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2019)*।

3.10.5 एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति (एनआरटीपी)/आकस्मिक करदाता द्वारा व्यवसाय शुरू करने की तारीख से पांच दिन पहले पंजीकरण दाखिल न करने के मामले में कर अधिकारी की सतर्कता बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, जैसाकि सीजीएसटी नियमावली की नियम 13(i) के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 25 के तहत अपेक्षित है। जीएसटीएन ने 2 अगस्त 2018 से इस सुविधा को कार्यान्वित किया।

3.10.6 लेखापरीक्षा टिप्पणी के आधार पर, जीएसटीएन ने दो अलग पोर्टल्स²¹, जो कोई विशेष उद्देश्य के बिना शिकायत/शिकायत निवारण के लिए मौजूद थे, का एक में विलय कर दिया।

3.11 पंजीकरण माइयूल पर निष्कर्ष

कर प्रशासन में पहला कदम होने के नाते पंजीकरण और जीएसटी के लिए डिजाइन की गई गहन प्रणाली को देखते हुए, मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक विश्वसनीय पंजीकरण माइयूल उपलब्ध था। *पंजीकरण माइयूल की आईटी लेखापरीक्षा से पता चला कि कंपोजीशन लेवी के लिए अधिनियम और नियमों में निर्धारित मूल वैधता का प्रणाली में प्रावधान नहीं किया है और ओआईडीएआर और ओएनपी जैसी श्रेणियों के लिए निर्धारित अनिवार्य क्षेत्रों को प्रणाली में अनिवार्य नहीं बनाया गया था।* जीएसटीएन ने कुछ वैधताओं या सुविधाओं के गैर-कार्यान्वयन के कारणों के रूप में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को प्रदान करने की प्राथमिकता या कार्यात्मकता के बैकलॉग मद होने की बाधाओं का हवाला दिया गया।

हमने यह भी पाया कि सिस्टम को डिजाइन करते समय टर्नओवर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विन्यास योग्य नहीं बनाया गया था और मंत्रालय को इस पृष्ठभूमि में सभी समान क्षेत्रों के डिजाइन की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए। हालांकि सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 से टीडीएस की चौथी श्रेणी के

²¹ (i) <https://services.gst.gov.in/services/grievance> and (ii) <https://selfservice.gstsystem.in>.

तहत कुछ संगठनों को अधिसूचित किया, तथापि जीएसटीएन द्वारा जनवरी 2019 के जवाब कि वे इस श्रेणी को पृथक (मास्क) करेंगे अप-टू-डेट जीएसटी प्रावधानों को आईटी प्रणाली में प्रभावी किये जाने पर संदेह उत्पन्न होता है।

आईटी लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति सीबीआईसी का जवाब था कि उठाये गए मुद्दे जीएसटीएन से संबंधित थे और जवाब डीओआर से मांगा जाना चाहिए। फिर भी तथ्य यह है कि जीएसटी आईटी प्रणाली के हितधारक के रूप में सीबीआईसी, जीएसटीएन द्वारा प्रणाली के उचित डिजाइन और विकास के साथ-साथ लेखा परीक्षा द्वारा बताई गई कमियों को दूर करके प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। डीओआर का हिस्सा होने के बाद भी सीबीआईसी द्वारा डीओआर से जवाब मांगने के लिए लेखापरीक्षा को कहना जीएसटीएन की कार्यप्रणाली के संबंध में डीओआर और सीबीआईसी के बीच समन्वय की कमी की ओर संकेत करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मई से अक्टूबर 2018) कि जीएसटी पंजीकरण मॉड्यूल में कई मूल वैधीकरणों का अभाव था जिनमें से अधिकतर का जीएसटी की शुरुआत से ही उपयोग किया गया है। जीएसटीएन द्वारा वैधीकरणों को ठीक करने में जनवरी 2019 में दर्शाई गई आरंभिक समयसीमाओं को जून 2019 में डीओआर के माध्यम से भेजे गए उनके उत्तर में विस्तारित कर दिया गया था। यह दर्शाता है कि इन कमियों को दूर करने को न तो जीएसटीएन द्वारा प्राथमिकता दी गई और न ही डीओआर ने आग्रह किया था, और इन कमियों को ठीक करने हेतु समय सीमा के विस्तारण सहित जीएसटीएन का जवाब केवल आगे कर दिया।


भाग ख: भुगतान मॉड्यूल

3.12 प्रस्तावना

करदाता द्वारा जीएसटी के भुगतान की प्रक्रिया जीएसटी पोर्टल पर ई-चालान सृजित करने वाले करदाता के साथ शुरू की जाती है और उसे एक सामान्य पोर्टल पहचान संख्या (सीपीआईएन) दी जाती है। करदाता भुगतान के उपलब्ध तरीकों (अर्थात् ओवर-द-काउंटर भुगतान, ई-भुगतान, एनईएफटी/आरटीजीएस) में से किसी एक में करों का भुगतान कर सकता है। यदि भुगतान सफल होता है, तो बैंक से चालान पहचान संख्या (सीआईएन) प्राप्त होती है। जीएसटी पोर्टल

बैंक से प्राप्त डेटा को जीएसटी आईटी सिस्टम डेटा अर्थात् जीएसटीआईएन, सीपीआईएन और कुल चालान राशि के साथ मान्य करता है। यदि वैधता सफल होती है, तो जीएसटी पोर्टल सीपीआईएन स्थिति को "भुगतान किया है" के रूप में दिखलाता है और करदाता की इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ईसीएल) को अद्यतित करता है। यदि कुछ तकनीकी खराबी के कारण लेन-देन चक्र पूरा नहीं होता है, तो उसे "विफल" लेनदेन के रूप में चिह्नित किया जाता है। ई-भुगतान के लिए भुगतान प्रक्रिया को निम्न रूप में दर्शाया गया है:-

चार्ट सं. 11: ई-भुगतानों हेतु भुगतान प्रक्रिया



जीएसटी पोर्टल को अगले दिन (टी+1)²² आरबीआई से ई-स्कॉल प्राप्त होता है। यह पोर्टल आरबीआई से प्राप्त ई-स्कॉल और जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध चालान विवरणों के बीच मिलान करता है और संव्यवहारों की स्थिति के आधार पर सामंजस्य स्थापित किए और गैर-सामंजस्य (रिकॉन और नॉन-रिकॉन) वाली फाइलों में लेखा प्राधिकारों के लिए मिलान परिणामों की सूचना देता है।

जीएसटी के मिलान प्रोटोकॉल को निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया था:-

- करदाता के ईसीएल में जमा का समय पर क्रेडिट,

²² टी+1 से तात्पर्य सव्यवहार दिवस जमा एक दिन होता है जो सव्यवहार की तिथि के पश्चात अगला दिन होता है।

- सरकार द्वारा धन की समय पर वसूली,
- विसंगतियों/त्रुटियों को कम करना,
- जीएसटी आईटी प्रणाली डेटा और ई-स्कॉल (आरबीआई से प्राप्त) के बीच शून्य विसंगति, और
- त्रुटि प्रक्रिया ज्ञापन के लिए अग्रणी त्रुटियों की मात्रा को कम करना।

लेखापरीक्षा ने भुगतान और सामंजस्य प्रक्रिया की समीक्षा की और निम्नलिखित कमियाँ देखी:-

3.13 ईसीएल के अद्यतन में कमियाँ

3.13.1 ईसीएल के अद्यतन में विलम्ब

भुगतानों पर व्यवसाय प्रक्रिया रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों को वास्तविक समय में सीआईएन के साथ जीएसटी आईटी प्रणाली में भुगतान के विवरण को संप्रेषित करना आवश्यक था ताकि करदाता की नकद खाताबही को वास्तविक समय आधार पर अद्यतित किया जा सके। हालांकि, भुगतान डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि 80,816 मामलों में, भुगतान की तारीख और वह तारीख जिस पर संव्यवहार करदाता के ईसीएल में क्रेडिट किया गया था, अलग-अलग थी। 10,088 मामलों में तीन दिन से अधिक की देरी हुई। इनमें से 3,345 मामलों में पांच दिन और 1,228 मामलों में दस दिनों की देरी हुई थी।

जीएसटीएन ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि अधिकांश मामलों में यदि करदाता भुगतान प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही ब्राउज़र को बंद कर दे तो ईसीएल को या तो वास्तविक समय के आधार पर या बैंकों को स्वतः की गई ऑन-डिमांड-कॉल के माध्यम से क्रेडिट कर दिया जाता है।

हालाँकि, इन सभी व्यवस्थाओं के बावजूद, कुछ भुगतान अभी भी विभिन्न कारणों से ईसीएल में अपडेट नहीं हो रहे हैं। जीएसटीएन द्वारा विस्तृत रूप में स्पष्ट किए गए, लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए वे 10,088 लेनदेन जहाँ 3 दिनों से अधिक की देरी हुई के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

- (i) 2,658 लेन-देन आरबीआई से ई-स्कॉल के आधार पर ईसीएल को अपडेट करने के लिए कार्यक्षमता के रोल आउट की तारीख अर्थात् 24 अगस्त 2017 से पहले की अवधि से संबंधित थे। इन सभी लेनदेन के लिए, आरबीआई ई-स्कॉल के आधार पर ईसीएल को 25 अगस्त 2017 को अपडेट किया गया था।

- (ii) 465 मामलों में, विलम्ब आरबीआई से लेनदेन विवरण प्राप्त करने में देरी के कारण था।
- (iii) 5,620 मामलों में, विलम्ब बैंकों से देरी से लेनदेन विवरण प्राप्त करने के कारण था।
- (iv) आरबीआई ई-स्कॉल प्रोसेसिंग, राशि बेमेलता और हस्ताक्षर सत्यापन के मुद्दे थे, जिसके कारण 687 मामलों में ईसीएल को अपडेट करने में देरी हुई। यह आरबीआई के साथ सिस्टम एकीकरण के मुद्दों की वजह से था जिसका इसके पश्चात् समाधान किया गया था।

जैसाकि उक्त से स्पष्ट है, ईसीएल को अपडेट करने में विलम्ब जीएसटीएन, अधिकृत बैंकों और आरबीआई सहित सभी प्रमुख प्रतिभागियों की ओर से प्रणालीगत मुद्दों के कारण हुई थी। इसको आगामी पैराग्राफ 3.14 में वर्णित सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिकृत बैंकों के प्रदर्शन के निगरानी तंत्र के अभाव के साथ पढा जाना है। करदाता अपने बैंक खातों से पहले ही काटे जा चुके धन के बावजूद, अपने ईसीएल का अद्यतन नहीं होने के कारण कर देयताओं का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे करदाता को समय पर क्रेडिट प्रदान करने का उद्देश्य विफल हुआ। इसके कारण मामले का समाधान करने हेतु करदाता से अनावश्यक मांग की जा सकती थी और इसलिए भुगतान प्रणाली को पूर्णतः ठीक करने की आवश्यकता है।

3.13.2 बैंकों से पुष्टि के बिना अपडेट होने वाला ईसीएल

भुगतान हेतु व्यवसाय प्रक्रिया में यथा निर्धारित, यह एसआरएस में शामिल किया गया था कि जीएसटी पोर्टल को अधिकृत बैंकों से भुगतान की पुष्टि के बाद करदाता की ईसीएल को अद्यतन करना था। हालांकि, इसमें ऐसे लेनदेन थे जहां सीआईएन को प्राधिकृत बैंकों द्वारा आरबीआई को सूचित किया गया था परन्तु जीएसटी पोर्टल को नहीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसे मामलों में, अधिकृत बैंक से भुगतान की पुष्टि किए बिना आरबीआई से ई-स्कॉल डेटा के आधार पर ईसीएल को क्रेडिट किया जा रहा था।

जीएसटीएन ने बताया (जनवरी 2019) कि आरबीआई के ई-स्कॉल में विवरण थे, जिसका अर्थ था कि कर राशि बैंक द्वारा करदाता के खाते से काट ली गई थी और इसे आरबीआई के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किया गया था। करदाता को कठिनाई से बचने और उन्हें अपने करों का भुगतान करने की

सुविधा देने के लिए, आरबीआई से प्राप्त ई-स्कॉल के आधार पर करदाता की ईसीएल को अद्यतित किया गया था।

जीएसटीएन ने यह भी बताया कि इस मुद्दे को डीओआर को सूचित किया गया था और इन पर 13 अक्टूबर 2017 को डीओआर और लेखा अधिकारियों के साथ जीएसटीएन प्रतिनिधियों की बैठक में चर्चा की गई। बैठक में, आरबीआई ई-स्कॉल के आधार पर ईसीएल के अद्यतन को रोकने के लिए स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था और यह निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे को डीओआर द्वारा स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देश मांगने के लिए जीएसटी नीति विंग को भेजा जाएगा। जीएसटीएन ने सूचित किया कि उन्हें इस संबंध में आगे किसी निर्णय की सूचना नहीं दी गई थी। जीएसटीएन ने यह भी बताया कि हस्ताक्षरित सीआईएन रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए संबंधित बैंकों को एक ऑन-डिमांड-कॉल करने के लिए एक उपयोगिता के आगामी विकास के साथ, ऐसे लेनदेन के मामलों में काफी कमी आई।

इस प्रकार, डीओआर ने इस मामले पर निर्णय नहीं लिया था, हालांकि इस मुद्दे को अक्टूबर 2017 में जीएसटीएन द्वारा बताया गया था। इस मामले पर डीओआर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जून 2019)। ऐसी तदर्थ व्यवस्था जारी रखने की बजाय डीओआर को उचित लेखाकरण और समायोजन सुनिश्चित करने हेतु निर्णय लेकर प्रक्रिया को ठीक करना होगा।

3.14 बैंकों की सेवा आवश्यकताओं का कार्यान्वयन न होना

जीएसटी भुगतान पर व्यापार प्रक्रिया के लिए संयुक्त समिति ने **बैंकों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम सेवा आवश्यकताओं की सिफारिश की, जिन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया था:-**

- एक आश्वासन होना चाहिए कि संबंधित सीजीएसटी, आईजीएसटी, अतिरिक्त कर और एसजीएसटी खातों में क्रेडिट किए गए सभी लेनदेन आरबीआई को सूचित किए जा रहे हैं और इन खातों में कोई शेष नहीं बचा है।
- सभी हितधारकों को समय पर प्रेषण और त्रुटि मुक्त डेटा की रिपोर्टिंग सहित बैंक प्रदर्शन के नए मापदंडों को विकसित किया जाना था।

- यदि लेखांकन तथा मिलान प्रयोजनों के लिए बैंकों द्वारा सूचित संग्रहण के डेटा की गुणवत्ता के पारदर्शी मूल्यांकन तंत्र के अनुसार सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी/अतिरिक्त कर की छूट में चूके होती है तो संबंधित लेखा प्राधिकारी द्वारा प्रोत्साहन/दंड (बैंकों पर) प्रणाली प्रशासित की जानी थी।
- दीर्घ अवधि में, लेखा प्राधिकारी को नियत किए गए पारदर्शी और मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर भाग लेने वाले बैंकों के लिए एक सेवा गुणवत्ता रेटिंग विकसित करनी चाहिए।
- जीएसटी प्राप्तियों को संभालने के लिए बैंको तथा केंद्रीयकृत प्रणाली के आईटी सिस्टम के अग्रिम (अधिकृत होने से पहले) के साथ-साथ आवधिक लेखापरीक्षा होनी चाहिए। प्रणाली लेखापरीक्षा में लेखांकन प्राधिकरणों के परामर्श से जीएसटीएन द्वारा निर्धारित संदर्भ और आवधिकता के अनुसार परिचालन, तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं को कवर करना चाहिए।

बैंकों की आईटी प्रणालियों की आवधिक लेखापरीक्षा और मूल्यांकन व दंडों के लिए मापदंडों के अभाव में, सरकारी प्राप्तियों के विलम्बित प्रेषण/रिपोर्टिंग जैसी निष्पादन में कमियां अधिकृत बैंकों की ओर से निरन्तर जारी थी जैसा कि पैराग्राफ 3.13 में वर्णित किया गया है।

जीएसटीएन ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि उन्होंने प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीसीसीए) के साथ इस मामले को उठाया, जिसने इसके फलस्वरूप सेवा/लेखापरीक्षा और बैंकों से संबंधित अन्य मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा आरम्भ की (दिसंबर 2018)। जीएसटीएन ने डीओआर के माध्यम से भेजे गए अपने उत्तर में आगे बताया (जून 2019) कि जीएसटीएन द्वारा दिसम्बर 2018 में आयोजित की गई बैठक में प्रस्तुत इंटरनेट बैंकिंग भुगतान हेतु सफल भुगतान अनुपात को पीसीसीए के कार्यालय के अनुदेशों के अनुसार सभी बैंकों को अलग से भेजा गया है।

उपर्युक्त कमियों ने विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी वित्त मंत्रालय (एमओएफ) की ओर से अपर्याप्त निगरानी की ओर संकेत किया। एमओएफ को इस मुद्दे पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए।

3.15 लेखा अधिकारियों के साथ सामंजस्य न होना

पीसीसीए के भुगतान डेटा से पता चला कि 2017-18 से संबंधित ₹ 3.58 करोड़ की राशि के 244 सीआईएन और अप्रैल-जून 2018 से संबंधित ₹ 14.53 लाख की राशि के 136 सीआईएन जीएसटीएन के पास लंबित थे और उन्हें उच्चतम शीर्ष के तहत बुक किया गया था।

जीएसटीएन ने ईसीएल को 2017-18 के लिए 244 सीआईएन में से 188 मामलों में और अप्रैल-जून 2018 से संबंधित 136 सीआईएन में से 64 मामलों में अद्यतन की सूचना दी (जनवरी एवं जून 2019)। अन्य मामलों में ईसीएल को अद्यतित न करने के लिए, उपयोगकर्ता द्वारा रद्द किए गए चालान, सीपीआईएन की समाप्ति, अमान्य तिथि, अमान्य जीएसटीआईएन और बिना हस्ताक्षरित सीआईएन जैसे विभिन्न कारण दिए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इनमें से कुछ मुद्दे (जैसे अमान्य जीएसटीआईएन, सीपीआईएन की समाप्ति) जीएसटी आईटी प्रणाली में कमी के कारण और अन्य बैंको की ओर से व्यवसायिक प्रक्रियाओं/अभावों में कमियों के कारण थे। यह व्याख्या देना कठिन है कि बैंको के आईटी अनुप्रयोगों और जीएसटी पोर्टल के बीच स्वचालित इंटरफेस के साथ प्रणाली में ऐसी त्रुटियाँ कैसे आ रही थी। कर भुगतानों से सीधे संबंधित होने के कारण इन मामलों का संशोधन प्राथमिकता पर करने की आवश्यकता है।

3.16 जहां भुगतान विवरण चालान की समाप्ति के बाद प्राप्त हुए थे वहां भुगतान की स्वीकृति न होना

भुगतान के लिए एसआरएस ने एक ऐसे परिदृश्य की परिकल्पना की, जहाँ भुगतान शुरू किया गया था, लेकिन बैंक से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई और बाद में चालान समाप्त होने के बाद (अर्थात् समाप्त सीपीआईएन के लिए) बैंक ने सीआईएन विवरण भेजा। ऐसे परिदृश्य में यह निर्धारित किया गया था कि जीएसटी आईटी प्रणाली को इस भुगतान को तभी स्वीकार करना चाहिए जब भुगतान की तिथि चालान की वैधता अवधि के अन्दर हो अर्थात् चालान सृजित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-भुगतान और ओटीसी (काउंटर भुगतानों पर) के ऐसे सात मामले थे, जहां भुगतान 15 दिनों (जब सीपीआईएन सक्रिय था) के अन्दर शुरू किया गया था, लेकिन भुगतान 15 दिनों के बाद अर्थात् भुगतान की तारीख समाप्त होने के पश्चात पूरा हुआ था (सृजित सीआईएन)। हालांकि, जीएसटी आईटी प्रणाली ने इन लेनदेन को सफल भुगतान के रूप में मान्यता नहीं दी। सफल भुगतान के बाद भी ईसीएल में भुगतान का क्रेडिट न होने से करदाताओं को असुविधा और कठिनाई होगी। *जीएसटीएन ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि सीपीआईएन की समाप्ति के बाद सीआईएन की स्वीकृति के लिए एक परिवर्तन अनुरोध किया गया था लेकिन नेट बैंकिंग के माध्यम से सीपीआईएन की समाप्ति से पहले शुरू किए गए भुगतान 4 अक्टूबर 2018 को लागू किए गए थे।*

3.17 मिलान फ़ाइलों में प्रणाली स्तर नियंत्रण का अभाव

डेटा घटकों की सटीकता, पूर्णता और निरंतरता और उनका संबंध सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण होना चाहिए। जबकि कुल नियंत्रण इसकी सामग्री के आधार पर निकाले गए डेटा की समग्रता को सत्यापित करने में मदद करता है, चेकसम जांच योग्य डेटा निकालने वाली फ़ाइलों की समग्रता को सत्यापित करने में मदद करता है। निम्नलिखित फाइलें मिलान प्रयोजनों के लिए लेखांकन प्राधिकरणों के साथ साझा की जा रही थीं:-

- लेन-देन का सीआईएन और सीपीआईएन डेटा।
- पिछले रात 8 बजे से उस रात 8 बजे (24 घंटे) तक सृजित सभी एंड ऑफ डे (ईओडी) सीआईएन तथा सीपीआईएन
- आरबीआई से प्राप्त ई-स्कॉल के आधार पर रिकॉन (मिलान) तथा नॉन-रिकॉन फाइलें।

लेखा अधिकारियों के साथ साझा की गई कुल नियंत्रण फ़ाइलों ने 'रिकॉर्ड स्तर जोड़', 'मुख्य और लघु शीर्ष जोड़' और 'चेकसम' नहीं बनाए। एक जोखिम यह था कि इन प्रणाली स्तर नियंत्रणों की अनुपस्थिति में, फ़ाइलों के प्रेषण की पूर्णता और सटीकता पर्याप्त रूप से मान्य नहीं हो सकती थी।

जीएसटीएन ने सूचित किया (जनवरी एवं जून 2019) कि भुगतान मॉड्यूल को अनुमोदित व्यापार प्रक्रिया दस्तावेज और बीएआरएम (बैंक प्राधिकरण संदर्भ मॉडल) के अनुसार डिजाइन किया गया था, जिसने नियंत्रण जोड़ को

निर्धारित नहीं किया था। पीसीसीए के अनुमोदन पर, लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए नियंत्रण जोड़, सितम्बर 2019 तक लागू होने की उम्मीद थी।

इस प्रकार, प्रणाली की रचना करते समय डेटा स्थानांतरण की समग्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मूल एप्लीकेशन नियंत्रणों पर विचार नहीं किया गया था।

3.18 जीएसटी आईटी प्रणाली में डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान प्रदान नहीं किए गए

जीएसटी अधिनियम में निर्दिष्ट भुगतान के तरीकों में डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान शामिल हैं। व्यापार प्रक्रियाओं पर संयुक्त समिति ने यह भी कहा कि इस भुगतान विधि से व्यापार करने में आसानी होगी। यह सुविधा एसआरएस में भी शामिल थी। परन्तु, डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा जीएसटी भुगतान अभी तक जीएसटी पोर्टल पर प्रदान नहीं किया गया है। कार्यान्वयन में विलम्ब से तात्पर्य करदाताओं को इस भुगतान विकल्प से वंचित करना था।

जीएसटीएन ने कहा (जुलाई 2018) कि निम्नलिखित मुद्दों के वित्तीय निहितार्थ पर जुलाई 2017 से डीओआर से भुगतान के इस तरीके पर स्पष्टीकरण प्रतीक्षित था: (i) व्यापारी छूट का भुगतान, जो प्रदान की जा रही 0.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत राशि के बीच था और (ii) भुगतानकर्ता द्वारा विवादित भुगतान की हैंडलिंग।

मंत्रालय ने जीएसटी से लगभग दो साल के लागू होने के बाद भी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया था।

3.19 संदेशों के प्रदर्शन का लेन-देन की वास्तविक स्थिति के साथ तालमेल नहीं था

एसआरएस के अनुसार, ई-भुगतान के मामले में, यदि तीन दौर के पिंगिंग के बाद बैंक से कोई प्रतिक्रिया (न तो सफलता या विफलता) प्राप्त न की गई हो, तो लेनदेन स्थिति को बैंक/ई-स्कॉल या चालान की समयसीमा समाप्त हो जाने तक 'आरंभ' के रूप में रखना था। ऐसे परिदृश्य में, करदाता को 'बैंक से कोई प्रतिक्रिया नहीं' संदेश प्रदर्शित करना था। परन्तु, लेखापरीक्षा ने पाया कि

बैंक की ओर से कोई प्रतिक्रिया न होने की स्थिति में, प्रणाली ने 'बैंक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं' के बजाय 'विफल' के रूप में स्थिति दर्शाई। यदि उपयुक्त संदेश प्रदर्शित न किया गया हो, तो एक जोखिम यह था कि करदाता एक अन्य चालान बनाकर भुगतान शुरू कर सकता है।

इसी तरह, सीपीआईएन की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति पर, चालान की स्थिति को 'समाप्त' में बदल दिया जाना था। परन्तु, नमूना डेटाबेस (शार्ड-1) के डेटा विश्लेषण से पता चला है कि 19,842 चालान की स्थिति चालान की समाप्ति के बाद भी 'आरम्भ' के रूप में दिखाई गई थी, जबकि आदर्श रूप से चालान की स्थिति को 'समाप्त' के रूप में दिखाया जाना चाहिए था।

जीएसटीएन ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि इस कमी का ध्यान रखने से संबंधित परिवर्तन की आवश्यकता अप्रैल 2019 तक लागू होने की संभावना है। जीएसटीएन ने आगे सूचना दी (डीओआर के माध्यम से जून 2019) कि इसका विकास कार्य चल रहा है और जून 2019 में इसे जारी करने की संभावना है।

3.20 भुगतान मॉड्यूल के निष्कर्ष

भुगतान मॉड्यूल जीएसटी लागू होने के दिन से (अर्थात् 1 जुलाई 2017) अभी भी चल रहा था और आईटी लेखापरीक्षा शुरू होने तक लगभग एक साल तक उपयोग में रहा था। फिर भी, उनके बैंक खातों से पहले ही धन कटौती के बावजूद ईसीएल के अद्यतन में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप मामले के समाधान हेतु करदाताओं से अनावश्यक मांग की जा सकती थी। यह भी देखा गया कि बैंकों के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा आवश्यकताओं पर आश्वासन की कमी, पीसीसीए के साथ जीएसटी प्राप्तियों के मिलान के मुद्दे और नियंत्रण जोड़ जैसे प्रणाली स्तर के नियंत्रण का अभाव था। सीपीआईएन की समाप्ति से पहले शुरू किए गए भुगतान, लेकिन सीपीआईएन की समाप्ति के बाद सृजित सीआईएन और करदाताओं को संदेशों के गलत प्रदर्शन जैसे मुद्दे का जब तक लेखापरीक्षा द्वारा न बताया गया तब तक निपटान नहीं हुआ था। डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी क्योंकि मंत्रालय ने यह तय नहीं किया था कि वित्तीय प्रभाव से कैसे निपटा जाए।

भाग ग: आईजीएसटी निपटान रिपोर्ट

3.21 आईजीएसटी निपटान के लिए प्रावधान

आईजीएसटी अधिनियम की धारा 18 में निर्दिष्ट हैं कि सीजीएसटी या एसटीजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के उपयोग पर, केंद्र सरकार को आईटीसी राशि को आईजीएसटी खाते से सीजीएसटी या एसजीएसटी/यूटीजीएसटी खाते में इस तरह से और निर्धारित समय के भीतर स्थानांतरित करना चाहिए जैसा कि प्रावधान है। इसके अलावा, आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान किया गया है कि जहां किसी कारण या चूक (आईटीसी श्रृंखला को तोड़ने) हेतु आगे उपयोग के लिए आईजीएसटी का आईटीसी अयोग्य घोषित किया गया था, वहां इसे संघ और राज्यों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार ने संघ और राज्यों के बीच आईजीएसटी राशि को विभाजित करने के लिए जीएसटी निपटान निधि विनियमावली, 2017 (जीएसटीएसएफ नियम) अधिसूचित किए। इन नियमों के अनुसार, जीएसटीएन को निम्नलिखित 23 निपटान रिपोर्ट तैयार करनी थी और उन्हें कर अधिकारियों को प्रेषित करना था।

| फार्म | फार्म का विवरण |
|-------|--|
| 01.01 | मासिक रिपोर्ट में राज्यानुसार विवरण है जिन्हें 01.02 से 01.12 तक विभिन्न अन्य रिपोर्ट से तैयार किया जाता है। |
| 01.02 | एसजीएसटी/यूटीजीएसटी (आईएसडी द्वारा क्रास उपयोग सहित) के आईटीसी के प्रति समायोजित आईजीएसटी देयता |
| 01.03 | आईजीएसटी आईटीसी के प्रति समायोजित एसजीएसटी/यूटीजीएसटी देयता |
| 01.04 | अपंजीकृत इकाई को आईएसडी वितरण, सेज को निर्यात तथा आपूर्तियों को सम्मिलित करते हुए बी2सी आपूर्तियों पर संग्रहित आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीएसटी भाग। |
| 01.05 | कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति/गैर-आवासीय कर योग्य व्यक्ति/यूआईएन धारकों को दी गई अंतर-राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग। |
| 01.06 | बी टू बी आपूर्तियों पर संग्रहित आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग जहां आईटीसी को कंपोजिशन योजना का चुनाव |

| फार्म | फार्म का विवरण |
|-------|---|
| | करने की वजह से कालातीत आईटीसी सहित अयोग्य घोषित किया गया है। |
| 01.07 | बी टू बी आपूर्तियाँ जहां निर्दिष्ट अवधि तक आईटीसी अनुपयुक्त रहा, पर संग्रहित आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग। |
| 01.08 | अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा आयातित आपूर्तियों पर संग्रहित आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग। |
| 01.09 | कंपोजिट करयोग्य व्यक्तियों/यूआईएन धारकों द्वारा आयातित आपूर्ति के लिए आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग। |
| 01.10 | आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी पंजीकृत व्यक्ति (कंपोजिशन के अलावा) द्वारा आयातित वस्तुओं/सेवाओं पर एकत्र भाग, जहां आईटीसी को अयोग्य घोषित किया गया है। |
| 01.11 | पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आयातित वस्तुओं पर एकत्र आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग, जहां आईटीसी निर्दिष्ट अवधि तक अप्रयुक्त रहता है। |
| 01.12 | आईजीएसटी पर भुगतान किए गए विवरणी से संबंधित ब्याज का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग। |
| 02.01 | मासिक रिपोर्ट में राज्यानुसार विवरण जिसमें उन पंजीकृत व्यक्तियों की सूची है, जिन्होंने एकीकृत कर के आईटीसी से केंद्रीय कर की देयता को समायोजित किया है; इसमें तालिका 2.02 से सारांश रिपोर्ट शामिल हैं। |
| 02.02 | आईजीएसटी अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रदान अनुसार राज्य-वार विवरण वाली मासिक रिपोर्ट जिसमें उन पंजीकृत व्यक्तियों की सूची है, जिन्होंने एकीकृत कर के आईटीसी से केन्द्रीय कर की देयता को समायोजित किया है। |
| 03.01 | एकीकृत कर के रूप में वसूल की गई राशि का सारांश दिखाता मासिक राज्यानुसार समेकित विवरण, और उस पर ब्याज और जुर्माना, या कम्पाउन्डिंग राशि, या अपील दायर करने के लिए जमा; इसमें 3.02 से रिपोर्ट शामिल है। |
| 03.02 | राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत व्यक्तियों की सूची, जिनसे ब्याज और शास्ति के साथ समेकित कर की वसूली की गई है, या मांग के प्रति राशि जमा की गई है या आईजीएसटी अधिनियम को अपील दायर करने के लिए जमा की राशि, जैसा कि संबंधित राज्य के सीजीएसटी अधिनियम और एसजीएसटी अधिनियम की धारा 79,107,112 और 138 और यूटीजीएसटी अधिनियम की धारा 21 में प्रावधान है। |

| फॉर्म | फॉर्म का विवरण |
|-------|---|
| 04.01 | राज्य (राज्य कर) या केन्द्र (केन्द्र शासित प्रदेश कर) और केन्द्र (केन्द्रीय कर) को एकीकृत कर के प्रभाजन का एक सारांश दिखाते हुए मासिक राज्यानुसार समेकित विवरण, एक विशेष महीने से संबंधित एकीकृत कर संग्रह किया, जिसके संबंध में पीओएस निर्धारित नहीं किया जा सकता था या ऐसी आपूर्ति करने वाले कर योग्य व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। तालिका 4.02 और 4.03 से रिपोर्टें |
| 04.02 | पंजीकृत व्यक्तियों की सूची जिनसे एकीकृत कर संग्रह किया गया है जिसके संबंध में कर योग्य व्यक्ति द्वारा दिया गया पीओएस निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के पहले परन्तुक के तहत प्रभाजक के रूप में प्रदत्त किया जाना है। |
| 04.03 | एकीकृत कर संग्रह के विवरण, जिसके संबंध में ऐसी आपूर्ति करने वाले कर योग्य व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है, आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक के तहत प्रभाजक के रूप में प्रदान करना है और प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर में एक वार्षिक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत होगी। |
| 05.01 | सारांश दर्शाने वाला मासिक राज्यवार समेकित विवरण जिसमें करदाता द्वारा भुगतान किए गए एकीकृत कर को पहले से विभाजित किया गया है लेकिन बाद में व्यक्ति को वापस कर दिया गया है। |
| 06.01 | किसी कर ब्याज, शास्ति, फीस या प्रतिदाय से किसी अन्य राशि की वसूली के कारण केन्द्र (केन्द्रीय कर) और राज्य (राज्य कर) या केन्द्र (केन्द्र शासित प्रदेश कर) के बीच उत्पन्न निपटान की रिपोर्ट। |
| 07.01 | प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश और केन्द्र के लिए समेकित निपटान रजिस्टर। |
| 07.02 | इस रजिस्टर में एकीकृत कर लेखा के केन्द्रीय कर लेखा से किए गए धन एवं हस्तांतरण के समेकित विवरण और जीएसटी निपटान बहीखाता (एसटीएल) फॉर्म 01.01, 02.01, 04.01, 05.01 और 06.01 से रिपोर्ट में शामिल निपटान विवरण के समेकित सारांश के आधार पर विलोमतः विवरण निहित है। |

विवरणी मॉड्यूल के लिए एसआरएस - जीएसटीएन द्वारा तैयार किए गए निपटान प्रतिवेदन (संस्करण 6.00) ने निपटान प्रतिवेदनों के निर्माण और

प्रदर्शन के लिए कार्यात्मकता को कवर किया। इन प्रतिवेदनों में एसजीएसटी/यूटीजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी के बीच क्रेडिट के क्रॉस-उपयोग और आईटीसी श्रृंखला को तोड़ने के कारण उत्पन्न होने वाले संघ और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच राशियों (देय/प्राप्य) का निपटान/विनियोग दर्शाया गया। एसआरएस ने सभी प्रासंगिक विवरणी (जीएसटीआर -2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11) और अन्य मॉड्यूल जैसे असेसमेंट, अपील, वांछित निपटान तैयार करने के लिए प्रतिदाय को कवर किया।

लेखापरीक्षा ने आईजीएसटी निपटान से संबंधित मुद्दों की पहचान करने के लिए मई 2018 के महीने की दिल्ली राज्य की निपटान प्रतिवेदनों का विश्लेषण किया। पहचाने गए मुद्दों की आगे अखिल भारतीय आधार पर आईजीएसटी निपटान डेटा के साथ दोहरी जांच की गई थी। लेखापरीक्षा ने आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदनों में निम्नलिखित कमियां पाईं।

3.22 अधूरे आईजीएसटी निपटान

यह पाया गया था कि कई संव्यवहारों का आईजीएसटी निपटान नहीं हो रहा था जैसा कि निम्नलिखित पैरा में चर्चा की गई है। यह आंशिक रूप से आईजीएसटी के तहत निपटान न किए गए अधिक बकायों के संचय के लिए जिम्मेदार था, जैसाकि इस के अध्याय II के पैराग्राफ 2.1.3 में टिप्पणी की गई है।

3.22.1 प्रतिवेदनों को तैयार न किया जाना

जून 2018 तक, कुल 23 एसटीएल में से, जीएसटीएन में केवल 11 एसटीएल²³ को कर प्राधिकारियों को प्रेषित प्रतिवेदनों में शामिल किया गया। आयात और अपील (जैसे जीएसटी एसटीएल 01.08, 01.09, 03.01) और निपटान हेतु अपेक्षित सभी सूचनाओं को प्राप्त करने में जीएसटीआर -3 बी की सीमा से संबंधित (जीएसटी एसटीएल 04.03 की तरह) तदनुरूपी जीएसटी मॉड्यूल को लागू नहीं करने जैसे कारणों से शेष कई प्रतिवेदन बनाई नहीं जा सकीं।

²³ जीएसटी एसटीएल 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.09, 01.12, 05.03, 05.07 और 07.01.

कुछ रिपोर्टें (01.07, 01.10 और 01.11) अभी भी तैयार नहीं की जा रही थीं (मई 2019) चूंकि वे पूर्ववर्ती जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 विवरणी पर आधारित थीं। जीएसटीएन ने बताया कि इन दोनों प्रतिवेदनों को तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी को सरकार की अनुमति के साथ वार्षिक विवरणी के माध्यम से प्राप्त किया जाना था।

इसलिए, सभी प्रतिवेदनों के अभाव में, जो आईजीएसटी निधि निपटान नियमावली, 2017, के अनुसार आईजीएसटी के निपटान के लिए तैयार किये जाने थे, आईजीएसटी निपटान अपूर्ण रहे और निपटान की सटीकता सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

जीएसटीएन ने कहा (जनवरी 2019) कि जीएसटीआर-3 बी में उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा निपटान एल्गोरिथ्म को डिजाइन किया गया था। यदि जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 को लागू किया गया होता, तो निपटान नियमावली में निर्धारित प्रतिवेदन अधिक सटीकता के साथ सृजित की जा सकती थी।

जीएसटीआर-3बी, करदाताओं द्वारा दायर केवल स्व-निर्धारण सारांश विवरणी होने के कारण, इस विवरणी में डेटा को मूल रूप से परिकल्पित चालान विवरणों के साथ मान्य नहीं किया गया था चूंकि जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 को स्थगन में रखा गया था। इसलिए, जीएसटीआर-3बी का उपयोग कर केंद्र और राज्यों के बीच धन का निपटान उस डेटा पर आधारित था जिसे मान्य नहीं किया गया था।

जीएसटीएन ने आगे बताया (डीओआर के माध्यम से जून 2019) कि

- प्रतिवेदन सं. 01.07, 01.10 और 01.11, जो जीएसटीआर-2 को होल्ड पर रखने के कारण प्रभावित हुए थे, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-9 के आधार पर सृजित किए जाएंगे।
- भारतीय कस्टम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे (आईसीईजीएटीई) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर फरवरी 2019 से

जीएसटी प्रतिवेदन सं. 01.08 को सृजन प्रारंभ किया गया है (लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं)।

- प्रतिवेदन सं. 01.09 जुलाई, 2019 से आईसीईजीएटीई से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सृजित किया जाएगा।
- प्रतिवेदन सं. 04.02 और 04.03 को जीएसटीएन द्वारा सृजित करने की आवश्यकता नहीं है चूंकि आईजीएसटी पूल से बाहर राज्यों को तदर्थ आधार पर राशि जारी करके डीओआर उसका ध्यान रख रहा था।

प्रतिवेदन 04.02 और 04.03 के संबंध में जीएसटीएन का उत्तर और डीओआर द्वारा इसके समर्थन के लिए निम्नलिखित कारणों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है:

- आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17(2) में इन मामलों में आईजीएसटी को बांटने करने के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है।
- काउंसिल की सिफारिशों पर, कुछ समय के लिए अनसेटल्ड आईजीएसटी के बांटने को सुगम बनाने के लिए अगस्त 2018 में आईजीएसटी अधिनियम में संशोधन करके आईजीएसटी को तदर्थ आधार पर जारी करने का प्रावधान किया गया है।
- जीएसटीएन द्वारा अस्थाई प्रावधानों का उदाहरण देते हुए आईजीएसटीएन का दो प्रतिवेदनों को बंद कर देना एवं डीओआर द्वारा इसका समर्थन करना तर्कसंगत नहीं हैं।

3.22.2 आयात, अपील, प्रतिदाय और प्रासीक्यूशन पर आकड़ों का उपयोग न होना

जीएसटी के तहत, सभी आयातों को अंतर्देशीय आपूर्तियों के रूप में माना गया है और आईजीएसटी को शामिल किया गया है। हमने पाया कि आयातित आकड़े को ग्राहकों द्वारा प्रयुक्त आईसीईजीएटीई प्रणाली के साथ जीएसटी प्रणाली के गैर-एकीकरण के कारण आईजीएसटी के निपटान के दौरान उपयोग नहीं किया जा रहा था। तदनुसार, आईजीएसटी के निपटान हेतु अपील, प्रतिदाय और अभियोजन के तहत किए गए भुगतान पर एसआरएस द्वारा अपेक्षित अनुसार आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदनों को तैयार करने का विचार नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदन अपूर्ण थे।

जीएसटीएन ने बताया (जनवरी 2019) था कि आईसीईजीएटीई से आईजीएसटी डेटा जीएसटी आईटी प्रणाली में दिसम्बर 2018 से प्रारंभ किये गए थे। एक बार जीएसटी आईटी प्रणाली में बैकलॉग डेटा प्राप्त हो जाता है, तो इसका उपयोग अपंजीकृत व्यक्तियों/कंपोजिशन करदाताओं द्वारा भुगतान किए गए आईजीएसटी के निपटान के लिए किया जाएगा, जिसे 2017-18 के लिए 31 मई 2019 तक पूर्ण किये जाने की संभावना थी। उन्होंने आगे बताया कि आयात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी के मामले में जीएसटीआर-3बी में ग्राह्य आईटीसी के रूप में पंजीकृत करदाताओं द्वारा दावा किया गया, उसके बाद में इसका क्रॉस उपयोग किया जाएगा और इन्हें सामान्य निपटान प्रक्रिया हेतु संगणित किया जाएगा।

जीएसटीएन ने आगे बताया (डीओआर के माध्यम से जून 2019) कि प्रतिवेदन सं. 0109 जुलाई 2019 में आईसीईजीएटीई से प्राप्त आकड़ों के आधार पर और चरण II मॉड्यूलों पर आधारित प्रतिवेदनों को उन मॉड्यूलों के कार्यान्वयन के बाद सृजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतिवेदन सं. 01.08 का सृजन फरवरी 2019 से प्रारंभ किया गया है। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा उसका सत्यापन किया जाना अभी बाकी है।

जीएसटीएन ने यह भी उत्तर दिया (सितम्बर 2018) कि प्रतिदाय, अपील और प्रासीक्यूशन मॉड्यूल से संबंधित निधियों का निपटान एक बार ऐसे सभी मॉड्यूलों का विकास पूर्ण हो जाने के बाद लागू किया जाएगा। प्रतिदाय के संबंध में, जीएसटीएन ने बताया कि चूंकि केंद्र और राज्यों के करों के प्रतिदायों को केंद्र और राज्य लेखांकन प्राधिकरणों के द्वारा पृथक रूप से संवितरण वितरित किया जाता था, ऐसे मामलों में निधियों का निपटान किया जाना आवश्यक नहीं था। इसलिए, किसी भी देयता के प्रति क्रॉस समायोजित राशि के निपटान को एक बार पूर्ण प्रतिदाय और रिकवरी मॉड्यूल के लागू होने के बाद किया जाएगा।

3.22.3 ब्याज का निपटान न होना

एकीकृत कर के संविभाजन पर, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17 के प्रावधान ऐसे संविभाजित कर के संबंध में वसूले गए ब्याज के संविभाजन

पर भी लागू होंगे। तथापि, आईजीएसटी की निपटान प्रक्रिया करते समय ब्याज की राशि को प्रतिफल के रूप में नहीं लिया जा रहा था।

जीएसटीएन ने बताया (सितम्बर 2018) था कि जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 रिटर्नो का प्रसंस्करण करने के अभाव में, किसी विशेष राज्य के पक्ष में ब्याज की राशि का निर्धारण करना संभव नहीं था। जीएसटीआर-3बी में आईजीएसटी पर भुगतान किए गए ब्याज की प्रक्रिया समायोजन प्रतिवेदन के लिए ऐसी कोई सूचना नहीं थी। जीएसटीएन ने आगे बताया (जून 2019 डीओआर के माध्यम से) कि वार्षिक विवरणी दाखिल करने के बाद प्रतिवेदन सं. 01.12 पर कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि तदर्थ आधार पर केंद्र और राज्यों के लिए जीएसटी परिषद द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार असमायोजित आईजीएसटी बकाया की ऐसी राशि के संविभाजन की सुविधा के लिए अगस्त 2018 में आईजीएसटी अधिनियम में संशोधन किया गया था। अपूर्ण आईजीएसटी एल्गोरिथ्म के परिणामस्वरूप आईजीएसटी में अधिक बकायों का निरन्तर संचय होगा और फलस्वरूप केंद्र तथा राज्यों के बीच तदर्थ आधार पर आईजीएसटी का वितरण होगा।

3.23 प्रतिलिपि अभिलेख

विवरणियों के मॉड्यूल-निपटान प्रतिवेदन हेतु एसआरएस में उल्लेख किया गया कि विभिन्न निपटान प्रतिवेदन करदाताओं के विवरणी डेटा अधिकृत करेंगे जिसका उपयोग संघ और विभिन्न राज्यों के बीच आईजीएसटी का निपटान करने के लिए किया जायेगा। विभिन्न निपटान प्रतिवेदनों में विवरणी डेटा को लेते समय, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि एक करदाता के विवरणी आकड़े निपटान प्रतिवेदन में केवल एक बार में दर्शाये जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समान विवरणी अवधि के लिए समान करदाता को पांच प्रतिवेदन (अर्थात् 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 और 01.06) अभिलेखों में जुलाई 2017 से जुलाई 2018 तक की अवधि हेतु सभी जीएसटी पंजीकृत करदाताओं के संबंध में 6,748 मामलों में एक से अधिक बार दर्शाया गया था, जिससे परिणामस्वरूप ₹ 416.07 करोड़ की आईजीएसटी निधियों का गलत निपटान हुआ।

जीएसटीएन ने बताया (जनवरी 2019) था कि चूक का पता लगाया गया था और जून 2018 में प्रारंभिक बग फिक्स के माध्यम से और बाद में नवम्बर 2018 में एक अन्य फिक्स के द्वारा सुधार किया गया। यह भी बताया गया कि पूर्व अवधि के लिए इस चूक के संबंध में वित्तीय निहितार्थ पर एक पृथक कार्यक्रम/उपयोगिता द्वारा ध्यान दिया जाएगा, जो संभावित रूप से 31 मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना था।

जीएसटीएन द्वारा किए गए सुधारों के बावजूद जनवरी 2019 में लेखापरीक्षा जांच में देखा गया कि प्रतिलिपि अभिलेख का जारी किया जाना अभी भी मौजूद है और दिसम्बर 2018 के लिए निपटान प्रतिवेदन 1.02 और 1.03 में प्रतिलिपि अभिलेखों के 1,507 मामले पाए गए थे।

जीएसटी ने आगे बताया (जून 2019 डीओआर के माध्यम से) कि दोष पहले से ही ठीक कर दिया गया है, परन्तु पूर्व महीनों पर इसका प्रभाव जून 2019 के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। लेखापरीक्षा द्वारा इसका सत्यापन किया जाना बाकी है।

3.24 आईजीएसटी निपटान में गलत संगणना

मौजूदा विधियों के अनुसार, करदाता अपनी कर देयताओं का निर्वहन करने हेतु क्रेडिट खाता बही में उपलब्ध आईटीसी का उपयोग कर सकते हैं। आईटीसी का उपयोग हेतु निम्नलिखित सामान्य नियम का पालन किया जाना चाहिए:-

- आईजीएसटी के आईटीसी को आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रम में भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता था।
- सीजीएसटी के आईटीसी को सीजीएसटी और आईजीएसटी क्रम में भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता था।
- एसजीएसटी के आईटीसी को एसजीएसटी और आईजीएसटी क्रम में भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता था।

सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच और इसके विपरीत क्रेडिट के क्रॉस-उपयोग को संविधि के अंतर्गत अनुमति नहीं दी गई थी।

1,65,557 रिटर्नों में, आईजीएसटी से एसजीएसटी और इसके विपरीत और सीजीएसटी - आईटीसी से आईजीएसटी देयता का निपटान मई 2018 के प्रतिवेदन में दिल्ली के साथ किया गया था। मई 2018 के लिए **दिल्ली के करदाताओं से संबंधित विवरणियों** के डेटा का उपयोग करके लेखापरीक्षा द्वारा की गई गणना अनुसार **निपटान में ₹ 37.68 लाख के 37 मामलों में जो निपटान प्रतिवेदन में उपलब्ध थे उसमें विसंगतियां थी।**

इन 37 मामलों में से 11 मामलों में निपटान प्रतिवेदन में करदाता अभिलेख उपलब्ध नहीं थे यद्यपि जीएसटीआर-3बी में क्रॉस उपयोग हुए थे। इस विषय के बारे में बताए जाने पर (जुलाई 2018), *जीएसटीएन ने उत्तर दिया कि जीएसटीएन द्वारा इस त्रुटि की पहचान की गई और इसे ठीक किया गया (नवम्बर 2018)। जीएसटीएन ने आगे बताया (डीओआर के माध्यम से जून 2019) कि अप्रैल 2019 की निपटान प्रतिवेदन में लुप्त अभिलेखों को शामिल किया जाएगा।*

शेष 26 मामलों में जीएसटीएन ने निम्नलिखित कारणों से निपटान प्रतिवेदन में गलत मूल्यों को उत्तरदायी ठहराया:-

- 23 मामलों में पद्धति/क्रम, जिसमें कानून के अनुसार आईजीएसटी के आईटीसी का उपयोग करना अपेक्षित था, उसका पालन नहीं किया गया था।
- एक मामले में, एसटीएल में अधिक राशि के लिए अतिरिक्त प्रविष्टि दर्ज की गई थी।

- दो मामलों में, ऋणात्मक देयता को कुल देयता हेतु समायोजित किया गया था।

आईटीसी को उपयोग करने के क्रम के विषय में जीएसटीएन ने बताया हालांकि क्रम मानदंडों के अनुसार नहीं है, उसके कारण कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है। ऐसे संव्यवहारों के प्रभाव जून 2019 की निपटान अवधि में शामिल करना लक्षित हैं।

इस प्रकार केवल दिल्ली के लिए एक महीने (मई 2018) के नमूना डेटा विश्लेषण से पता चला कि निपटान के लिए आधारभूत एल्गोरिथम में कमियां थी जिसके परिणामस्वरूप गलत आईजीएसटी निपटान हुआ। इस मुद्दे का समग्र प्रभाव बहुत अधिक होगा। मंत्रालय इस मामले की समीक्षा कर यह सुनिश्चित कर सकता है कि निपटान कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाए।

आईटी लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद, आईजीएसटी के आईटीसी के उपयोग के क्रम के संबंध में नियम 88ए जोड़ा गया था (अप्रैल 2019) जो 1 फरवरी 2019 से किसी भी क्रम में सीजीएसटी और एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी के भुगतान के प्रति आईजीएसटी के आईटीसी के उपयोग की अनुमति इस शर्त के साथ देता है कि आईजीएसटी के संपूर्ण आईटीसी को सीजीएसटी या एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी के आईटीसी के उपयोग से पूर्व पूर्ण रूप से पहले उपयोग किया जाना चाहिए। राजस्व विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई त्रुटि को दूर करते समय इस परिवर्तन पर उचित प्रकार से विचार किया गया है।

3.25 निपटान प्रतिवेदनों में गलत प्रविष्टियां

करदाताओं की गलत श्रेणी से एल्गोरिथम के लिए गलत प्रविष्टियां लेने के कारण पैन इंडिया एसटीएल में गलत प्रविष्टियां हुईं जिसके कारण जुलाई 2017 से जुलाई 2018 की अवधि के दौरान ₹ 359.46 करोड़ की राशि के आईजीएसटी के गलत निपटान के ब्यौरे देखे गए जो निम्नानुसार है:-

| निपटान प्रतिवेदन | टिप्पणी | जीएसटीएन का उत्तर (जनवरी एवं जून 2019) |
|-----------------------------|---|---|
| एसटीएल 01.02/ 01.03 | इन प्रतिवेदनों में उन राज्यों के करदाता ही शामिल किए जाने चाहिए जिससे वह संबंधित है। तथापि, इन प्रतिवेदनों में अन्य राज्यों से संबंधित ₹ 198 करोड़ के क्रॉस उपयोग के गलत निपटान के 11,911 मामले शामिल थे | त्रुटि को 31 जनवरी 2019 को ठीक कर दिया गया है। (लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किया जायेगा)। पिछले महीने के निपटान पर प्रभाव जून 2019 तक पूरा हो जाएगा। |
| एसटीएल 01.02/01.03 | 10,000 के अंतराल (अर्थात् क्रम. सं. 10,000 20,000 तथा 30,000 और इसी प्रकार आगे) पर की गई प्रविष्टियां गायब पाई गई थी। इसके कारण प्रविष्टियों का योग प्रतिवेदन में निर्दिष्ट कुल राशि से मेल नहीं खाता। चूंकि निपटान प्रतिवेदन के कुल जोड़ पर आधारित था, इसलिए इस मुद्दे का निधियों के निपटान पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं था। तथापि, कर प्राधिकरणों को गलत सूचना का मुद्दा प्रणाली में बना रहा। | त्रुटि को ठीक कर दिया गया है (सितम्बर 2018)। इसका कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है। |
| एसटीएल की श्रेणी ए 01.04 | यह प्रतिवेदन राज्यों में अपंजीकृत व्यक्तियों के लिए की गई अंतर-राज्यीय आपूर्तियों पर आधारित था। अतः इस प्रतिवेदन हेतु आपूर्तिकर्ता संबंधित राज्य से बाहर का होना चाहिए। तथापि, श्रेणी ए के प्रति 37,723 अभिलेख थे जहां आपूर्तिकर्ता उसी राज्य में अवस्थित थे जिससे प्रतिवेदन संबंधित था जिसमें ₹ 153 | जीएसटीआर-3बी में करदाता द्वारा दिए गए ब्यौरों के आधार पर निपटान किया गया था। अतः पीओएस के वैधीकरण हेतु कोई जांच नहीं की गई थी जिसके कारण मुद्दा उजागर |

| निपटान प्रतिवेदन | टिप्पणी | जीएसटीएन का उत्तर (जनवरी एवं जून 2019) |
|---------------------------------|---|--|
| | करोड़ के निपटान शामिल है। | <p>हुआ था। एक परिवर्तन निवेदन (सीआर) प्रारंभ किया गया है जो मार्च 2019 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था।</p> <p>जब इस मामले को कानून समिति के समक्ष रखा गया, तब उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि स्व-मूल्यांकन होने के कारण जीएसटीआर-3बी में इस प्रकार के वैधता पन की कोई आवश्यकता नहीं है और सीआर को उसी अनुरूप संशोधित किया जा रहा है।</p> |
| एसटीएल 01.04 की श्रेणी ई तथा एफ | यह कर भुगतान के साथ सेज़ को निर्यातों/आपूर्तियों का निपटान करता है। इन श्रेणियों के प्रति कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई, जो बताता है कि इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले संव्यवहारों पर आईजीएसटी निधियों के निपटान हेतु विचार नहीं किया गया था। | श्रेणी ई और एफ के लागू नहीं होने के कारण आईजीएसटी का संचय नहीं हुआ। आईजीएसटी के भुगतान के साथ निर्यात कर रहे करदाता बाद में प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं। प्रतिदाय को प्रत्यक्ष रूप से सीमा शुल्क विभाग के |

| निपटान प्रतिवेदन | टिप्पणी | जीएसटीएन का उत्तर (जनवरी एवं जून 2019) |
|------------------|---|--|
| | | द्वारा संसोधित किया जाता है। उसके लिए किसी निपटान की आवश्यकता नहीं है। लेखापरीक्षा इस तर्क से सहमत नहीं है कि इस कारण से आईजीएसटी का संचय नहीं हुआ चूंकि निर्यातकों द्वारा आईजीएसटी प्रतिदाय को दावा नहीं किये जाने और सीमा शुल्क द्वारा प्रतिदाय के भुगतान में विलंब के उदाहरण हो सकते हैं। |
| एसटीएल 01.05 | इस प्रतिवेदन में उस राज्य के अलावा अन्य राज्यों से संबंधित संव्यवहार को ही शामिल किया जाना चाहिए जिसके लिए यह सृजित किया गया था। तथापि, इसमें इसी राज्य से आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित 1,713 अभिलेख शामिल थे जिससे प्रतिवेदन संबंधित था, इसमें ₹ 4.13 करोड़ का गलत निपटान शामिल था। | यह मौजूदा प्रणाली में आपूर्ति स्थल (पीओएस) के वैधीकरण के अभाव के कारण हुआ था। पीओएस के वैधीकरण को लागू करने के लिए परिवर्तन निवेदन (सीआर) को मार्च 2019 तक लागू किया जाना था। |
| | इस प्रतिवेदन में संव्यवहार की एक श्रेणी (अनिवासी करयोग्य व्यक्तियों को आपूर्तियां) के प्रति कोई प्रविष्टि नहीं थी, जिससे यह अनुमान लगाया गया | अनिवासी कर योग्य व्यक्ति देश के बाहर से सामान ला सकते हैं और कोई खरीदारी |

| निपटान प्रतिवेदन | टिप्पणी | जीएसटीएन का उत्तर (जनवरी एवं जून 2019) |
|------------------|---|--|
| | था कि इस श्रेणी के तहत आने वाले संव्यवहारों को आईजीएसटी निपटान प्रक्रिया में लेखांकन के तहत नहीं लिया जा रहा था। | न कर रहे हो। अतः, वार्षिक विवरणी दाखिल करने के बाद, प्रभाव की जांच की जायेगी। वर्तमान में, जीएसटीआर-3बी में अनिवासी करदाताओं को की गई आपूर्तियों के ब्यौरे शामिल नहीं हैं। |
| एसटीएल 01.06 | इस प्रतिवेदन के तहत श्रेणी ए एक राज्य में प्राप्तकर्ताओं के लिए अनुचित आईटीसी हेतु थी जिसने अन्य राज्य से इनवर्ड आपूर्ति प्राप्त की थी। अतः इस श्रेणी में राज्य से संबंधित करदाता सम्मिलित होने चाहिए जिससे प्रतिवेदन संबंधित थी। तथापि, इस प्रतिवेदन में श्रेणी 'ए' के 132 अभिलेख निहित थे जहां करदाता उस राज्य के अलावा अन्य राज्य से संबंधित थे जिससे प्रतिवेदन संबंधित था, जिसमें ₹ 4.33 करोड़ का गलत निपटान सम्मिलित है। | त्रुटि को पहले से ही 31 जनवरी 2019 को नियत किया गया है (लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किया जाना है) पिछले महीने के निपटान पर प्रभाव जून 2019 तक पूर्ण हो जाएगा। |

आईजीएसटी निपटान पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों में प्रतिलिपि अभिलेख, आईजीएसटी निपटान की गलत संगणना और निपटान प्रतिवेदनों में गलत प्रविष्टियाँ जैसे मुद्दों के समूह को शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि आईजीएसटी निपटान का निर्धारण करने वाले एल्गोरिथ्म सही नहीं हैं और जिसका अर्थ यह होगा कि इस

महत्वपूर्ण कार्यक्षमता को संचालन करने से पहले उचित परीक्षण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा जांच में इस एल्गोरिथ्म के आधार पर सृजित आउटपुट में कमियां देखी गईं। इसलिए लेखापरीक्षा के लिए सरकारी खातों को प्रमाणित करने के लिए आईजीएसटी निपटान/प्रभाजन पर आश्वासन प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु संपूर्ण डेटा का एक्सेस चाहिए।

3.26 आईजीएसटी के आईटीसी के अवास्तविक दावे

कानून के अनुसार, आपूर्ति का प्राप्तकर्ता ऐसी आपूर्ति पर भुगतान किए गए इनपुट कर का क्रेडिट ले सकता है। प्राप्तकर्ता को अपनी कर देनदारियों के निर्वहन के लिए क्रेडिट बहीखाता में उपलब्ध आईटीसी का उपयोग करना चाहिए। जीएसटी के नियमों के अनुसार, करदाता द्वारा आईटीसी का दावा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान न किया गया हो। इसे जीएसटीआर-1 तथा 2 विवरणी में दाखिल करके तथा जीएसटीआर-3 में प्रदत्त कर का विवरण जोड़कर करदाता के साथ करदाताओं द्वारा फाइल किए गए जीएसटीआर-1 तथा 2 पर आधारित मासिक विवरणी जीएसटीआर-3 के सृजन के माध्यम से 'आपूर्तियों तथा प्राप्तकर्ताओं' के बीजकों से मिलान करने के लिए प्रावधानों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

हालांकि कुछ समय हेतु जीएसटीआर-2 विवरणी की दाखिला को लंबित किया गया था तथा करदाताओं को किसी ऐसे दोहरे सत्यापन के बिना जीएसटीआर-3बी विवरणी में आईटीसी दावे की स्वीकृति दी गई थी। जीएसटीआर-3बी के तहत, करदाता द्वारा स्व. निर्धारण आधार पर आईटीसी का दावा किया गया था। अतः इस प्रमाण कि आपूर्तिकर्ता द्वारा कर के भुगतान के पश्चात एक करदाता द्वारा आईटीसी का दावा किया जा रहा था, के अभाव में, **यह जोखिम था कि करदाताओं द्वारा अनियमित आईटीसी दावे बिना पता लगाए रह सकते थे। इस संदर्भ में लेखापरीक्षा में पाए गए कुछ मामलों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-**

करदाताओं द्वारा 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2018 तक के दौरान संग्रहित ₹ 11.93 लाख करोड़ के कुल सीजीएसटी, एसजीएसटी तथा आईजीएसटी के प्रति 1 जुलाई 2017 से 8 अगस्त 2018 के दौरान अपनी विवरणी में आईजीएसटी का आईटीसी के ₹ 8.19 लाख करोड़ का दावा किया गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि दावा किया गया आईटीसी संग्रहित कर से सापेक्ष रूप में महत्वपूर्ण था।

उक्त कथनानुसार ₹ 8.19 लाख करोड़ में से, आंध्र प्रदेश के करदाताओं (राज्य कोड 37) ने अकेले ही ₹ 6.49 लाख करोड़ के लिए आईजीएसटी-आईटीसी का दावा किया (19 जुलाई 2018) जिसकी संभावना बहुत कम थी। इसे लेखापरीक्षा द्वारा 21 अगस्त 2018 को जीएसटीएन के नोटिस में लाया गया।

जीएसटीएन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2018) कि आंध्र प्रदेश के एक विशिष्ट करदाता से संबंधित ₹ 6.45 लाख करोड़ का अधिक आईजीएसटी क्रेडिट का दावा जून 2018 माह के लिए जीएसटीआर-3बी फाइल करते समय करदाता द्वारा गलती से किया गया था तथा इसे उसके द्वारा 28 अगस्त 2018 को पूर्णतया बदल दिया गया था।

इस प्रकार, सभी करदाताओं द्वारा एक माह के लिए कुल 79 प्रतिशत आईटीसी दावे को प्रस्तुत करते हुए, एक करदाता के आईजीएसटी के आईटीसी के अवास्तविक गलत दावे को प्रणाली द्वारा, कपटपूर्ण आईटीसी दावों के प्रति प्रणाली की दोषपूर्णता को उजागर करते हुए स्वीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे यह पाया कि आंध्र प्रदेश से उक्त आंकड़े हटाने के पश्चात, पंजाब राज्य ने अखिल भारतीय आईजीएसटी-आईटीसी बकाया के अधिकतम 32.6 प्रतिशत आईजीएसटी-आईटीसी का गठन किया तथा अनियमित आईटीसी क्रेडिटों के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता था।

जीएसटीएन ने कहा (सितम्बर 2018) था कि जीएसटीआर-2 तथा जीएसटीआर-3 जिसे सरकार द्वारा लंबित रखा गया था, के अभाव में, तदनुसूची इनवार्ड आपूर्ति डेटा के साथ जीएसटीआर-3बी में करदाता द्वारा उपलब्ध आईजीएसटी (या सीजीएसटी/एसजीएसटी) के आईटीसी की तुलना करना तथा उसे प्रमाणित करना मुश्किल था। जीएसटीआर-3बी के तहत, करदाता द्वारा स्व-निर्धारण आधार पर आईटीसी का दावा किया गया। इसके अलावा, उन्होंने

यह भी कहा (जनवरी 2019 एवं जून 2019) कि चूँकि निपटान आईटीसी दावे से नहीं किया गया था परन्तु क्रॉस-उपयोग के पश्चात, ऐसे गलत दावों ने निपटान प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया।

यह नोट किया जाना चाहिए कि वर्तमान (जून 2019) में स्व.निर्धारण विवरणी जीएसटीआर-3बी किसी आईटीसी दावे का गलती से क्रॉस उपयोग हो सकता था तथा इससे इसका आईजीएसटी निपटान प्रक्रिया में प्रवेश हो सकता था।

3.27 आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदन का निष्कर्ष

आईजीएसटी निपटान एल्गोरिथ्म को डेटा के अधूरे सेटों का उपयोग करके या संबंधित मॉड्यूल के कार्यान्वयन नहीं किए जाने की वजह से या स्थगन में रखी गई विवरणी के मामले में डेटा की अनुपलब्धता के कारण प्रयोग किया जा रहा था। निपटान प्रतिवेदनों का सृजन जिस सीमा तक किया गया था, लेखापरीक्षा ने एल्गोरिथ्म में विभिन्न अशुद्धियां पाईं। चूँकि केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों की निधियों के निपटान पर इनका असर पड़ता है वित्त मंत्रालय को लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई अशुद्धियों पर विचार करते हुए अभी तक किए गए आईजीएसटी निपटान की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए।

इस एल्गोरिथ्म पर आधारित आउटपुट में लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कमियों के मद्देनजर, सरकार के खातों को प्रमाणित करने के लिए आईजीएसटी निपटान/प्रभाजन पर आश्वासन प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु आडिट को संपूर्ण डेटा एक्सेस चाहिए।

अपूर्ण आईजीएसटी एल्गोरिथ्म के कारण आईजीएसटी बकाया के संचयन की समस्या का समाधान करने के लिए भी उपाय किया जाना चाहिए।

भाग घ: व्यापार निरंतरता तथा परिवर्तन प्रबंधन

3.28 व्यापार निरंतरता

व्यापार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) अंतर संबंधित तत्त्वों का एक समूह है जो संगठनों का उपयोग अपनी व्यापार निरंतरता क्षमताओं को स्थापित करने, लागू करने, मॉनिटर करने, समीक्षा करने, अनुरक्षण करने तथा सुधार करने के लिए करते हैं। बीसीएमएस में व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी) शामिल है जो एक प्रक्रिया है जिसे एक संगठन व्यवधान के बाद

अपनी व्यवसायिक प्रक्रियाओं की रिकवरी की योजना और जांच करने के लिए प्रयोग करता है, बीसीपी का एक सबसेट आपदा राहत योजना (डीआरपी), जो मिशन-महत्वपूर्ण सेवाओं तथा अनुप्रयोगों की रिकवरी के लिए आवश्यक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा कार्य-स्थलों सहित फर्म की अवसंरचना को क्रियान्वित करने तथा समर्थन देने के लिए की गई कार्रवाईयों को सम्मिलित करता है।

3.28.1 अभी तक अंतिम रूप न दी गई व्यापार निरंतरता नीति

जीएसटी आईटी प्रणाली की पद्धति में किसी भी प्रकार के व्यवधान भले ही अस्थाई प्रकृति के हो, देश के अप्रत्यक्ष कर प्रशासन को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगे। अतः बीसीएमएस की एक व्यापक नीति तथा इसे उचित प्रकार से लागू करना परियोजना के सभी हितधारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

हमने पाया कि बीसीएमएस को अंतिम रूप देने में जीएसटीएन अभी प्रक्रियाधीन था। बीसीपी-आपदा राहत नीति का प्रथम ड्राफ्ट अगस्त 2017 में तैयार किया गया था तथा इसे मई 2018 में अद्यतित किया गया था परन्तु इसे स्वीकृत नहीं किया गया था। केवल डीआरपी को मई 2018 में जीएसटी आईटी प्रणाली को लागू करने के 11 माह पश्चात् अंतिम रूप दिया गया था।

जीएसटीएन ने कहा (जनवरी 2019) था कि बीसीएमएस योजना में सुधार किया जा रहा है तथा इसे मार्च 2019 तक जारी किया जाएगा। वर्तमान जीएसटी आईटी प्रणाली की उपलब्धता का पता लगाने के लिए, स्वीकृत डीआरपी को जारी किया गया था तथा इस योजना के अनुसार आपदा राहत ड्रिल की गई थी। जीएसटीएन ने आगे बताया (जून 2019 डीओआर के माध्यम से) कि बीसीएमएस योजना (संस्करण 1.4) को 28 मार्च 2019 को जारी किया गया है, हालांकि, लेखापरीक्षा में उसको सत्यापित किया जाना बाकी है।

3.28.2 लक्ष्य से कम आपदा राहत प्रदर्शन

जीएसटीएन में आईटी अवसंरचना को एक प्राथमिक डेटा केन्द्र²⁴ (डीसी-1) तथा निकट लाइन डेटा केन्द्र²⁵ (एनडीसी-1) से परिचालित किया जा रहा था। आपदा राहत तंत्र (डीआरएम) को एक वैकल्पिक स्थान अर्थात् दूसरे डेटा केन्द्र (डीसी-2) तथा निकट डेटा केन्द्र (एनडीसी-2) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना था। डीसी-2 से विशिष्ट समय के अन्दर डीसी-1 में सेवा के व्यवधान के मामले का नियंत्रण तथा सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करना अपेक्षित था। जीएसटीएन ने डीसी-1 से डीसी-2 में अथवा इसके विपरीत डेटा के अंतरण के लिए क्रमशः रिकवरी प्वाइंट ओब्जेक्टिव²⁶ (आरपीओ) तथा रिकवरी टाइम ओब्जेक्टिव²⁷ (आरटीओ) के रूप में शून्य डेटा हानि तथा 30 मिनट का लक्ष्य निर्धारित किया था।

मामला मूल कारण विश्लेषण लिंकेज प्रतिवेदन की हमारी संवीक्षा से पता चला कि जीएसटी पोर्टल की सेवाएं 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक के दौरान 25 बार प्रभावित हुईं। इनमें से चार मामलों के दौरान, जीएसटी पोर्टल की सभी सेवाएं प्रभावित हुईं तथा सर्वर 01.10 बजे से 12.00 बजे के बीच डाउन था। डीसी-1 में मामला निर्धारित करने के पश्चात् सेवाओं को पुनः बहाल किया गया तथा बीसीपी में उद्दिष्ट डीसी-2 को हस्तांतरित नहीं किया गया था। चूंकि द्वितीय फॉल बैक डीसी-2 सुविधा तैयार नहीं थी।

²⁴ डेटा केंद्रों में नेटवर्क युक्त कंप्यूटर और भंडारण शामिल होते हैं जो व्यवसाय या अन्य संगठन द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित, संसाधित, संग्रहीत और प्रसारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

²⁵ कुछ संगठनों में डाटा प्रतिकृति के लिए प्राथमिक डीसी के स्थान पर नियर लाइन डेटा सेंटर भी होगा जहां आपदा की स्थिति में किसी भी डेटा हानि को रोकने के लिए वास्तविक समय पर डेटा की प्रतिलिपि को दोहराया जाता है।

²⁶ आरपीओ जोखिम पर डेटा की मात्रा को संदर्भित करता है और डेटा की मात्रा को दर्शाता है जो संभावित रूप से एक आपदा राहत के दौरान खो सकती है।

²⁷ आरटीओ समय की लक्षित अवधि और एक सेवा स्तर है जिसके भीतर एक व्यापार प्रक्रिया को एक आपदा (या व्यवधान) के बाद बहाल किया जाना चाहिए ताकि व्यापार निरंतरता में अंतराल के साथ अस्वीकार्य परिणामों से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि डीआरएम की तैयारी की जांच करने के लिए, जीएसटीन ने जून तथा जुलाई 2018 में दो मॉक ड्रिलस²⁸ की थी। प्रथम मॉक ड्रिल में, छः घंटों की योजनित अवधि के प्रति कुल 14 घंटे 50 मिनट का समय लिया गया था। द्वितीय मॉक ड्रिल ने योजनित अवधि से तीन घंटे अधिक लिए।

जीएसटीएन ने कहा (अगस्त 2018) कि व्यवसाय प्रक्रिया में निरंतर परिवर्तनों के कारण, जीएसटी आईटी प्रणाली में सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्रत्येक सप्ताह में दो बार परिनियोजित किया जा रहा था तथा प्रायः अप्रत्याशित परिदृश्यों के कारण से ये नुकसान हुए थे। एप्लीकेशन आउटेज के दौरान, डेटा केन्द्रों को स्थानांतरित करने का तब तक कोई महत्व नहीं होगा जब तक कि प्रभावित अनुप्रयोग का पहले सुधार न किया जाए।

लेखापरीक्षा इस तर्क से सहमत नहीं थी चूंकि उक्त वर्णित 25 मामलों में से 11 मामलों में, जीएसटीएन ने मामलों के लिए अवसंरचना को उत्तरदायी माना था। सभी चार मामले, जब सभी सेवाएं प्रभावित हुई थी, अवसंरचना में मुद्दों को उत्तरदायी माना गया था। यदि डीआरएम उपलब्ध, पर्याप्त और कार्यरत होता तो ऐसे मामलों में लंबी आउटेज अवधि से बचा जा सकता था।

जीएसटीएन ने एक्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2018) में सूचना दी कि डीसी-2 पूर्णतः कार्यरत था। हालांकि, लेखापरीक्षा में उसको सत्यापित किया जाना बाकी है जीएसटीएन ने यह भी उत्तर दिया कि आरएफपी के अनुसार, आरटीओ और आरपीओ का मापन प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एण्ड एम) अवस्था के दौरान किया जाएगा, विकास चरण पर नहीं। सभी घटनाओं के दौरान, शून्य आरपीओ प्राप्त हुआ था और आपदा बहाली ड्रिल (डीआरडी) के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। प्राथमिक डीसी से वैकल्पिक डीसी में प्रचालनों के स्थानांतरण सहित डीआरडी का प्रदर्शन किया जा रहा था ताकि चरणबद्ध तरीके से सहमति दी गई आरटीओ और आरपीओ में तैयारी सुनिश्चित की जा

²⁸ मॉक ड्रिल का प्राथमिक उद्देश्य पर्याप्त समय में सेवाएं प्रदान करने के लिए वैकल्पिक डेटा सेंटर की तत्परता का आकलन करना है। यह भी आकलन करता है कि प्रत्येक गतिविधि के लिए अनुमानित समय पर्याप्त है या नहीं। मॉक ड्रिल के दौरान, वैकल्पिक डेटा केंद्र पर अनुप्रयोग और निगरानी सेवाएं विफल हो जाएंगी, हालांकि इसे जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

सके। जीएसटीएन ने आगे (जून 2019 डीओआर के माध्यम से) महत्वपूर्ण कार्य (बीजक को अपलोड करना, विवरणी दाखिल करना, कर भुगतान और खाता-बही का सृजन) लिए 30 मिनट से कम समय की आरटीओ की प्राप्ति हेतु और अन्य कार्यों हेतु 4 घंटे से कम समय के आरटीओ की सूचना दी।

जीएसटीएन के उत्तर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी प्रणाली के महत्व के मद्देनजर देखा जाना चाहिए। यद्यपि जीएसटीएन ने हाल ही में ओएण्डएम चरण में प्रवेश किया है, फिर भी तथ्य यह था कि जीएसटी पोर्टल जुलाई 2017 से अस्तित्व में था। लक्षित निष्पादन मानदंड के साथ सभी आपदा परिदृश्यों का ध्यान रखने वाले एक कार्यात्मक डीआरएम को काफी समय पहले तैयार कर लिया जाना चाहिए था। ऐसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के लागू होने के बाद लगभग दो वर्षों हेतु इसे सुनिश्चित करने में विफलता पूरे जीएसटी-इको सिस्टम और इसके पणधारकों के लिए निरंतर जोखिम था।

अतः जीएसटीएन अब भी बीसीएमएस को सरल व कारगर बनाने की प्रक्रिया में था जिस का कार्य प्रगति पर था और नोट किया गया रिकवरी समय अभीष्ट लक्ष्यों के अनुसार नहीं था। अतः प्राथमिक डीसी में सेवा में व्यवधान जीएसटी सेवाओं को प्रभावित कर सकता था जिससे सभी हितधारकों को असुविधा होगी।

3.29 परिवर्तन प्रबंधन

परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के अनुसार, जीएसटीएन को सरकार से नई आवश्यकता या अनुमोदित एसआरएस से विचलनों के आधार पर परिवर्तन निवेदन (सीआर) सृजित करने चाहिए। एमएसपी में सीआर की अनुक्रमिक संख्या के साथ सीआर दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिसमें प्रस्तावित परिवर्तित मद, कारोबार प्रभाव, लागत प्रभाव, जोखिम, प्रशिक्षण (यदि है) सहित प्रस्तावित परिवर्तन के विवरण, परिवर्तन के वितरण की समय सीमा और विलंबित वितरण हेतु सेवा स्तर करार (एसएलए) शामिल है।

प्रभाव विश्लेषण दस्तावेज में सीआर के संभावित परिणामों की पहचान, अपेक्षित परिवर्तन के निष्पादन हेतु आवश्यक परिवर्तन और वितरण की उच्च स्तरीय समय सीमा को भी कवर किया जाना चाहिए। यदि सीआर का लागत

प्रभाव ₹ पांच लाख से अधिक हो जाए तो इसे परिवर्तन अनुमोदन बोर्ड (सीएबी) के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, अन्यथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट) इसे अनुमोदित कर सकता है, बाद में सीएबी को सूचना देगा। यथा अनुमोदित सीआर की सूचना विकास हेतु एमएसपी को दी जानी चाहिए। सीआर को रद्द करने के कारणों, यदि कोई है, को नोट किया जाना चाहिए और इसकी सूचना सीआर के सर्जक को दी जानी चाहिए।

एमएसपी सीआर दस्तावेज की प्राप्ति स्वीकार करेगी तथा सीएबी द्वारा अनुमोदित लागत और समयसीमा के अनुसार परिवर्तन के वितरण हेतु जिम्मेदार होगी। परिवर्तनों के वितरण में हुए विलम्ब को अनुमोदन हेतु लागू शास्ति लगाने के लिए सीएबी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सभी माइयूनों में 1 जुलाई 2017 के बाद से 13 जुलाई 2018 तक कुल 271 सीआर बनाई गई थी। लेखापरीक्षा में जीएसटीएन में परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया की समीक्षा की गई और निम्नलिखित त्रुटियां देखी गई थी:-

3.29.1 अनिर्धारित कार्यकलापों की समयसीमा

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए प्रत्येक कार्यकलाप/उपाय हेतु कोई पृथक समयसीमा निश्चित नहीं की गई थी।

- सीआर की तैयारी, समीक्षा और अनुमोदन तथा प्रभाव विश्लेषण दस्तावेज
- लागत के आधार पर सीएबी या जीएसटीएन अनुमोदन
- सीआर का कार्यान्वयन, परीक्षण तथा जांच
- स्वीकृति प्रमाण-पत्र
- एमएसपी द्वारा बनाए गए बीजक का प्रसंस्करण

चूँकि उपरोक्त कार्यकलापों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, अतः यह सुनिश्चित करना संभव नहीं था कि सीआर का प्रबंधन समय पर किया जा रहा था और परिवर्तन के क्रियान्वयन में एमएसपी/जीएसटीएन की ओर से हुए विलम्ब के मामले में जवाबदेही निर्धारित की गई है।

जीएसटीएन ने बताया (जनवरी 2019) था कि आरएफपी को अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के विकास हेतु वाटरफाल कार्यपद्धति पर विचार करते हुए बनाया गया था। हालांकि, सरकार से आवश्यकताओं में काफी परिवर्तनों के कारण, विकास जारी रखने के लिए एजाइल कार्यपद्धति अपनाई गई थी। इसके साथ, जीएसटीएन अनवरत तरीके से उत्पादन हेतु सेवाएं परिनियोजित कर रहा था और उसी समय नई विशेषताओं को विकसित कर रहा था। जीएसटीएन ने सूचना दी कि वह विकास और परिचालनात्मक चरणों को साथ में चला रहे थे और आरएफपी में निर्दिष्ट समय केवल परिचालनात्मक चरण पर लागू था। पृथक कार्यकलापों हेतु उठाए जा रहे परिवर्तनों और घटनाक्रम को इष्टतम करने हेतु परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया में संशोधन किया जा रहा था।

जीएसटीएन का उत्तर सहमति योग्य नहीं था क्योंकि कार्यकलाप हेतु वांछित समय को जीएसटी के लागू होने के आरंभिक दिनों से उल्लिखित तथा क्रियान्वित किया जा सकता था, क्योंकि यह सीआर की व्यवस्था हेतु आंतरिक व्यवसाय प्रक्रिया का मुद्दा था। चालू प्रणाली के लिए समय को खुला रखना एक अप्रभावी परियोजना प्रबंधन कार्यप्रणाली थी।

सीएसटीएन ने बताया (जून 2019) कि देरी के साथ यदि कोई हुई हो, आरंभ से लेकर उत्पादन होने तक परिवर्तन पर नजर रखने के लिए एक व्यवस्थित और प्रभावी प्रक्रिया, स्थापित करने के लिए उन्होंने दिसंबर, 2018 में परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया का मुआयना किया।

3.29.2 प्रभाव विश्लेषण को पूर्वव्यापी ढंग से किया गया अथवा नहीं किया गया

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समीक्षा की गई 271 सीआर में से 1 जुलाई 2017 तथा 22 फरवरी 2018 के बीच प्रस्तुत 168 सीआर में पूर्वव्यापी ढंग से प्रभाव विश्लेषण किया गया था। इसके अलावा, 103 सीआर में, प्रभाव विश्लेषण दिसम्बर 2018 तक नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल 112 सीआर में, लागत विश्लेषण किया गया था तथा शेष 159 सीआर में, लागत विश्लेषण अभी किया जाना था। 112 सीआर में जहां लागत विश्लेषण किया गया था, के बीच 19 सीआर में ₹ पांच लाख से अधिक लागत सम्मिलित थी तथा इसीलिए सीएबी की मंजूरी की आवश्यकता थी। सीएबी

द्वारा 14 सीआर कार्यान्वयन मंजूरी की गई थी (जुलाई 2018) तथा शेष पांच सीआर पर स्वीकृति अभी दी जानी थी।

जीएसटीएन ने कहा (जनवरी 2019) कि प्रभाव विश्लेषण तथा सीएबी का अनुमोदन सीआर को लागू करने में किए गए प्रयासों को अवगत कराने के लिए फरवरी 2018 से चरण 3 में आरम्भ किया गया। एक आकलन फ्रेमवर्क को सीआर के प्रयास तथा समयसीमा का विवरण प्रदान करने के लिए प्रभाव विश्लेषण टेम्पलेट के साथ औपचारिक रूप दिया गया था। इस प्रस्ताव को सीएबी द्वारा औपचारिक रूप से 22 फरवरी 2018 को स्वीकृत किया गया था। पूर्व मामलों में, चूंकि सीआर को पहले ही क्रियान्वित किया गया था अतः सीएबी से कार्यान्वयन मंजूरी दी जा रही थी।

3.29.3 स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी न करना

सीआर के सफल क्रियान्वयन के पश्चात् सीएबी द्वारा 'स्वीकृति प्रमाण-पत्र' जारी किया जाना अपेक्षित था। आरएफपी के अनुसार, यदि किसी मामले में सीएबी से कोई उत्तर प्राप्त न हो तो कथित क्रियान्वयन को स्वतः ही स्वीकृत माना जाएगा।

135 सीआर में 'स्वीकृति प्रमाण-पत्र' जारी नहीं किया गया था (जनवरी 2019) जो लाइव उत्पादन में थी। इस प्रकार, जीएसटीएन द्वारा इन परिवर्तनों को स्वीकृत माना गया था भले ही परिवर्तन को स्वीकृत करने की उचित प्रक्रिया अभी लंबित हो।

जीएसटीएन ने कहा (जनवरी 2019) था कि सीएबी परिवर्तन को क्रियान्वित करने और परिवर्तन क्रियान्वयन आरंभ करने के लिए अग्रगण्य प्रदान करने हेतु प्रयास तथा लागत की समीक्षा तथा स्वीकृति कर रहा था। चूंकि जीएसटीएन सेवा दल द्वारा परिवर्तन किए जा रहे थे अतः इसकी क्रियान्वयन के पश्चात् जीएसटीएन सेवा दल द्वारा समीक्षा/स्वीकृत किया जाना चाहिए। आरएफपी में यह एक विसंगति थी कि सीएबी द्वारा स्वीकृति तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। 14 दिसम्बर 2018 को आयोजित बैठक में सीएबी से यह स्वीकृति प्राप्त करके इसका सुधार किया गया था कि परिवर्तन निवेदनकर्ता जीएसटीएन की अधिप्राप्ति एवं ठेका विभाग तथा परिवर्तन प्रबंधन के

परिभाषित एसओपी के अनुसार उत्पादन में सीआर को स्वीकृति पश्चात कार्यान्वयन प्रदान करेगा। जीएटीएन ने आगे बताया (जून 2019 डीओआर के माध्यम से) कि एमएसपी और जीएसटीएन के बीच परस्पर सहमति से नई प्रक्रिया बनाई गई।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि पहले किए गए परिवर्तनों में कोई कमी देखी जाएगी तो एमएसपी को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का जोखिम होगा क्योंकि उन्हें परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए मान लिया गया था।

3.29.4 अपूर्ण दस्तावेजीकरण की वजह से सीआर पर प्रभावी मॉनीटरिंग का अभाव

लेखापरीक्षा ने पाया कि नवम्बर 2017 से पूर्व 85 सीआर में कोई औपचारिक दस्तावेजीकरण तथा पूर्ण सॉफ्टवेयर समाधान नहीं था। इसकी वजह से, परिवर्तनों की विभिन्न प्रक्रियाओं को अनेक दलों तथा स्प्रेडशीट में फैलाए जाने के कारण सीआर की प्रभावी मॉनीटरिंग कठिन बन गई।

जीएसटीएन ने कहा (जनवरी 2019) था कि परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित किया गया था। प्रारम्भ में निगरानी पर ध्यान केन्द्रित किया गया था क्योंकि सिस्टम नया था तथा परिचालन तंत्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं था। प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, नियंत्रण को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा गया था। परिवर्तन के प्रभाव विश्लेषण तथा प्रयास आकलन का मूल्यांकन करने के लिए, सीएबी द्वारा फरवरी 2018 में फ्रेमवर्क को स्वीकृत किया गया था। इसके पश्चात् परिवर्तन किए गए तथा उस तिथि से पूर्व लागू किए गए जो पूर्व तरीके से मूल्यांकित की गई थी तथा सीएबी अनुमोदन कार्यान्वयन दिया गया था। नए परिवर्तनों के लिए, संशोधित प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा था।

उक्त कमियों ने यह दर्शाया कि परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया को अनुप्रयोग के लागू होना के लगभग दो वर्ष पश्चात भी अभी सुव्यवस्थित किया जाना था।

उल्लेखित समयसीमा तथा प्रभावी परिवर्तन अनुमोदन, स्वीकृति तथा निगरानी तंत्र के अभाव में, लेखापरीक्षा इस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं थी कि क्या लागू किए गए परिवर्तन ने अपेक्षित मानक को प्राप्त किया तथा इससे अभीष्ट परिणाम प्राप्त हुए थे।

जीएसटीएन ने आगे बताया (जून 2019 डीओआर के माध्यम से) कि परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए दिसंबर 2018 में परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया को संशोधित किया गया है।

3.30 व्यवसाय निरंतरता तथा परिवर्तन प्रबंधन पर निष्कर्ष

जीएसटी आईटी सिस्टम की कार्यकारिणी भले ही अस्थाई प्रकृति की हो, की कार्यकारिणी में किसी प्रकार के व्यवधान अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा तथा यह सभी पणधारकों की असुविधा का कारण बनेगा। प्रगति पर कार्य के रूप में व्यवसाय निरन्तरता नीति तथा मॉक ड्रिल में परिलक्षित रूप में 30 मिनट के लक्षित राहत समय के विरुद्ध अधिक आपदा राहत समय ने किसी व्यवधान के मामले में सिस्टम को जोखिम के प्रति इशारा किया। परिवर्तन प्रबंधन के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण के अभाव ने जीएसटी पोर्टल पर चल रहे अनुप्रयोग में मौजूद महत्वपूर्ण जोखिमों को दर्शाता है।

3.31 संक्षिप्त आईटी लेखापरीक्षा निष्कर्ष

जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मामलों का पता चला:-

16 मामलों में, मुख्य वैधता/कार्यात्मकता लागू मॉड्यूलों में मौजूदा रूप में कानूनी प्रावधानों के साथ संरेखित नहीं पाई गयी थी। इन 16 मामलों में, आवश्यक वैद्यता सात मामले में एसआरएस में शामिल नहीं की गई थी, वैद्यता अन्तर्निहित नहीं थी यद्यपि एसआरएस को आठ मामलों में उचित ढंग से तैयार किया गया था और एसआरएस प्रावधान में शामिल एक शर्त एक मामले में अधिनियम में निर्धारित नहीं है।

सिस्टम वैधीकरण को जीएसटी पंजीकरण मॉड्यूल में हुए जीएसटी अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों के साथ संरेखण नहीं किया गया था जिससे निम्नलिखित महत्वपूर्ण अन्तराल छूट गये:-

- कंपोजिशन लेवी स्कीम का लाभ उठाने में अयोग्य करदाताओं को मान्य तथा निषेध करने में प्रणाली विफल रही।
- अनिवार्य क्षेत्रों को वैकल्पिक या जंक मूल्यों को स्वीकार करते हुए पाया गया था।
- टीडीएस पंजीकरण को अमान्य श्रेणी के तहत अनुमति दी गई थी।
- सीबीडीटी तथा एमसीए डेटाबेस के साथ पंजीकरण (कानूनी नाम, व्यवसाय का प्रकार और सीआईएन) में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की मान्यता का अभाव।

भुगतान मॉड्यूल 1 जुलाई 2017 से परिचालन में होने के बावजूद निम्नलिखित परिचालनात्मक कमियों से भरा हुआ था; जैसे

- करदाता द्वारा कर के सफल भुगतान के बाद भी ईसीएल को अद्यतित करने में विलम्ब।
- बैंकों के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा आवश्यकताओं पर आश्वासन का अभाव।
- जीएसटी प्राप्तियों के समेकन में समस्याएं।
- सीपीआईएन की समाप्ति से पूर्व आरंभ किए गए भुगतान परन्तु सीआईएन को सीपीआईएन की समाप्ति के पश्चात् सृजित किया गया तथा करदाताओं को संदेशों के गलत प्रदर्शन जैसे मामलों का निपटान तब तक नहीं किया गया जब तक कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया नहीं गया।
- डेबिट/क्रेडिट कार्डों के माध्यम से भुगतान की सुविधा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका क्योंकि मंत्रालय ने इसका निर्णय नहीं किया कि वित्तीय प्रभावों से कैसे निपटा जाए।

सभी आईजीएसटी निपटान बही खाते को तदनुरूपी जीएसटी मॉड्यूलों अर्थात् आयात और अपीलों का क्रियान्वयन न करने के कारण सृजित नहीं किया जा रहा था। निपटान एल्गोरिथ्म में अशुद्धियों के साथ युग्मित तथा प्रतिदाय हेतु आवश्यक सभी सूचना का पता लगाने में जीएसटीआर-3बी विवरणी को सीमित करने से केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों के लिए निधियों के निपटान पर असर पड़ा।

एक माह के सभी करदाताओं द्वारा दावा किए गए कुल आईटीसी के 79 प्रतिशत को दर्शाते हुए एक करदाता द्वारा आईजीएसटी के आईटीसी के अवास्तविक त्रुटिपूर्ण दावे को सिस्टम द्वारा कपटपूर्ण आईटीसी दावों के लिए सिस्टम की कमजोरी को उजागर करते हुए स्वीकृति दी गई थी।

बैंकों और जीएसटी पोर्टल के आईटी अनुप्रयोगों के मध्य स्वचालित इंटरफेस के साथ प्रणाली में, अमान्य जीएसटीआईएन और सीपीआईएन की समाप्ति के रूप में ऐसी त्रुटियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

निम्नलिखित प्रणाली डिजाइन में कमियां पाई गई हैं:-

- लेखांकन प्राधिकारियों के साथ साझा की गई फाइलों में चेकसम या अभिलेख स्तर के योग जैसा कोई नियंत्रण योग नहीं था।
- आईजीएसटी मॉड्यूल में गलत प्रतिवेदन से प्रविष्टियां लेने में आईजीएसटी एल्गोरिथ्म को चूकपूर्ण पाया गया।
- टर्नओवर, परिवर्तन संभावित जैसे क्षेत्र को विन्यास योग्य नहीं बनाया गया था।
- जब कंपोजीशन लेवी प्रणाली के लिए निर्धारित कारोबार की सीमा को पार किया गया था तब कोई चेतावनी जारी नहीं की गई।

व्यवसाय निरंतरता नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया तथा केवल आपदा राहत योजना स्थापित की गई थी। आपदा राहत ड्रिलों ने 30 मिनट के लक्षित राहत समय से अधिक समय लिया। इसने किसी व्यवधान के मामले में प्रणाली के जोखिम पूर्ण बताया।

जीएसटीएन सूचित सुधारात्मक कार्रवाई के पश्चात् भी निपटान न की गई इस लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कुछ कमियों के साथ युग्मित परिवर्तन प्रबंधन के लिए प्रणालीगत अभिगम के अभाव ने जीएसटी पोर्टल पर चल रहे अनुप्रयोग में विद्यमान महत्वपूर्ण जोखिमों को दर्शाया।

यह स्वीकार करते हुए कि जीएसटी विकासाधीन एक नई प्रणाली है तथ्य यह है कि इसके परिणाम और पैन-इंडिया प्रभाव को देखते हुए, यह सबसे आवश्यक है कि इसके लागू होने से पहले विकास और प्रणाली के परीक्षण में उचित सावधानी रखी जाए। व्यापार नियमों को उचित प्रकार से मैप करने में विफलता और लागू प्रणाली में मुख्य वैधताओं के अभाव जीएसटीएन के कार्य में अपर्याप्तता को इंगित करता है। आईटी लेखापरीक्षा में उजागर मुद्दों ने जीएसटीएन के लिए विभिन्न कार्यात्मकताओं के विकास की प्राथमिकता की पुनः जांच करने, उनके मूल कारण विश्लेषण और परीक्षण प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता को इंगित किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक रूप से लागू होने से पहले अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाया और उनमें सुधार किया गया है। यूटीए एसआरएस साईन ऑफ में कार्यकारी की भागीदारी को पुनः जांच करने की आवश्यकता है।

अपूर्ण आईजीएसटी एल्गोरिथम के कारण आईजीएसटी बकाया के संचयन की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये ताकि राज्यों को आगामी विभाजन के प्रति समायोजित होने के लिए निपटान न किए गए आईजीएसटी के तदर्थ विभाजन की सहायता लेने की आवश्यकता को कम किया जा सके।

अध्याय IV : जीएसटी की अनुपालन लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं जो 2018-19 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आए। लेखापरीक्षा भरत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानको के अनुरूप की गई है।

4.1 डेटा के अभिगम में कमी

समस्त देश के करदाताओं के लिए उनके जीएसटी अनुपालन कार्यों हेतु एकल इंटरफेस के साथ कर प्रशासन की उच्च आईटी-गहन प्रणाली के रूप में जीएसटी की परिकल्पना की गई है। चालान बनाने से लेकर प्राप्तियों का लेखांकन और पंजीकरण से विवरणी दाखिला/ जांच का स्वचालित होना कर संग्रहण के सभी उपायों के साथ इसने कर कानूनों के सही कार्यान्वयन पर सीएजी से पूर्ण आश्वासन²⁹ प्राप्त करने हेतु सरकार और संसद को पहली बार उचित अवसर प्रदान किया है। मानवीय प्रणाली में लेखापरीक्षा 'नमूना जांच' पर की जाती थी और आश्वासन प्रदान करने में सीमाएं थी। अखिल भारत के डेटा की निर्बाध एवं पूर्ण पहुंच सार्थक लेखापरीक्षा के लिए और आश्वासन प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण है अन्यथा राजस्व प्राप्तियों का प्रमाणीकरण कठिन हो जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में और जीएसटी की लेखापरीक्षा में डेटा विश्लेषण की आवश्यकता के मद्देनजर सीएजी के कार्यालय ने मामले को 2016 में ही राजस्व विभाग के पास अखिल भारत जीएसटी डेटा तक पहुंच हेतु भेज दिया था। सीएजी की क्वेरीज के आधार पर डेटा उपलब्ध कराने का राजस्व विभाग का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है क्योंकि पूर्ण डेटा के बिना न तो जांच करना और न ही डेटा पर अपेक्षित एलगोरिदम चलाना संभव है। सीएजी ने जीएसटीएन द्वारा पहले से तैयार किए गए एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से डेटा मांगा था। यह शायद ही कहा जाना चाहिए कि ऐसे डेटा जो सीएजी द्वारा अपेक्षित हो, को उपलब्ध करना संवैधानिक और विधिक आवश्यकता है।

²⁹ मानदंड के प्रति विषयवस्तु के मूल्यांकन या मापन के परिणाम के बारे में उत्तरदायी पार्टी के अलावा अभिष्ट प्रयोक्ताओं के विश्वास की सीमा बढ़ाने के लिए तैयार किए गए निष्कर्ष व्यक्त करना

अधिक अनुसरण के पश्चात, सीबीआईसी ने केवल एमआईएस रिपोर्ट ही साझा की जिसमें केवल कमिशनरी स्तर (केन्द्रीय डेटा हेतु) और राज्य स्तर (राज्य के डेटा हेतु) पर समग्र आंकड़े दिये गए हैं। अतः अखिल भारतीय संव्यवहारों के विस्तृत विश्लेषण में लेखापरीक्षा बाधित हुई।

जीएसटी डेटा तक अभिगम नहीं होने के कारण, अनुपालन लेखापरीक्षा पर इस अध्याय में निष्कर्ष, क्षेत्र में किए गए सीमित लेखापरीक्षा के आधार पर सम्मिलित किये गये हैं। हालांकि, इस सीमित लेखापरीक्षा में सामने लाए गए मुद्दों के सभी पहलू गंभीर प्रणालीगत कमियों को इंगित करते हैं जिसे विभाग द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए।

4.2 लेखापरीक्षा जांच

जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद से जीएसटी विवरणी तंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु नियत तिथि को मूलतः दिसंबर 2018 से अगस्त 2019 तक बढ़ाया गया था। तथापि, वर्ष 2018-19 दौरान, हमारे द्वारा मुख्यतः संक्रमणकालीन क्रेडिट, पंजीकरण तथा प्रतिदायों की लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

पहचान किए गए क्षेत्रों में से प्रत्येक पर निष्कर्ष तीन भागों में नीचे दिए गए हैं:-

भाग क: संक्रमणकालीन क्रेडिट

4.3 प्रस्तावना

जीएसटी के प्रारंभ और लागू होने के साथ, जिससे अनेक अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित हो गए, जीएसटी में पुरानी कर व्यवस्था से सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों और व्यवस्थाओं को स्पष्ट रूप से समझाना आवश्यक था। पूर्व-जीएसटी करों से संबंधित, आईटीसी के अग्रेशन हेतु मुख्यतः इसका प्रावधान आवश्यक था जो जीएसटी व्यवस्था के तहत (बाद में संक्रमणकालीन क्रेडिट के रूप में संदर्भित) जीएसटी के लागू होने वाले दिन पर करदाताओं के लिए उपलब्ध थे।

सरकार और कारोबार दोनों के लिए संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। कारोबार के लिए, पूर्व-जीएसटी व्यवस्था में इनपुटों अथवा इनपुट सेवाओं पर पहले से भुगतान किए गए करों का लाभ देने के लिए ऐसे क्रेडिटों को उचित प्रकार अग्रेषित किया जाना चाहिए। सरकार के दृष्टिकोण से, स्वीकार्य संक्रमणकालीन क्रेडिट की राशि जीएसटी राजस्व के नकदी प्रवाह की सीमा निर्धारित करेगी और इसलिए राजस्व के हितों में, केवल स्वीकार्य और वांछनीय संक्रमणकालीन क्रेडिटों को जीएसटी में अग्रेषित किया जाना चाहिए।

4.4 संक्रमणकालीन क्रेडिट हेतु प्रावधान

4.4.1 संक्रमणकालीन क्रेडिटों का लाभ लेने हेतु शर्तें

जीएसटी अधिनियम की धारा 140 में आईटीसी के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं। इस धारा में, कंपोजिशन वितरक के अतिरिक्त एक पंजीकृत व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट शर्तों के तहत, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अधिनियम के तहत सीजीएसटी के रूप में इनपुट कर क्रेडिट और एसजीएसटी के रूप में राज्य वैट अधिनियमों के तहत इनपुट क्रेडिट की अंत शेष राशि के अग्रेषण के लिए प्रावधान है। महत्वपूर्ण शर्तों पर नीचे चर्चा की गई है:-

- क) पूर्व जीएसटी संविधि के तहत दाखिल अंतिम विवरणी में दिए गए अनुसार क्रेडिट को अग्रेषित किया जा सकता है।
- ख) जीएसटी अधिनियम और पूर्व-जीएसटी अधिनियमों के तहत आईटीसी के रूप में ऐसे क्रेडिट स्वीकार्य होने चाहिए।
- ग) जीएसटी के लागू होने से पूर्व कम से कम पिछले छः महीनों की विवरणी प्रस्तुत की जानी चाहिए थी।

एक पंजीकृत व्यक्ति, जो पूर्व-जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत होने का हकदार नहीं है, या जो छूट वाली वस्तुओं/सेवाओं अथवा एक प्रथम/दूसरे चरण के वितरक या पंजीकृत आयातक अथवा निर्माता के डिपो के साथ लेन-देन कर रहा था, वह भी स्टॉक में रखे गए इनपुटों और स्टॉक में रखे गए अर्द्ध-तैयार अथवा तैयार माल में निहित इनपुट के संबंध में वांछनीय शुल्कों को अग्रेषित करने का हकदार है। इसके लिए निर्धारित महत्वपूर्ण शर्तें हैं कि उक्त पंजीकृत

व्यक्ति के पास बीजक अथवा अन्य निर्धारित दस्तावेजों का परिग्रहण हो। (इस प्रकार के इनपुटों के संबंध में मौजूदा कानून के तहत शुल्क का प्रमाणित भुगतान जो नियत दिन (अर्थात्-1 जुलाई 2017) से तत्काल पूर्ववर्ती बारह महीने से पूर्व जारी नहीं किए गए थे)।

उसी प्रकार, पूंजीगत माल, इनपुट सेवा वितरकों (आईएसडी) और केंद्रीकृत पंजीकरणों के संबंध में आईटीसी को अग्रेषित हेतु करदाताओं की सुविधा के लिए प्रावधान बनाए गए थे।

1 जुलाई 2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ सीजीएसटी अधिनियम को स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया गया है (अगस्त 2018), कि जीएसटी के तहत उपकर संक्रमणकालीन आईटीसी का हिस्सा नहीं होंगे।

4.4.2 संक्रमणकालीन क्रेडिट विवरणियों हेतु समय सीमाएं

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 117 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो संक्रमणकालीन क्रेडिट का हकदार है, को जीएसटी के रोल आउट होने के 90 दिनों के अंदर जीएसटी के पोर्टल पर प्रपत्र जीएसटी ट्रान-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक घोषणा पत्र दाखिल करना होता है। यह नियम जीएसटी समिति की सिफारिश पर, कमिश्नर द्वारा नब्बे दिन का विस्तार भी प्रदान करता है जो आगे नब्बे दिन की अवधि से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार, सीजीएसटी नियमावली में मुख्यतः ट्रान-1 दर्ज करने के लिए अधिकतम 6 महीने प्रदान किए गए। हालांकि, उन करदाताओं³⁰ के सुविधा के लिए जो जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी कठिनाईयों के कारण नियत तिथि पर ट्रान-1 दाखिल नहीं कर सके, उनके लिए समिति की सिफारिशों पर, ट्रान-1 के लिए विस्तार की तिथि हेतु जो 31 मार्च 2019, से आगे की अवधि से अधिक नहीं होगी, के लिए नियम में एक प्रावधान जोड़ा गया था।

4.4.3 ट्रान-1 दाखिल करने के लिए नियत तिथि (तिथियां)

ट्रान-1 दाखिल करने अथवा संशोधित करने की नियत तिथि, जो आरंभ में 28 सितंबर 2017 थी जिसको अंतिम समय सीमा के साथ समय-समय पर 31 मार्च 2019 तक बढ़ाया गया है जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:-

³⁰ दिनांक 10 सितंबर 2018 की अधिसूचना सं. 48/2018-सीटी देखें

| आदेश की तिथि | विस्तारित नियत तिथि | विस्तार के कारण |
|----------------------|-------------------------------------|--|
| 18 और 21 सितंबर 2017 | 31 अक्टूबर 2017 | ट्रान-1 के संशोधन की सुविधा के लिए ट्रान-1 विवरणी जमा करने की नियत तिथि में विस्तार किया गया था। |
| 28 अक्टूबर 2017 | 30 नवंबर 2017 | विस्तार हेतु कोई विशिष्ट कारण नहीं पाया गया परन्तु जीएसटी परिषद के ट्रान-1 के संशोधन के लिए कार्यक्षमता के विकास में देरी के बारे में |
| 15 नवंबर 2017 | 27 दिसंबर 2017 | जीएसटीएन द्वारा प्रदान की गई समय सीमा के आधार पर और जीएसटीएन के साथ विचार-विमर्श के आधार पर, प्रस्तुत करने की नियत तिथि को विस्तारित किया गया था। |
| 17 सितंबर 2018 | 31 जनवरी 2019 तक विशिष्ट मामलों में | सामान्य पोर्टल पर तकनीकी कठिनाइयों के कारण, जीएसटी समिति द्वारा अनुमोदित विस्तार उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी कठिनाइयों के कारण नियत तिथि तक ट्रान-1 जमा नहीं कर सके। |
| 31 जनवरी 2019 | 31 मार्च 2019 तक विशिष्ट मामलों में | |

सीबीआईसी ने दिनांक 3 अप्रैल 2018 के परिपत्र के माध्यम से जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओं को होने वाली शिकायतों के लिए एक आईटी शिकायत निवारण भी स्थापित किया (अप्रैल 2018)। इस परिपत्र में बताया गया था कि बड़ी संख्या में करदाता ट्रान-1 को मूल रूप से दाखिल करने अथवा संशोधित रूप से दाखिल करने की प्रक्रिया के चरण को पूरा नहीं कर सके चूंकि वे आईटी से संबंधित गड़बड़ियों के कारण ट्रान-1 को डिजिटल रूप से प्रमाणित नहीं कर सकते थे। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में ऐसे ट्रान-1 प्रणाली में फंस गए थे। जीएसटीएन को ऐसे करदाताओं की पहचान करने के लिए कहा गया जो इलेक्ट्रॉनिक लेखापरीक्षा सत्यापन के आधार पर ट्रान-1 दाखिल नहीं कर सके थे। यह निर्णय लिया गया कि ऐसे करदाताओं जिनके द्वारा प्रयास किये गए परन्तु जो आईटी गड़बड़ियों के कारण 27 दिसंबर 2017 को अथवा इससे पहले अपना ट्रान-1 दाखिल करने की प्रक्रिया (मूल अथवा संशोधित) पूरी नहीं कर सके, उनको ट्रान-1 दाखिला को पूरा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध ट्रान-1 के निर्माण में तकनीकी गड़बड़ियों और विलम्ब के परिणामस्वरूप ट्रान-1 विवरणी को दाखिल करने के लिए नियत तिथि में बार-बार विस्तार किया गया।

4.5 संक्रमणकालीन क्रेडिटों की पुष्टि हेतु सीबीआईसी विनिर्देश

सीबीआईसी द्वारा अपने क्षेत्रीय विन्यासों के द्वारा संक्रमणकालीन क्रेडिटों की पुष्टि के संबंध में सितंबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान समय समय पर विनिर्देश जारी किये गए जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

- i. सितंबर 2017 में, सीबीआईसी ने अपने क्षेत्रीय संरचनाओं को सूचित किया कि पंजीकृत व्यक्तियों के द्वारा अब तक सीजीएसटी संक्रमणकालीन क्रेडिट के रूप में ₹ 65,000 करोड़ से अधिक के दावे किए गए थे। *(यहां यह बताना उचित होगा कि जुलाई और अगस्त 2017 के दौरान संग्रहित सीजीएसटी ₹ 29,296 करोड़ था)*। सीबीआईसी ने त्रुटि अथवा अव्यवस्था के कारण अपात्र क्रेडिट का दावा करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों की संभावना को चिन्हित किया। पूर्ववत् कानूनों के तहत दाखिल की गयी विवरणी में अंत शेष राशि के साथ संक्रमणकालीन विवरणियों में दावें किए गए क्रेडिटों से मिलान करके और जीएसटी व्यवस्था के तहत क्रेडिट पात्रता की जांच करके ₹ एक करोड़ से अधिक के आईटीसी के दावों की पुष्टि करने के लिए इसके द्वारा अपने क्षेत्रीय संरचनाओं को कहा गया था।
- ii. दिनांक 1 दिसंबर 2017 के विनिर्देशों के माध्यम से, क्षेत्रीय संरचनाओं को विशेष सावधानी से ₹ एक करोड़ से अधिक के संक्रमणकालीन क्रेडिट के मामलों की पुष्टि करने हेतु निर्देशित किए गए थे और उसके बाद अवरोही क्रम में प्राप्त क्रेडिट की पुष्टि का कार्य किया गया था।
- iii. सीबीआईसी द्वारा जारी परिपत्र (मार्च 2018) द्वारा दर्शाया गया कि केंद्रीय कर कार्यालय सीजीएसटी के संबंध में सभी करदाताओं चाहे वह करदाता केंद्रीय अथवा राज्य कर कार्यालय को आवंटित किया गया हो, के मामले में संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों का सत्यापन करेंगे। सीबीआईसी ने केंद्रीय कर कार्यालयों को डेटासेटों के साथ सीजीएसटी

क्रेडिटों की पहचान किए गए 50,000 मामलों की सूची साझा की थी और उनको मार्च-जून 2018 से प्रारंभ होने वाले और जनवरी-मार्च 2019 में समाप्त होने वाली प्रत्येक तिमाही में निर्दिष्ट एक तिहाई मामलों का सत्यापन पूर्ण करने के लिए कहा गया।

4.6 संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों के सत्यापन हेतु आईटी का प्रभाव

जीएसटी पोर्टल के प्रारंभ होने से पूर्व, विभाग “आटोमेशन ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स” (एसीईएस) आईटी एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे थे जिसके माध्यम से विवरणियां दाखिल करना, शुल्क/कर का भुगतान और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर से संबंधित विवरणियों का प्रसंस्करण किया गया। अतः, विभाग के पास निर्मित वस्तुओं/प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणियों से संबंधित डेटाबेस और सेनवैट क्रेडिट अंत शेष राशि के ब्यौरे और 30 जून 2017 तक विवरणी से उपलब्ध अन्य ब्यौरे थे।

सितंबर 2017 में जारी किए गए प्रारंभिक विनिर्देश में, सीबीआईसी द्वारा सेनवैट क्रेडिट शेषों के साथ संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों का मिलान करने के लिए क्षेत्रीय सरंचनाओं को कहा गया था। हालांकि, मार्च 2018 में, सीबीआईसी ने संक्रमणकालीन क्रेडिटों के सत्यापन में क्षेत्रीय सरंचनाओं को सहायता देने के लिए अपने इंटरनेट पोर्टल “अंतरंग” पर शीर्ष 50,000 संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों के डेटा सेट साझा किए थे।

सीबीआईसी द्वारा बताया गया कि,

- सीबीआईसी बैकएंड प्रणाली पर जीएसटी पोर्टल से ट्रान-1 डेटा प्राप्त किया जाता है। ये डेटा करदाताओं द्वारा ट्रान-1 के लिए अग्रेषित क्रेडिट की शुद्धता के स्वचालित सत्यापन को सक्षम बनाने के लिए यथोचित प्रमाणीकरण के साथ एकीकृत किये गये हैं।
- यह प्रमाणीकरण सुनिश्चित करता है कि ट्रान-1 के ब्यौरे (i) पूर्व-जीएसटी पंजीकरण, (ii) पूर्व-जीएसटी कानूनों के तहत दाखिल की गई विवरणियों का स्थिति और (iii) करदाताओं के द्वारा दाखिल की गई अंतिम विवरणी में उपलब्ध सेनवैट क्रेडिट शेष राशि के प्रति जांच किए जाते हैं।

- जहां प्रमाणीकरण सफल होता है, ट्रान-1 को देखने वाले विभागीय अधिकारी के डैशबोर्ड पर एक हरा टिक प्रदर्शित होगा और प्रमाणीकरण विफल होने की स्थिति में एक लाल टिक प्रदर्शित होगा।

4.7 संक्रमणकालीन क्रेडिटों की लेखापरीक्षा

जीएसटी में परिवर्तन के दौरान एकमुश्त गतिविधि होने के कारण और जीएसटी व्यवस्था में राजस्व प्रवाह पर इसके प्रभाव के कारण, संक्रमणकालीन क्रेडिटों को महत्व दिया गया, 2018-19 हमारे द्वारा की गई क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं के द्वारा संक्रमणकालीन क्रेडिट मामलों के सत्यापन पर हमारा ध्यान केंद्रित था।

डेटा विश्लेषण करने और ध्यान केन्द्रित करने वाले क्षेत्रों की पहचान करने और लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों/मामलों के चयन करने के लिए, हमने सीबीआईसी से संक्रमणकालीन क्रेडिटों से संबंधित डेटा उपलब्ध कराने का अनुरोध (अप्रैल 2018 और जून 2018) किया और चयनित क्षेत्रों से संक्रमणकालीन क्रेडिट डेटा की मांग (दिसंबर 2018) की गई थी। *सीबीआईसी द्वारा अपेक्षित डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया और यहां तक कि सीबीआईसी द्वारा पहचान किए गए 50,000 मामलों से संबंधित सुगमता से उपलब्ध डेटा सेट भी हमें उपलब्ध नहीं कराए गए।*

डेटा के अभाव में, हमारे द्वारा इकाइयों में संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों की सीमित लेखापरीक्षा की गई जिनको अन्य जोखिम मानदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया था। व्यक्तिगत मामलों पर ध्यान दिया गया और इन मामलों के आधार पर पहचानी गई प्रणालीगत चूक इस प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं।

लेखापरीक्षा के कुछ निष्कर्ष दर्शाते हैं कि एसीईएस में उपलब्ध डेटा/रेड फ्लैग का अस्वीकार्य क्रेडिट की पहचान करने और इसे अस्वीकृत करने के लिए दक्षतापूर्ण ढंग से लाभ नहीं लिया गया है तथा हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही सुधारात्मक कार्रवाही की गई थी। सीबीआईसी ने किसी भी पद्धति पर विचार नहीं किया जिसके माध्यम से सूचना तकनीकी की

सहायता से केंद्रीय स्तर पर अस्वीकार्य दावों का पता लगाया जा सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2019) कि जीएसटी व्यवस्था में संक्रमित अस्वीकार्य क्रेडिट को अस्वीकृत करने के लिए बोर्ड स्तर पर सभी संभावित उपाय किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे प्रत्येक मामले में आईटीसी को अनुमति देने अथवा अस्वीकार करने का निर्णय, व्यक्तिगत रूप से अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में विशेष अधिकारी के द्वारा लिया गया जो अर्ध-न्यायिक प्रकृति का निर्णय है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि यह केंद्रीय स्तर पर नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह अधिनियम के प्रावधानों के प्राधिकार के अधीन होना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में विभाग द्वारा पूर्व में जांच किए गए मामले में अस्वीकार्य दावें देखे गए जहां डेटा प्रमाणीकरण के परिणाम विभाग तथा कर अधिकारी को उपलब्ध कराने चाहिए। यह दर्शाता है कि सीबीआईसी द्वारा परिपत्रों को जारी करने के उपाय करने और डेटा सेट उपलब्ध कराने और संक्रमणकालीन क्रेडिटों को सत्यापित करने के लिए कर अधिकारियों की सहायता हेतु प्रमाणित करने के बावजूद, सभी उपलब्ध ब्यौरे प्रमाणीकरण हेतु पूर्णरूप से उपयोग नहीं किए गए और उपलब्ध सुरागों को कर अधिकारियों के द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किए गए और सीबीआईसी द्वारा इसकी निगरानी भी नहीं की गई। अस्वीकार्य क्रेडिटों का पता लगाने के लिए आईटी का लाभ उठाने का लेखापरीक्षा का सुझाव और स्वचालित प्रणाली के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर उसका पता लगाना पुनः अभियान्त्रिकी कारोबार प्रक्रिया के दृष्टिकोण से अधिक प्रभावी रूप से कर अधिकारियों को उनके सांविधिक कार्यों का निर्वहन करने में सहायता करती है।

4.7.1 संक्रमणकालीन क्रेडिट की लेखापरीक्षा का विहंगावलोकन

सैंतालीस केंद्रीय जीएसटी कमिश्नरियों में चयनित रेंजों की हमारी लेखापरीक्षा के दौरान विभाग द्वारा की गई संक्रमणकालीन क्रेडिट की जांच पर हमारा ध्यान केंद्रीत था। हमने 2,119 मामलों की जांच की और ₹ 392.91 करोड़ की राशि के संक्रमणकालीन क्रेडिटों की जांच में चूक के 309 उदाहरण

(15 प्रतिशत) देखें, जो सीबीआईसी क्षेत्रीय विन्यासों को टिप्पणियों के रूप में जारी किए गए थे। पैराग्राफ 4.7 में पहले ही बताया गया था कि आकड़ों के अभाव में, हमारे द्वारा संक्रमणकालीन क्रेडिटों की सीमित लेखापरीक्षा की गई।

डेटा के अभाव में, हमारे द्वारा संक्रमणकालीन क्रेडिटों की सीमित क्षेत्र लेखापरीक्षा की गई। सीमित लेखापरीक्षा के बावजूद महत्वपूर्ण 15 प्रतिशत मामलों की नमूना जांच में विषय में अंतर देखा गया। यह करदाताओं द्वारा दावा की गई संक्रमणकालीन क्रेडिटों की समग्र आबादी में बड़ी संख्या में त्रुटि/चूक होने की संभावना को इंगित करता है।

तेरह कमिश्नरियों में 39 करदाताओं से संबंधित 42 महत्वपूर्ण टिप्पणियां मंत्रालय को जारी की गईं (संलग्नक-VI) और ₹ 107.39 करोड़ मूल्य की धनराशि सहित इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(₹ करोड़ में)

| पायी गई आपत्तियां | शामिल कमिश्नरियां | मामलों की संख्या | लेखापरीक्षा आपत्ति की राशि |
|---|-------------------|------------------|----------------------------|
| अतिरेक सेनवैट शेष राशि को अग्रेषित करना | 6 | 6 | 2.58 |
| संक्रमणकालीन क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना | 4 | 4 | 2.02 |
| क्रेडिट के दोहरे लाभ को लेने से रोकने की कोई प्रणालीगत जांच नहीं होना | 1 | 1 | 0.00 |
| उपकर क्रेडिट के अनियमित लाभ लेने का पता नहीं लगाया जाना | 6 | 21 | 9.74 |
| विवादित क्रेडिट की उपयोगिता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना | 2 | 2 | 78.49 |
| संक्रमणकालीन क्रेडिट के निरसन पर ब्याज का भुगतान नहीं होना | 4 | 8 | 14.56 |
| कुल | | 42 | 107.39 |

इन 42 मामलों में से, मंत्रालय ने ₹14.58 करोड़ की राशि सहित 33 मामलों में टिप्पणियों को स्वीकार किया और 18 मामलों में ₹3.72 करोड़ की वसूली को सूचित किया।

4.7.2 अतिरिक्त सेनवैट क्रेडिट का अग्रोषण

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 के अनुसार, कंपोजिशन करदाताओं के अलावा, एक पंजीकृत व्यक्ति, मौजूदा कानून के तहत प्रस्तुत, 30 जून 2017 तक की अवधि से संबंधित विवरणी में अग्रोषित सेनवैट क्रेडिट की राशि को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में लेने का हकदार है। जब तक उक्त क्रेडिट, मौजूदा कानून (केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994) के तहत सेनवैट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा, तब तक पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह सीजीएसटी अधिनियम 2017 के तहत भी आईटीसी के रूप में स्वीकार्य है।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(3) जीएसटी व्यवस्था में स्टॉक पर कर क्रेडिट के पारगमन की सुविधा देती है। धारा 140(3) के तहत संक्रमणकालीन क्रेडिट को अनुमत करने की शर्तों में से एक यह है कि बीजक 1 जुलाई 2016 से पहले के नहीं होने चाहिए अर्थात् एक वर्ष से अधिक पुराने नहीं हो।

हमारे द्वारा ऊपर उद्धृत प्रावधानों के उल्लंघन में छः कमिश्नरियों³¹ (*सलग्नक VI*) में ₹2.58 करोड़ की राशि के संक्रमणकालीन क्रेडिट का अतिरिक्त लाभ लेने के छः मामले देखे गए। इन सभी मामलों में संक्रमणकालीन क्रेडिट का अतिरिक्त अग्रोषण संक्रमणकालीन क्रेडिट जांच प्रक्रिया के दौरान पता नहीं लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹2.58 करोड़ के अतिरिक्त अग्रोषित संक्रमणकालीन क्रेडिट का जब तक हमारे द्वारा इंगित नहीं किया गया तब तक पता नहीं लगाया गया था।

इनमें से चार कमिश्नरियों के *चार मामलों* में अतिरिक्त लाभ लेने, सामान्य इनपुटों और सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट के निरसन की गलत संगणना, उत्पाद

³¹ चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, कोयंबटूर, देहरादून, पुणे-1, और पूर्वी दिल्ली।

शुल्क का कम भुगतान और बीजक के आधार पर गलत क्रेडिट, जो एक वर्ष से अधिक पुराने थे, के संक्रमणकालीन क्रेडिट के गलत दावे से संबंधित है।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (मई 2018 और फरवरी 2019 के बीच), मंत्रालय ने तीन मामलों में टिप्पणी को स्वीकार करते हुए ब्याज सहित ₹ 1.16 करोड़ की वसूली सूचित की (मई तथा जून 2019 के बीच)। एक मामले में, संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों को सत्यापित करने में विभाग की विफलता को स्वीकार न करते समय, मंत्रालय ने कहा (जून 2019) कि जून 2017 में करदाता द्वारा शुल्क का भुगतान करने में आंशिक चूक थी तथा मौजूदा कानून (अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के तहत पृथक कार्रवाई आरंभ की जाएगी। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने इस चूक की पहचान नहीं की भले ही इस मामले में संक्रमणकालीन क्रेडिट को दावा पहले ही सत्यापित किया गया था।

शेष दो मामलों के विषय में नीचे बताया गया है:-

(क) एसीईएस द्वारा रैंड फ्लैग दिए जाने के बावजूद क्रेडिट के गलत अग्रोषण का पता लगाने में चूक

पूर्वी दिल्ली कमिश्नरी में करदाताओं के ट्रान-1 की संवीक्षा से पता चला कि करदाता ने ₹ 2.33 करोड़ के क्रेडिट का दावा किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल से जून 2017 तक की अवधि हेतु करदाताओं की एसटी-3 विवरणी में, सेवा कर के सेनवैट क्रेडिट की आदि शेष राशि ₹ 1.38 करोड़ थी। एसीईएस द्वारा विवरणी में इसे एक चूक के रूप में दर्शाया गया था चूंकि करदाता की पिछली विवरणी (अर्थात् अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 की अवधि हेतु) में अंत शेष राशि 'शून्य' थी। इस प्रकार, ₹ 1.38 करोड़ का संक्रमणकालीन क्रेडिट अस्वीकार्य था।

विभाग द्वारा इस मामले की जांच की गई परन्तु यह अनियमित क्रेडिट, जिसे अप्रैल-जून 2017 की तिमाही हेतु यद्यपि विवरणी में एसीईएस प्रणाली के द्वारा रैंड फ्लैग दिया गया था, विभाग द्वारा इसके विषय पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, यह लेखापरीक्षा के निष्कर्ष संक्रमणकालीन क्रेडिटों की शुद्धता की स्वचालित जांच सुनिश्चित करने के लिए एसीईएस में उपलब्ध सूचना की गैर-उपयोगिता के संबंध में बताते हैं।

हमारे द्वारा बताये जाने पर (मई 2018), आपत्ति स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने विरोध के तहत करदाता द्वारा जमा की गई ₹ 1.38 करोड़ की राशि के विषय में (अप्रैल 2019) सूचित किया। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि यद्यपि विवरणी को त्रुटि का पता लगाने के साथ चिह्नित किया गया था, प्रणाली के द्वारा विवरणी को समीक्षा एवं सुधार हेतु चिह्नित नहीं किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा का तर्क कि एसीईएस में उपलब्ध डेटा/सूचना स्वचालित जांच के लिए उपयोग नहीं किए गए जो पूर्णतः सही नहीं थे।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता चूंकि करदाताओं द्वारा लाभ उठाये गए पिछले क्रेडिटों के ब्यौरे एसीईएस प्रणाली में उपलब्ध थे। यह उल्लेख करना उचित होगा कि यद्यपि एसीईएस प्रणाली के द्वारा विषय को फ्लैग किया गया था, विभाग के द्वारा की गई क्रेडिटों की जांच के दौरान इसका उपयोग ही नहीं किया गया था। इस प्रतिवेदन में संक्रमणकालीन क्रेडिटों की जांच पर इस और अन्य टिप्पणियां शामिल थी जो दर्शाती है कि जांच प्रक्रिया के दौरान एसीईएस में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक सूचना का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया।

(ख) बहु इकाईयों का सम्मिलित क्रेडिट

हमने पाया था कि पूणे-1 जीएसटी कमिश्नरी में एक करदाता ने मौजूदा कानून के तहत अपनी सभी पंजीकृत/गैर-पंजीकृत इकाईयों के आईटीसी के रूप में ₹ 214.58 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया। बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के आधार विभाग द्वारा उपरोक्त ट्रान-1 फार्म की जांच की गई और पूणे अंचल को इससे अवगत कराया गया (जुलाई 2018)।

जून 2017 के महीने के लिए एक इकाई, 'X' है उसकी केंद्रीय उत्पाद विवरणी ईआर-1 (उत्पाद विवरणी-1) की संवीक्षा करने पर, यह पाया कि ग्राह्य क्रेडिट की अंत शेष राशि ₹ 15.04 करोड़ थी, हालांकि, करदाता ने उस इकाई के ट्रान-1 में ₹ 17.32 करोड़ की राशि के संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया था।

इसके अतिरिक्त, जून 2017 के महीने के लिए अन्य सभी मौजूदा इकाईयों की ईआर-1 विवरणियों की जांच से पता चला कि दो अन्य इकाईयों से

संबंधित संक्रमणकालीन क्रेडिट इकाई नामित 'वाई' और 'जेड' के पास सेनवैट अंत शेष राशि क्रमशः ₹ 0.03 करोड़ और ₹ 2.24 करोड़ (उपकर सहित) था, जिसका इकाई 'वाई' एवं 'जेड' के ट्रान-1 में दावा नहीं किया गया। तथापि, उपरोक्त मौजूदा दो इकाईयों की कुल ₹ 2.27 करोड़ की क्रेडिट राशि को इकाई एक्स के अंतर्गत अग्रेषित किया गया था।

जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र (जीएसटी आरईजी-06 फार्म) की जांच पर, यह पाया गया कि उपरोक्त इकाई वाई और जेड न तो व्यापार के मुख्य केन्द्र के रूप में और न ही जीएसटी के तहत व्यापार के निकटवर्ती केन्द्र के रूप में पंजीकृत थे। हालांकि, इन इकाईयों की सेनवैट शेष राशि ट्रान-1 के माध्यम से अग्रेषण हेतु ग्राह्य नहीं थी। इस प्रकार, ₹ 2.27 करोड़ का संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा वसूली योग्य था।

हमारे द्वारा इंगित करने पर (फरवरी 2019) मंत्रालय ने टिप्पणी को अस्वीकार करते हुए, कहा (मई 2019) कि निर्धारिती ने ट्रान-1 दाखिल करने से पहले निकटवर्ती व्यापार केन्द्र के रूप में उपरोक्त दो इकाईयों को संयोजित करने का प्रयास किया था। परन्तु जीएसटीएन पोर्टल ने निकटवर्ती व्यापार के केन्द्र के संयोजन की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि, करदाताओं को ₹ 2.27 करोड़ का एक एससीएन जारी किया गया था।

मंत्रालय द्वारा दिया गया तर्क निम्न कारणों से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है:-

- पंजीकरण में संशोधन हेतु आवेदन करने की कार्यक्षमता सितंबर 2017 में जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई थी।
- राशि की वसूली हेतु एससीएन जारी करने के बजाय, मंत्रालय को पंजीकरण ब्यौरे सही करने के लिए कर दाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय विन्यासों को निर्देश देना चाहिए था जिससे ट्रान-1 को नियमित किया जा सके जोकि प्रारंभिक तकनीकी खामियों के कारण एक अनियमित लाभ के रूप में परिलक्षित हुआ।

मंत्रालय को ऐसे सभी मामलों की जांच करनी चाहिए जहां जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण करदाता को कठिनाई का सामना करना पड़ा और इस पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

4.7.3 संक्रमणकालीन क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 के अनुसार, करदाताओं को संक्रमणकालीन क्रेडिट का लाभ लेने के लिए मौजूदा कानून के तहत सभी आवश्यक विवरणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

सीबीआईसी ने दिनांक 14 मार्च 2018 के निर्देशों के माध्यम से स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत लेजर खाते में शेष राशि जीएसटी के लेन-देन के तहत नहीं होगी और लंबित निर्धारण के पूर्ण होने पर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर प्रावधानों के तहत प्रतिदाय के रूप में इसका दावा किया जा सकता है।

1 जुलाई 2017 तक अथवा इसके बाद प्राप्त इनपुटों एवं इनपुट सेवाओं के संबंध में परन्तु शुल्क अथवा कर जिसके संबंध में मौजूदा कानून के तहत आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया है, इन शर्तों के अधीन है कि नियत तिथि (1 जुलाई 2017) से 30 दिनों की अवधि के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति के बही खाते में उसके बीजक अथवा अन्य किसी प्रकार का शुल्क या कर की राशि के भुगतान के दस्तावेज अभिलिखित किए गए थे, में संक्रमणकालीन क्रेडिट का लाभ लिया जा सकता है। सीबीआईसी ने दिनांक 14 मार्च 2018 के अपने पत्र में स्पष्ट किया कि इस धारा के प्रावधान पूंजीगत वस्तुओं पर लागू नहीं होते थे।

यह न्यायिक रूप से मान्य है कि “इनपुटों” और पूंजीगत वस्तु के संबंध में अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और इस प्रकार, धारा 140(5) में पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित मिलान प्रावधानों के अभाव में, जीएसटी व्यवस्था के तहत ऐसे कर पर क्रेडिट का लाभ लेने की कोई संभावना नहीं होगी।

चार कमिश्नरी³² चार मामलों के संबंध में, लेखापरीक्षा में ऊपर उद्धृत प्रावधानों का अनुपालन किए बिना ₹2.85 करोड़ के राजस्व सहित (सलग्नक VI) संक्रमणकालीन क्रेडिट का अनियमित लाभ देखा गया।

मंत्रालय ने दो मामले में टिप्पणी को स्वीकार किया तथा कारण बताओं नोटिस (एससीएन) जारी करने की सूचना दी।

³² कोयंबटूर, चेन्नई दक्षिण, गाँधीधाम और पुणे-।

नवम्बर 2018 में विभाग को जारी एक अन्य मामले से मंत्रालय ने टिप्पणी को अस्वीकार करते समय यह बताया (मई 2019) कि यह चूक प्रक्रियात्मक प्रवृत्ति की थी और बेमेलता संबंधित यूनिट द्वारा ईआर-1 विवरणी की गलत दाखिला के कारण थी तथा त्रुटि की सूचना करदाता द्वारा विभाग को स्वयं दी गई थी। यह भी बताया गया कि विभाग की जांच चल रही थी और सावधानी स्वरूप करदाता को एससीएन जारी किया गया था (मई 2019)। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि क्रेडिट के हस्तांतरण हेतु कोई प्रावधान नहीं था जिसका करदाता द्वारा मूल या संशोधित विवरणी के माध्यम से दावा नहीं किया गया है। अतः आईटीसी जो विवरणी में उपलब्ध नहीं थी, का प्रत्यक्ष लाभ लेने वाला करदाता अनियमित था।

एक मामले में उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2019)।

पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ लेने और एसटी विवरणियां दाखिल किए बिना क्रेडिट का लाभ लेने से संबंधित उदाहरणों के विषय में नीचे बताया गया है:-

(क) पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ लेने का पता नहीं लगाना

हमने देखा कि कोयंबटूर अधिशासी कमिश्नरियों में करदाताओं ने पूंजीगत वस्तुओं अथवा पूंजीगत वस्तुओं के भाग पर संक्रमणकालीन क्रेडिट के रूप में, सेनवैट क्रेडिट को अग्रेषित किया, जो क्रम में नहीं था। इस ₹22.74 लाख के संक्रमणकालीन क्रेडिट की जांच के दौरान अतिरिक्त संक्रमणकालीन क्रेडिट के अग्रेषण के विषय में विभाग द्वारा नहीं बताया था। ₹22.74 लाख के अतिरिक्त क्रेडिट की वसूली की जानी है।

जब हमने इस विषय में बताया (जनवरी 2019) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा यह सूचना दी (जून 2019) कि एससीएन जारी किया जाएगा।

(ख) सेवा कर की विवरणियां दाखिल किए बिना सेनवैट क्रेडिट का लाभ लेना।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गाँधीधाम कमिश्नरी में एक करदाता ने, अंतिम सेवा कर विवरणी-एसटी-3 (जून 2017 तक की अवधि हेतु) दाखिल किए

बिना अपने ट्रान-1 फार्म में ₹ 73.51 लाख की राशि के लिए सेवा कर के आईटीसी का दावा किया था। विभाग द्वारा करदाताओं के ट्रान-1 की जांच किए जाने के बावजूद (जनवरी-मार्च 2018) इस चूक का पता नहीं लगाया गया था।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (जुलाई 2018), मंत्रालय ने टिप्पणी स्वीकार करते समय करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के विषय में बताया था (अप्रैल 2019)।

4.7.4 क्रेडिट के दोहरे लाभ को रोकने के लिए कोई प्रणालीगत जांच नहीं

हमने पाया कि बेलापुर जीएसटी कमिश्नरी में एक करदाता के पास दो पंजीकरण संख्या हैं, उसके द्वारा नवंबर 2017 के महीने में दोनो जीएसटी पंजीकरणों के लिए ट्रान-1 दाखिल किया गया था और ₹ 25.51 करोड़ और ₹ 4.27 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया था। 13 दिसंबर 2017 को संबंधित क्रेडिट बही खातों में आईटीसी के रूप में उसको दर्शाया गया था। करदाता द्वारा दिसम्बर 2017 के महीने में पुनः संशोधित ट्रान-1 दाखिल किया गया और अन्य पंजीकरण संख्या के तहत ₹ 4.27 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया गया और 27 दिसंबर 2017 को ईसीएल में समान राशि को दर्शाया गया था।

जांच पर, विभाग ने पाया कि करदाता ने दोनों जीएसटी पंजीकरणों के तहत ₹ 4.27 करोड़ के समान संक्रमणकालीन क्रेडिट को अग्रेषित किया था। विभाग ने, ईसीएल में क्रेडिट के रूप में आईटीसी की ₹ 4.27 करोड़ की राशि का गलत पारगमन दर्शाया था और करदाता द्वारा अपने क्रेडिट बही खातों से 29 जून 2018 को समान राशि डेबिट की गई थी। यह दर्शाता है कि करदाता ने दोहरे क्रेडिट को केवल तब ही परिशोधित किया जब विभाग द्वारा जांच के दौरान यह बताया गया अतः दोहरे क्रेडिट को रोकने के लिए कोई प्रणालीगत जांच प्रक्रिया नहीं थी।

उपरोक्त की जांच करते समय, यह देखा गया कि सीबीआईसी-जीएसटी प्रणाली द्वारा एक से अधिक जीएसटी पंजीकरणों के लिए ट्रान-1 फार्म के माध्यम से अग्रेषित किए गए समान क्रेडिट की इस प्रकार की अनियमितता का पता नहीं लगाया जा सकता था। यह स्पष्ट था कि ऊपर उल्लेखित मामले में, कमिश्नरी के द्वारा दोनों ट्रान-1 फार्मों की जांच किए जाने के बाद इस प्रकार

की अनियमितता का पता लगया जा सका था। सीबीआईसी-जीएसटी प्रणाली का परिसीमित होना एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है और अन्य मामलों में इस प्रकार के दोहरे क्रेडिट की गुंजाइश से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीबीआईसी-जीएसटी प्रणाली में बहु पंजीकरण वाले एक करदाता के द्वारा दिए गए बहु क्रेडिटों के लाभ का पता लगाने के लिए पर्याप्त जांच प्रक्रिया नहीं थी।

हमारे द्वारा इंगित करने पर (सितंबर 2018), टिप्पणी को स्वीकार करते समय मंत्रालय ने फिर से दोहराया कि सीबीआईसी द्वारा दिशानिर्देश टिप्पणी जारी की गई थी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आईटीसी को अनुमत अथवा अननुमत करने का निर्णय, व्यक्तिगत रूप से ऐसे प्रत्येक मामले में अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में उपयुक्त अधिकारी द्वारा लिया जाने वाला अर्ध-न्यायिक प्रकृति का है।

सीबीआईसी-जीएसटी प्रणाली द्वारा ऐसे क्रेडिटों का पता नहीं लगाए जाने पर मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया था।

4.7.5 उपकर क्रेडिट के अनियमित लाभ उठाने का पता नहीं लगाना

कराधान कानून संशोधन अधिनियम, 2017 के द्वारा शिक्षा उपकर (ईसी), माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर (एसएचईसी), स्वच्छ भारत उपकर (एसबीसी), कृषि कल्याण उपकर (केकेसी), 1 जुलाई 2017 से समाप्त कर दिये गए थे और इस प्रकार, इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में जीएसटी व्यवस्था में अग्रेषित करने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। मार्च 2018 में सीबीआईसी के निर्देशनों के द्वारा भी इसको स्पष्ट किया गया था।

छः³³ कमिश्नरियों में 21 मामलों में हमने पाया कि करदाता ने ₹9.74 करोड़ की राशि को ट्रान-1 में (सलंगनक-VI), ऊपर उल्लेखित उपकरो के इनपुट कर क्रेडिट का लाभ लिया था, जो अस्वीकार्य था।

दिल्ली-पूर्व कमिश्नरी से संबंधित एक मामले में, विभाग ने मामले की जांच की परन्तु वह करदाता द्वारा लिए गए अयोग्य सेनवैट क्रेडिट के लाभ का पता लगाने में असफल रहा, जिसके ब्यौरे एसटी-3 विवरणी में उपलब्ध थे।

³³ बेंगलूर पूर्व, बेंगलूर दक्षिण, दमण, देहरादून, दिल्ली-पूर्व और गाँधीधाम।

गाँधीधाम कमिश्नरी से संबंधित दो मामलों में, विभाग ने ऐसे करदाताओं के ट्रान-1 की कोई संवीक्षा नहीं की थी यद्यपि ऐसे करदाताओं द्वारा दावा की गई आईटीसी की कुल राशि ₹16.18 करोड़ थी और एक मामले में संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹1 करोड़ रुपये से अधिक था। इस प्रकार पहले ₹1 करोड़ से अधिक के मामलों और फिर बाद में अवरोही क्रम में मामलों की जांच करने के लिए बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप गलत रूप से लिए गए आईटीसी लाभ का पता नहीं लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा की गई संक्रमणकालीन विवरणियों की जांच के ब्यौरे, शेष 18 मामले में उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसलिए लेखापरीक्षा इस विषय पर टिप्पणी नहीं कर सका कि क्या इन मामलों की विभाग द्वारा पहले ही जांच की गई थी अथवा नहीं।

यद्यपि उपकरणों के ब्यौरे एसीईएस में उपलब्ध थे, उसका उपकरणों पर अनुचित संक्रमणकालीन क्रेडिट अननुमत करने के लिए प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया गया था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (मार्च 2018 और फरवरी 2019 के बीच), सभी मामलों में आपत्ति को स्वीकार करते समय मंत्रालय ने 14 मामलों में ₹1.19 करोड़ की वसूली और दो मामलों में ₹28.08 लाख हेतु एससीएन जारी करने के विषय में बताया था (अप्रैल और मई 2019 के बीच)। इसके अतिरिक्त, इसने बताया कि आईटीसी को अनुमत अथवा अननुमत करने का निर्णय व्यक्तिगत रूप से ऐसे प्रत्येक मामले में अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में उपयुक्त अधिकारी द्वारा लिया जाने वाला अर्द्धन्यायिक प्रकृति का निर्णय है। यह भी कहा गया कि इसको केंद्रीय स्तर पर नहीं किया जा सका था क्योंकि यह अधिनियम के प्रावधानों का अधिकारातीत होगा।

आईटी प्रणाली से संबंधित मंत्रालय का जवाब तर्क संगत नहीं था चूंकि सूचना की गैर-उपयोगिता के विषय में लेखापरीक्षा की टिप्पणी थी जो एसीईएस में उपलब्ध थी।

4.7.6 विवादित क्रेडिट की उपयोगिता को नहीं रोकना

दिनांक 23 फरवरी 2018 का बोर्ड का परिपत्र ऐसे मामलों से संबद्ध है जहां एक एससीएन सेनवैट क्रेडिट की वसूली हेतु जारी किया गया अथवा त्रुटिपूर्ण रूप से वापस किए गए उसे अधिनिर्णित कर दिया गया है और अंतिम

अधिनिर्णय आदेश अथवा अंतिम अपील आदेश में, जैसा 1 जुलाई 2017 तक यह अस्तित्व में माना गया था, कि इस प्रकार के सेनवैट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं थे। परिपत्र में कहा गया है कि ऐसे सेनवैट क्रेडिट को (इसके साथ और इसके बाद विवादित क्रेडिट के रूप में संदर्भित है) जो संक्रमणकालीन क्रेडिट के रूप में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में क्रेडिट किये गये उसको सीजीएसटी अधिनियम अथवा आईजीएसटी अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत कराधीन व्यक्ति के द्वारा अपनी कर देयता की अदायगी के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि मूल-आदेश या अंतिम अपील आदेश में, यह मानते हुए कि अग्राह्य के रूप में रखते हुए वह विवादित क्रेडिट अस्तित्व में होगा। इस अवधि के दौरान, यदि उक्त विवादित क्रेडिट का उपयोग किया जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्याज और दंड के साथ इसे करदाता से वसूल किया जाएगा।

हमने पाया कि ₹ 78.49 करोड़ की विवादित क्रेडिट राशि के दावे किए गए थे और चैन्नई दक्षिण और बाहरी कमिशनरियों में दो करदाताओं के द्वारा संक्रमणकालीन क्रेडिट के रूप में उपयोग किए गए थे, जो अनियमित था। यद्यपि ऐसे विवादित क्रेडिटों के दावों के ब्यौरे विभाग के पास उपलब्ध थे, आईएडी अपनी जांच रिपोर्टों में दोनों को इंगित करने में विफल रहा था (i) विवादित क्रेडिटों की उपयोगिता और (ii) परिपत्र के अनुसार निर्धारित आवश्यक वचनपत्र के रूप में प्रस्तुत करने में अननुपालन। संबंधित रेंज कार्यालयों ने भी इस संबंध में कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की है। अपर्याप्त जांच प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ₹ 78.49 करोड़ की राशि के विवादित क्रेडिटों का अनियमित उपयोग हुआ जिसे ₹ 15.17 करोड़ की ब्याज राशि सहित वसूल किया जाना चाहिए।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (सितंबर 2018) मंत्रालय ने टिप्पणी को अस्वीकार करते हुए, बताया कि ट्रान-1 फार्म में विवादित क्रेडिट को पृथक रूप से दर्शाने का कोई स्थान नहीं था। ईसीएल में फरवरी 2018 तक विवादित के समतुल्य किसी भी क्रेडिट को बनाए रखने के लिए करदाता के लिए कोई सुविधा नहीं थी चूंकि करदाता के कर दायित्व के संबंध में ईसीएल में उपलब्ध संपूर्ण क्रेडिट को स्वचालित रूप से डेबिट करने के लिए जीएसटीएन का उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, सभी विवादित मामलों में, करदाताओं ने अनिवार्य पूर्व-निक्षेप के भुगतान पर एक अपील अधिमानित की

थी। इस प्रकार, मामला अपील प्राधिकरण में न्यायाधीन होने के कारण, किसी भी वसूली कार्रवाई के विरुद्ध स्वचालित स्टे परिचालित होने के कारण किसी भी प्रकार की वसूली कार्रवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती थी।

ट्रान्स्फर क्रेडिट और उसके बाद के उपयोग के हिस्से के रूप में शामिल विवादित क्रेडिट की निगरानी के संबंध में कार्यात्मक कठिनाइयों को सामने लाने में मंत्रालय का जवाब संक्रमणकालीन क्रेडिट के संबंध में प्रणालीगत अपर्याप्तताओं को इंगित करता है। करदाता द्वारा एक अपील दायर करते समय स्वचालित स्टे के परिचालन के संबंध में सीबीआईसी द्वारा जारी किए गए दिनांक 23 फरवरी 2018 के परिपत्र के प्रावधान नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार स्पष्टीकरण की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

परिपत्र के पैरा 2.1 में निर्धारित किया गया है कि जब तक मूल-आदेश³⁴ (ओआईओ) अथवा अंतिम अपील आदेश (ओआईए) में यह आदेश 1 जुलाई 2017 तक अस्तित्व में था, तब तक यह मानते हुए कि सेनवैट क्रेडिट अप्राप्य के रूप में मौजूद है, ऐसे सेनवैट क्रेडिट को विवादित क्रेडिट के रूप में माना जाना चाहिए और इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

पैरा 2.2 में कहा गया कि जब तक कि ऐसे ओआईओ या ओआईए में यह माना जाता है कि अस्वीकार्य के रूप में विवादित क्रेडिट परिचालन में है, यदि उक्त विवादित क्रेडिट का उपयोग किया जाता है, तो यह करदाता से वसूल किया जाएगा।

इस प्रकार, परिपत्र में प्रयोग किए गए दो शब्द 'मौजूदगी' और 'परिचालन' जिनके अर्थ अलग-अलग हैं, एक मौजूदा ओआईओ एवं ओआईए के रूप में एक बार स्टे लगने पर, परिचालन में नहीं रहेंगे। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे ओआईओ अथवा ओआईए की मौजूदगी के दौरान विवादित क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जा सकता परन्तु ऐसे विवादित क्रेडिट, यदि उपयोग किए गए हैं, तो ऐसे ओआईओ अथवा ओआईए के परिचालित होने पर ही वसूल किए जाने चाहिए थे।

मंत्रालय मुकदमेबाजी से बचने और राजस्व के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी करके इस अस्पष्टता को समाप्त कर सकता है।

³⁴ एससीएन का निपटान करने वाले अधिनिर्णय प्राधिकारी द्वारा जारी एक आदेश

4.7.7 संक्रमणकालीन क्रेडिट के निरसन पर ब्याज का भुगतान नहीं होना

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 (3) में प्रावधान है कि कराधीन व्यक्ति को यथा अधिसूचित ऐसी दर पर इस प्रकार के अनुचित या अतिरिक्त दावे पर ब्याज का भुगतान करना होगा। वर्तमान अधिसूचित ब्याज की दर 24 प्रतिशत है। वापसी पर ब्याज का भुगतान न होने पर पाए गए आठ अवलोकन नीचे विस्तृत किए गए हैं:

(क) लेखापरीक्षा I एवं II की चैन्नई एवं कोयंबटूर कमिश्नरियों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि 7 करदाताओं³⁵ के द्वारा पूर्व में दावा किए गए उपकरणों पर अनुचित क्रेडिट वापस किए गए थे। यह देखा गया कि अनुचित क्रेडिटों के निरसन पर ब्याज देयता के विषय में विभाग ने न तो बताया और न ही संबंधित रेंज कार्यालयों के द्वारा लागू ब्याज के उदग्रहण और संग्रहण के लिए कोई कार्रवाई की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹1.91 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ।

(ख) बोर्ड ने अपने दिशा-निर्देशों में बताया कि संक्रमणकालीन क्रेडिट के रूप में दो बार सेनवैट क्रेडिट का लाभ नहीं लिया जा सकता। दोहरा लाभ ऐसी स्थितियों में हो सकता है जैसे ट्रान-1 के माध्यम से संक्रमणकालीन क्रेडिट के रूप में सेनवैट क्रेडिट का लाभ लेना और जीएसटीआर-3बी फार्म में विवरणी के माध्यम से भी अथवा ट्रान-1 फार्म की दो भिन्न तालिकाओं के माध्यम से दो बार उसी क्रेडिट का लाभ लेना। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 के अनुसार, एक करदाता आईटीसी के अतिरिक्त दावे पर ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

चैन्नई दक्षिण कमिश्नरी में, एक करदाता के ईसीएल से यह पता चला कि उसके द्वारा ₹57.08 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट का दो बार दावा किया गया, चूंकि जीएसटीआर-3बी विवरणी में इनपुटों के माध्यम से (18 अगस्त 2017 को) और एक बार ट्रान-1 के माध्यम से अग्रेषित संक्रमणकालीन क्रेडिट के रूप में (23 अगस्त 2017 को) आईटीसी प्रोद्भूत किया गया था। करदाता ने जुलाई 2018 में जीएसटीआर-3बी में किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट को निरसन करके उस राशि का परिशोधन किया।

³⁵ अधिशासी कमिश्नरियों के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले चैन्नई दक्षिण, चैन्नई आउटर, कोयंबटूर और सेलम

जबकि करदाता ने इस मामले में अपने आप दोहरे क्रेडिट के गलत लाभ को वापस किया है यह भी दर्शाता है कि करदाताओं के द्वारा एक बार से अधिक समान सेनवैट क्रेडिट का लाभ लेने से रोकने के लिए अथवा कम से कम रैंड फ्लैग करने के लिए कोई जांच प्रणाली नहीं थी, जबकि जोखिम के रूप में सीबीआईसी के द्वारा इसका पता लगाया गया था। फरवरी 2018 तक यह एक कार्यक्षमता³⁶ के साथ युग्मित है जिसमें करदाताओं की कर देयता के संबंध में ईसीएल में उपलब्ध संपूर्ण क्रेडिट को स्वचालित रूप से डेबिट करने के लिए जीएसटीएन का प्रयोग किया गया था, जो करदाताओं द्वारा ऐसे अनियमित क्रेडिटों के उपयोग के जोखिम को निर्दिष्ट करता था।

यद्यपि करदाता ने 11 महीनों के अंतराल के बाद अतिरिक्त दावे को निरसन कर दिया था, आईएडी के द्वारा उनकी जांच के दौरान किसी भी ब्याज की देयता के विषय में नहीं बताया गया था। ₹ 12.65 करोड़ के अतिरिक्त क्रेडिट का लाभ लेने पर ब्याज के भुगतान के लिए करदाता की देयता की जांच की जानी चाहिए थी।

जब हमने इन आठ मामलों के बारे में बताया (दिसम्बर 2018 और जनवरी 2019 के बीच) तब मंत्रालय ने चार मामलों में आपत्ति स्वीकार कर ली (जून 2019) जबकि शेष चार मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2019)।

भाग ख:- पंजीकरण

हमने चयनित दस कमिश्नरों में 80,874 पंजीकरणों के अभिलेखों की जांच की और हमने 12,912 मामलों में (16 प्रतिशत) कमियां/अंतर देखे, जो सीबीआईसी क्षेत्र संरचनाओं को टिप्पणियों के रूप में जारी किए गए थे। मंत्रालय को जारी किए अधिनिर्णय संबंधी अधिकारियों को कंपोजिशन योजना और पंजीकृत करदाताओं की मैपिंग से संबंधित 5,496 पंजीकरणों को शामिल करते हुए तीन महत्वपूर्ण टिप्पणियों के विषय में नीचे बताया गया है:-

4.8 कम्पोजिशन योजना में अनियमित पंजीकरण

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10, प्रबंधित करती है कि एक पंजीकृत व्यक्ति कम्पोजिशन योजना हेतु नहीं चुना जा सकता यदि वह निर्माण कार्य संविदा सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न हैं। चूंकि करदाताओं को

³⁶ मंत्रालय द्वारा पैराग्राफ 4.7.6 में दिए गए उत्तर के अनुसार

जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी पंजीकरण के लिए केंद्रीय रूप से आवेदन करना होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल पर उचित प्रमाणीकरण होना चाहिए कि कम्पोजीशन योजना हेतु केवल पात्र करदाताओं को चुना जाए। सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 9 के अनुसार, यदि तीन दिनों के अंतर्गत कर अधिकारी के द्वारा आपत्ति नहीं की जाती है तो एक पंजीकरण को निर्धारित अनुमोदन के रूप में माना जाता है। हालांकि, जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण मॉड्यूल के प्रमुख प्रमाणीकरणों में अपर्याप्ताओं और अधिनिर्णय संबंधी कर अधिकारियों द्वारा तीन दिनों के अंतर्गत पंजीकरण आवेदन की जांच न करने के मामले में, अनियमित पंजीकरणों को निश्चित रूप से अनुमोदित माना जाएगा।

सिलीगुड़ी और कोलकाता उत्तर जीएसटी कमिश्नरियों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि दस करदाताओं को कम्पोजीशन उदग्रहण हेतु चुना गया था यद्यपि उन्होंने निर्माण कार्य संविदा सेवाएं प्रदान की हैं।

पंजीकरण मॉड्यूल की आईटी लेखापरीक्षा के दौरान प्रमाणीकरणों में मुख्य कमी को इस प्रतिवेदन के **अध्याय-II के भाग-ए** में स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार, कम्पोजीशन विक्रेताओं के रूप में पंजीकृत होकर निर्माण कार्य संविदा सेवाओं में पारगमन करने वालों को रोकने के लिए प्रणाली में कोई उचित प्रमाणीकरण नहीं था, क्षेत्रीय संरचना, पंजीकरण के ब्योरों की पुष्टि करने में भी विफल रहे हैं। चूंकि कर की दरें और अनुपालन आवश्यकताएं कम्पोजीशन विक्रेताओं हेतु पूर्णतः भिन्न हैं, विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसे और इस प्रकार के अन्य अपात्र करदाता सही श्रेणी के तहत पंजीकृत किए गए हैं। इस प्रकार से गलत रूप से पंजीकृत करदाताओं द्वारा पहले से दाखिल की गई विवरणी की भी समीक्षा की जानी चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (अप्रैल और जून 2018 के बीच), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (अप्रैल 2019) कि दस में से, सात करदाता पहले ही योजना से चयनित किये गए थे, एक के विषय में निर्माण कार्य संविदा सेवा को गलती से उल्लेखित किया गया जबकि वे वास्तव में होजरी और चमड़े का काम करते हैं और शेष दो करदाताओं के संबंध में कार्रवाई की गई थी। ऐसे करदाता जो निर्माण कार्य संविदा सेवा में कार्य करते

है, उनमें से नौ के द्वारा विवरणियां दाखिल करने के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि चार करदाताओं ने शून्य विवरणियां दाखिल की थी और इसलिए कोई राजस्व प्रभाव नहीं हुआ, जबकि एक करदाता के द्वारा अंतर कर का भुगतान करते हुए संशोधित विवरणियां दाखिल की गईं और चार करदाताओं के संबंध में कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

मंत्रालय ने आगे बताया कि कम्पोजीशन योजना एक वैल्कपिक योजना होने के कारण, योजना के लिए अपात्र करदाताओं को चयन करने से रोकने के लिए प्रणाली जांच में इसे बनाये रखना व्यवहारिक नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर प्रणाली जांच में इसे बनाए रखने के संबंध में तर्कसंगत नहीं है यद्यपि प्रणाली वैकल्पिक है, योजना के चयन के लिए निर्धारित निबन्धन एवं शर्तें अनिवार्य हैं, जिसे प्रणाली के माध्यम से ध्यान में रखना चाहिए। करदाताओं को जीएसटी पोर्टल पर उपयुक्त पुष्टिकरण डिजाइन करके करदाताओं को गलती से अथवा अज्ञानता के कारण कंपोजिशन उदग्रहण को चयन करने से रोकना बहुत हद तक संभव है।

4.9 अधिनिर्णय संबंधी कर अधिकारियों के लिए करदाताओं का आवंटन एवं मैपिंग

केंद्र और राज्य कर विभागों के बीच करदाताओं का आवंटन टर्नओवर पर आधारित है जिसे *अध्याय 1 के पैराग्राफ 1.4.3* में पूर्व में ही बताया गया है। नियुक्त किए गए केंद्रीय कर अधिकारियों के द्वारा अधिसूचना जारी की गई (जून 2017) और कमिश्नरी स्तर तक के अधिकार क्षेत्र का निर्णय लिया गया और मुख्य क्षेत्रीय कमिश्नरियों के द्वारा जारी किए गए व्यापार नोटिस ने इसके आगे रेंज स्तर तक प्रत्येक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र का सीमांकन किया। इस आवंटन के आधार पर, पंजीकृत करदाताओं के अधिकार क्षेत्र की मैपिंग को जीएसटी पोर्टल पर डाला जाना था।

4.9.1 करदाताओं को उनके विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के लिए पंजीकरणों का गैर-आवंटन

थाणे कमिश्नरी की IV एवं VI प्रभागों की लेखापरीक्षा के दौरान (जून 2018), यह देखा गया कि मौजूदा करदाताओं की 734 संख्या को अभी तक उनका विशिष्ट अधिकार क्षेत्र “आवंटित नहीं” हुआ है। जीएसटी लागू होने के

(1 जुलाई 2017 से प्रभावी) एक वर्ष के अंतराल के बाद भी लेखापरीक्षा के समय (जून 2018), विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के लिए निर्धारिती का आवंटन पूर्ण नहीं किया गया था।

प्रभाग ने जवाब दिया (जून 2018) कि क्योंकि करदाताओं का आवंटन जीएसटी पोर्टल के द्वारा प्रबंधित किया गया था, इस विषय में प्रभाग कार्यालय की कोई भूमिका नहीं थी।

उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि विभाग को राजस्व के हित में करदाताओं को विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के आवंटन के लिए विशिष्ट प्राधिकरण को विषय से अवगत कराना चाहिए और करदाताओं की कठिनाईयों को कम करना चाहिए।

मंत्रालय को इस विषय से अवगत कराते समय (अप्रैल 2019), हमने करदाताओं के गैर-आवंटन के लिए शेष होने के कारणों और इन करदाताओं के आवंटन की वर्तमान स्थिति के बारे में टिप्पणी करने के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त, आज की तिथि तक सीबीआईसी के सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्र के तहत गैर-आवंटित करदाताओं की कुल संख्या और इसको कम करने के लिए कार्य योजना के साथ ही कारण भी मांगे गए हैं।

मंत्रालय ने बताया (मई 2019) कि क्षेत्राधिकारियों से संवितरण आदेशों की कमी के कारण सीबीआईसी के समस्त क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल 42,428 जीएसटीआईएन अभी वितरित किए जाने थे और यह कि विभाग लंबित करदाताओं के द्विभाजन हेतु जीएसटी जोनों का नियमित रूप से अनुसरण कर रहा है। थाणे कमिश्नरी के संदर्भ में, मंत्रालय ने अपत्ति को अस्वीकारते समय बताया (मई 2019) कि उनके ब्यौरों के अनुसार डिवीजन IV और VI में कुल 114 निर्धारिती संवितरण से रह गए थे और 734 जीएसटीएन के ब्यौरे किसी मौजूदा स्थिति को उपलब्ध कराने हेतु उनके पास उपलब्ध नहीं थे।

जीएसटी लागू करने के दो वर्ष बाद भी निर्धारितियों का संवितरण अपूर्ण रह गया था जो कि कर विभागों द्वारा जीएसटी के प्रशासन का आधार है। मंत्रालय ने न तो इस संदर्भ में कोई कारण दिया कि निर्धारिती संवितरण के

संबंध में संवितरण आदेश क्यों नहीं दिए गए और न ही उसके समाधान हेतु कोई समयसीमा/ कार्य योजना दर्शाई थी।

सीबीआईसी के अनुसार 114 के लंबित निर्धारणों की संख्या और टिप्पणी में बताई गई 734 की संख्या में अन्तर के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा उद्धृत संख्या संबंधित कमिश्नरी की एमआईएस रिपोर्टों के अनुसार थी, जो मंत्रालय द्वारा संबंधित कमिश्नरी से प्राप्त किया जा सकता है।

4.9.2 करदाताओं की गलत मैपिंग

बैंगलुरु पूर्व कमिश्नरी के तहत 17 रेंजों की लेखापरीक्षा के दौरान (अगस्त 2018), हमने पाया कि प्रणाली के द्वारा 17 रेंजों के लिए पता लगाए गए कुल 16,352 करदाताओं में से 3,161 करदाता अधिसूचना और व्यापार नोटिस के अनुसार इन रेंजों से संबंधित नहीं थे। **इस प्रकार इन रेंजों में पता लगाए गए 19.33 प्रतिशत करदाता गलत रूप से मैप दिए थे।** व्यक्तिगत रेंजों में गलत रूप से मैप दिए गए करदाताओं की संख्या संबंधित रेंजों के तहत करदाताओं की कुल संख्या में 2 प्रतिशत से 58 प्रतिशत तक का अंतर था। यद्यपि रेंज अधिकारी ने संबंधित कमिश्नरी में जन संपर्क अधिकारी (पीआरओ) को इन कमियों के विषय में बताया था, अगस्त 2018 तक इन मामलों में उपयुक्त मैपिंग अभी तक नहीं की गई थी।

आगे देखा गया कि व्यापार नोटिस के अनुसार इन 17 रेंजों से संबंधित 1,612 करदाता (10 प्रतिशत) समान कमिश्नरी के अंतर्गत अन्य रेंजों के लिए गलत रूप से मैप किए गए थे। हालांकि, पीआरओ को करदाताओं की मैपिंग के मुद्दे को लेते समय रेंज कार्यालयों द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया था।

गलत मैपिंग ने गलत तरीके से मैप किए गए करदाताओं द्वारा विवरणियों को दाखिल करने/विवरणियों को दाखिल न करने का जोखिम को बढ़ाया था जो अधिनिर्णय अधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार की संवीक्षा के अधीन नहीं लिया जा रहा है अथवा करदाता की शिकायतों का पता नहीं लगाया गया चूंकि कर अधिकारियों की सूचना तक अधिगम मैपिंग पर आधारित थी।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (अगस्त 2018), मंत्रालय ने टिप्पणी को अस्वीकार करते हुए बताया (मई 2019) कि पीआरओ को अनुरोध भेजकर रैंज अधिकारी के द्वारा सही मैपिंग कराने हेतु कार्रवाई पहले ही प्रारंभ कर दी गई है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीआरओ के संज्ञान में लाने और इससे अवगत होने के बावजूद, लेखापरीक्षा के दौरान प्रणाली में करदाताओं की गलत मैपिंग बनी रही (जीएसटी के लागू होने के लगभग एक वर्ष बाद)। इस पैरे में यह भी बताया गया कि पैन-इंडिया आधार पर इस विषय का पता लगाने के लिए सीबीआईसी-जीएसटी प्रणाली में कोई तंत्र नहीं था और इस अति आईटी गहन वातावरण में भी, रैंज कार्यालयों को एक आईटी प्रणाली द्वारा निर्मित समस्याओं का समाधान वैयक्तिक रूप से करना पड़ा।

भाग ग: प्रतिदाय

4.10 प्रतिदाय के दावों की लेखापरीक्षा का विहंगावलोकन

हमारे द्वारा पांच चयनित कमिश्नरियों³⁷ में 727 दावों में से 543 प्रतिदायों से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। हमने ₹2.72 करोड़ की राशि सहित 28 दावों (5 प्रतिशत) में प्रतिदायों के प्रसंस्करण में मौजूदा प्रावधानों का अननुपालन देखा। ₹2.40 करोड़ सहित 27 मामलों में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया था।

यहां यह बताना उचित है कि उनको आवंटित जीएसटी करदाता के संबंध में एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों की प्रतिदाय प्रक्रिया के लिए केंद्रीय कर अधिकारियों को अधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रतिदायों में होने वाली अनियमितताओं का दोनों भारत की और राज्यों के समेकित निधि पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

प्रतिदायों पर ₹2.72 करोड़ की कुल आपत्ति राशि में से, एसजीएसटी प्रतिदायों से संबंधित तीन मामलों को शामिल करते हुए ₹42.71 लाख की राशि का गुजरात के राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा जबकि ₹20.79 लाख को शामिल करते हुए दो दावे महाराष्ट्र एसजीएसटी से संबंधित थे।

³⁷ औरंगाबाद, भिवंडी, दमन, मुंबई पूर्व और सूरत

ऐसे सभी 28 मामले मंत्रालय को जारी किए गए थे (*सलग्नक-VII*) और सात महत्वपूर्ण मामले के विषय में नीचे बताया गया है:-

4.11 प्रतिदाय के प्रावधानों का अननुपालन

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54, प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति किसी भी शुल्क और ब्याज के प्रतिदाय का दावा करता है, तो वह निर्धारित प्रपत्र में संबंधित तिथि से दो वर्ष की समाप्ति से पहले विभाग को प्रतिदाय हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रतिदाय आवेदन ऐसे दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के साथ होना चाहिए जैसा आवेदक यह स्थापित करने के लिए प्रस्तुत कर सके कि उस राशि के संबंध में जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है उसके द्वारा संग्रहित की गई थी या उसके द्वारा भुगतान की गई थी और इस प्रकार के शुल्क/ब्याज के विस्तार के उदाहरण को उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाए गये थे। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर दावे की पुष्टि और जांच करने के बाद प्रतिदाय की संस्वीकृति देने का आदेश जारी करना होता है।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(3) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति, किसी भी कर अवधि की समाप्ति पर किसी भी अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के प्रतिदाय का दावा कर सकता है जहां आउटपुट आपूर्तियों पर कर की दर (अर्थात् प्रतिलोमित शुल्क संरचना) से अधिक होने पर इन इनपुट पर कर की दर के कारण क्रेडिट संचित हुआ हो। इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 89(5) में प्रतिलोमित शुल्क संरचना के कारण अप्रयुक्त आईटीसी के अधिकतम प्रतिदाय हेतु फार्मूला निर्धारित किया गया है। पूर्वोक्त नियम के अनुसार, निवल आईटीसी से अभिप्राय संबंधित अवधि के दौरान केवल इनपुटों पर लिए गए इनपुट कर क्रेडिट से है। इस प्रकार, इनपुट सेवाओं पर लिया गया क्रेडिट निवल आईटीसी हेतु विचार नहीं किया जाना चाहिए।

दिनांक 4 सितंबर 2018 के परिपत्र के पैरा 3.1 के अनुसार, अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के प्रतिदाय के मामले में प्रावधानों के संबंध में, प्रतिदाय योग्य राशि की संगणना निम्न राशियों में से न्यूनतम की जाती है:

(क) सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89(4) अथवा नियम 89(5) में निर्धारित फार्मूले के अनुसार अधिकतम प्रतिदाय राशि;

(ख) कर अवधि की समाप्ति पर दावेदार के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बहि में शेष राशि जिसके लिए उक्त अवधि के लिए विवरणी दाखिल करने के बाद प्रतिदाय का दावा दाखिल किया जा रहा है, और

(ग) प्रतिदाय आवेदन को दाखिल करते समय दावेदार के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में शेष राशि

4.11.1 प्रतिदाय की अतिरिक्त अनुमति

(क) मुम्बई पूर्व जीएसटी कमिश्नरी के तहत आने वाले एक करदाता ने मार्च, 2018 के महीने के लिए प्रतिलोमित शुल्क संरचना के संबंध में ₹27.18 लाख के प्रतिदाय का दावा दाखिल किया और समान राशि को दावे के रूप में अनुमत किया गया था। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों की संवीक्षा से पता चला कि ₹41.74 लाख के निवल आईटीसी प्रतिदाय की अधिकतम राशि की संगणना हेतु विचार किए गए थे जिसमें ₹38.77 लाख की इनपुट सेवाओं पर लिए गए क्रेडिट को भी शामिल किया गया था। इस प्रकार, सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89(5) के अनुसार स्वीकार्य निवल आईटीसी केवल ₹2.98 लाख का इनपुट क्रेडिट होगा। हालांकि, प्रतिफल में निवल आईटीसी के रूप में ₹2.98 लाख को लेने के बाद, निर्धारित फार्मूले के अनुसार प्रतिदाय की अधिकतम राशि की शून्य गणना की गई थी। इस प्रकार, विभाग के द्वारा ₹27.18 लाख के प्रतिदाय का अनियमित अनुदान दिया गया था, जिसको वसूल किया जाना आवश्यक है।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (फरवरी 2019) मंत्रालय ने टिप्पणी को स्वीकार करते समय (मई 2019) करदाता के लिए एससीएन को जारी करने के विषय में सूचित किया ।

(ख) मुम्बई पूर्व जीएसटी कमिश्नरी के तहत एक करदाता ने जुलाई 2017 के महीने के लिए शून्य-मूल्यांकित माल की आपूर्ति के संबंध में ₹76.42 लाख के प्रतिदाय का दावा किया और विभाग द्वारा उसको अनुमत किया गया था। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों की संवीक्षा से पता चला कि कर अवधि की समाप्ति पर दावेदार के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में उक्त

अवधि के लिए दाखिल की गई विवरणी के बाद शेष राशि केवल ₹ 44.72 लाख थी। यह न्यूनतम होने के कारण, दावेदार ₹ 44.72 लाख के प्रतिदाय के अनुमत होने का हकदार था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.70 लाख के अधिक प्रतिदाय को अनुमत किया गया।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (फरवरी 2019), मंत्रालय ने टिप्पणी को अस्वीकार करते हुए बताया (मई 2019) कि दिनांक 4 सितंबर 2018 के परिपत्र जारी होने करने से पूर्व की अवधि से संबंधित प्रतिदाय की संगणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला फार्मूला है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उद्धृत परिपत्र का स्वरूप स्पष्ट था और परिपत्र द्वारा स्पष्ट किए गए प्रावधान परिपत्र से पूर्व की अवधि पर भी लागू होंगे। मंत्रालय का उत्तर परिपत्र को जारी करने से पूर्व संसाधित सभी मामलों की समीक्षा करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

(ग) बोर्ड ने दिनांक 4 सितंबर 2018 के परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि वापस करने योग्य राशि को निर्धारित करने के बाद, निम्न क्रम में करदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही के लिए समतुल्य राशि डेबिट की जानी है: प्रथम उपलब्ध शेष राशि की सीमा तक एकीकृत कर के संबंध में और उसके बाद केंद्रीय कर और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध शेष राशि के बराबर कर और एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में उपलब्ध शेष राशि में कमी की स्थिति में, अंतर राशि अन्य इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही से डेबिट की गई हो। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त परिपत्र के जारी होने की तिथि के बाद दाखिल किए गए सभी प्रतिदाय आवेदन हेतु इस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना था।

मुम्बई पूर्व जीएसटी कमिश्नरी के तहत आने वाले एक करदाता ने 18 सितंबर 2018 को जीएसटी पोर्टल पर प्रतिदाय हेतु आवेदन (जीएसटी आरएफडी-01ए) किया था और 1 अक्टूबर 2018 को आवेदन की एक प्रति विभाग को दाखिल की गई थी। जीएसटी आरएफडी-01ए द्वारा यह देखा गया कि प्रतिदाय के लिए आवेदन दाखिल करते समय, करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में आईजीएसटी की शेष राशि ₹ 28.45 लाख, सीजीएसटी की ₹ 17.49 लाख और एसजीएसटी की शेष राशि ₹ 17.49 लाख थी। इसके अलावा, करदाता

द्वारा ₹ 12.37 लाख के आईजीएसटी, ₹ 12.87 लाख के सीजीएसटी और ₹ 12.87 लाख के एसजीएसटी के प्रतिदाय के दावे किए गए थे। संवीक्षा के बाद, विभाग ने ₹ 5,456 के दावे को अस्वीकार किया और ₹ 12.37 लाख के आईजीएसटी, ₹ 12.84 लाख के सीजीएसटी और ₹ 12.84 लाख के एसजीएसटी के प्रतिदाय को संस्वीकृत किया था। इस प्रकार, यह देखा गया कि विभाग ने उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के उल्लिखित अनुसार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही की प्रतिदाय राशि को डेबिट करने में आदेश का पालन नहीं किया गया। त्रुटि के परिणामस्वरूप कुल ₹ 16.08 लाख (₹28.45 लाख-₹ 12.37 लाख) की सीजीएसटी और एसजीएसटी से अधिक प्रतिदाय को अनुमत किया गया, जिसके कारण आईजीएसटी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में उस सीमा तक अतिरिक्त क्रेडिट की शेष राशि थी।

जब हमने यह बताया तब (फरवरी 2019), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए (मई 2019) एससीएन जारी किए जाने के विषय में बताया था।

4.11.2 अनंतिम प्रतिदाय का अनियमित अनुदान

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(6) के अनुसार, पंजीकृत व्यक्तियों के द्वारा शून्य मूल्यांकित माल की आपूर्ति एवं सेवाओं अथवा दोनों के संबंध में प्रतिदाय हेतु किसी भी दावे के मामले में, अनंतिम आधार पर और आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की अधिकारिक जांच के बाद प्रतिदाय के दावे के अंतिम समायोजन हेतु उपधारा (5) के तहत दिए गए आदेश के बाद, 90 प्रतिशत प्रतिदाय के दावे को संस्वीकृति दी जा सकती है। **इस प्रकार, अनंतिम प्रतिदाय के संस्वीकृति माल और/अथवा सेवाओं की शून्य-मूल्यांकित आपूर्ति के संबंध में अनुमत किया गया है और अन्य श्रेणियों में नहीं किया गया।**

(i) भिवाड़ी जीएसटी कमिश्नरी के प्रभाग IV में प्रतिदायों से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने पाया कि विभाग ने दो करदाताओं के मामले में इलेक्ट्रॉनिक खाता-बही में अतिरिक्त नकदी शेष राशि के संबंध में और एक करदाता के मामले में प्रतिलोमित शुल्क संरचना के कारण प्रतिदाय से संबंधित 90 प्रतिशत का अनंतिम प्रतिदाय जारी किया गया जो वस्तुओं अथवा सेवाओं की शून्य-मूल्यांकित आपूर्ति के मामलों के अलावा है। इस

प्रकार, ऐसे मामलों में प्रतिदाय के अनंतिम अनुदान के परिणामस्वरूप ₹ 34.86 लाख के प्रतिदाय का अनियमित अनुदान दिया गया।

(ii) तदनुसार, सूरत कमिश्नरी के तहत प्रभाग-V में प्रतिदाय से संबंधित अभिलेखों की जांच करते समय, हमने पाया कि विभाग ने एक करदाता को ₹ 1.39 करोड़ की प्रतिलोमित शुल्क संरचना राशि के संबंध में 90 प्रतिशत का अनंतिम प्रतिदाय जारी किया गया था। दावा किए गए प्रतिदाय को जांच हेतु अधिनिर्णय संबंधी रेंज कार्यालय को भेजा गया था, जिससे माना गया कि अनंतिम प्रतिदाय खंड केवल वस्तुओं/सेवाओं की शून्य-मूल्यांकित आपूर्ति के मामले में लागू होगा। हालांकि, प्रभाग कार्यालय ने रेंज कार्यालय से नकारात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले ही अनंतिम आधार पर प्रतिदाय को संस्वीकृत और संवितरित किया था। इसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय की अपात्र श्रेणी के संबंध में ₹ 1.39 करोड़ के अनंतिम प्रतिदाय का गलत अनुदान दिया गया।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (जून और सितंबर 2018 के बीच), मंत्रालय ने आंशिक रूप से टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2019) कि यह एक प्रक्रियात्मक चूक थी और करदाता को किसी न किसी प्रकार से प्रतिदाय स्वीकार्य किया गया था। आगे उनके द्वारा बताया गया कि सीबीआईसी के दृष्टांत पर, अधिनिर्णय संबंधी कमिश्नरियों ने सही प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए क्षेत्रीय विन्यासों हेतु विनिर्देश जारी किए हैं।

सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जवाबदेही मंत्रालय के पास निहित है, केवल एक प्रक्रियात्मक चूक के रूप में अधिनियम के प्रावधानों का अननुपालन करना, गंभीरता से अस्वीकार्य है। मंत्रालय को ऐसे सभी समान मामलों का पता लगाना चाहिए और प्रतिदाय के सभी दावों की उपयुक्त जांच के संबंध में क्षेत्रीय संरचनाओं से आश्वासन की मांग करनी चाहिए जो अनंतिम रूप से अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में संस्वीकृत किए गए थे।

4.12 निष्कर्ष

अखिल भारतीय डेटा तक निर्बाध और पूर्ण पहुंच सार्थक लेखापरीक्षा के लिए और आवश्यक आश्वासनों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण

है, अन्यथा राजस्व प्राप्तियों को प्रमाणित करना मुश्किल हो सकता है। सीएजी क्वेरीज के आधार पर डीओआर का डेटा प्रदान करने का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि पूर्ण डेटा के बिना क्वेरीज को बनाना संभव नहीं है, न ही डेटा पर आवश्यक एल्गोरिदम को चलाना संभव है। जीएसटीएन द्वारा पहले से डिजाइन किए गए एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के माध्यम से सीएजी को डेटा की आवश्यकता है। यह शायद ही कहा जाना चाहिए कि सीएजी को इसे तरह का अपेक्षित डेटा उपलब्ध करवाना एक संवैधानिक और कानूनी आवश्यकता है।

- जीएसटी डेटा तक अभिगम के अभाव में, इस अध्याय में अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष क्षेत्र में किए गए सीमित लेखापरीक्षाओं पर आधारित थे। हालांकि, इस सीमित लेखापरीक्षा में भी सामने लाए गए मुद्दों का विस्तार, गंभीर प्रणालीगत कमियों के विषय में बताता है जिनका विभाग द्वारा पता लगाना आवश्यक है।
- जीएसटी पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों और ट्रान-1 को बनाने में हुए विलंब के कारण ट्रान-1 विवरणियां दाखिल करने की नियत तिथि में बार-बार विस्तार किया गया।
- संक्रमणकालीन क्रेडिट पर किए गए लेखापरीक्षा के कुछ निष्कर्षों से पता चला कि अस्वीकृत क्रेडिट का पता लगाने और इसे अस्वीकृत करने के लिए एसीईएस में उपलब्ध डेटा/रैड फ्लैग का लाभ नहीं लिया गया और हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।
- अधिनिर्णय संबंधी अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की संवीक्षा के अधीन नहीं लिये जाने के कारण पंजीकृत करदाताओं का गैर-आवंटन अथवा गलत मैपिंग ने ऐसे मामलों में विवरणियां दाखिल करने/विवरणियां दाखिल नहीं करने के जोखिम को आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि रेंज कार्यालयों ने पीआरओ को पत्र लिखकर सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करके संकेत दिया कि अखिल भारतीय आधार पर इस मुद्दे का पता लगाने के लिए सीबीआईसी-

जीएसटी प्रणाली में कोई व्यवस्था नहीं थी और यह अत्यधिक आईटी गहन वातावरण में भी है, रेंज कार्यालयों को समाधान के लिए एक आईटी प्रणाली द्वारा निर्मित समस्याओं को वैयक्तिक रूप से उजागर करना पड़ा।

- प्रतिदायों से संबंधित प्रावधानों के अननुपालन के उदाहरणों ने स्वचालन पूर्ण होने तक प्रतिदाय की मैनुअल प्रोसेसिंग की निगरानी हेतु प्रणाली में सुधार के अलावा उपयुक्त जांच और पुष्टि के साथ प्रतिदाय प्रसंस्करण के स्वचालन की आवश्यकता को इंगित किया।

नई दिल्ली

दिनांक: 12 जुलाई 2019



(हिमबिंदु मुंडुंबै)

प्रधान निदेशक (माल एवं सेवा कर-I)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 12 जुलाई 2019



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

**परिशिष्ट-1 : वस्तु एवं सेवाओं पर जीएसटी दर
(संदर्भ: पैराग्राफ 1.6.2 (ख))**

वस्तुओं पर जीएसटी की दरें

| स्लैब | संकेतक मद |
|-------------------|---|
| 0 प्रतिशत | खाद्यान्न, अनाज, धान्य, दूध, गुड़, सामान्य नमक |
| 5 प्रतिशत | कोयला, चीनी, चाय और कॉफी, ड्रग्स और दवा, खाद्य तेल, पैक किया हुआ और ब्रैंड वाले खाद्य पदार्थ, भारतीय मिठाई, जैविक खाद |
| 12 प्रतिशत | जमे हुए मांस उत्पाद, फलों के रस, सब्जियों के रस, दूध वाले पेय पदार्थ, ट्रैक्टर |
| 18 प्रतिशत | पूँजीगत माल, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, स्कूल बैग , रेफ्रिजरेटर, च्यूइंग गम, चॉकलेट, चॉकलेट में लिपटे वैफ़र |
| 28 प्रतिशत | एयर कंडीशनर, शीरा, मॉनिटर्स और प्रोजेक्टरस |
| 28 प्रतिशत + उपकर | छोटी कार (1 प्रतिशत / 3 प्रतिशत उपकर), लग्जरी कार (15 प्रतिशत उपकर), तंबाकू उत्पाद, पान मसाला और वातित पानी |

सेवाओं पर जीएसटी की दरें

| स्लैब | संकेतक मद |
|------------|---|
| 0 प्रतिशत | भारतीय रूपये 1000 से कम के टैरिफ के साथ वाले होटल/लॉज |
| 5 कम | माल परिवहन, रेल टिकट (स्लीपर क्लास के अलावा), इकोनॉमी क्लास के हवाई टिकट, कैब समूहक, रेस्तरां |
| 12 प्रतिशत | कार्य अनुबंध, बिजनेस क्लास की हवाई यात्रा में |
| 18 प्रतिशत | टेलीकॉम सेवाएँ, आईटी सेवाएँ, ब्रांडेड कपड़े और वित्तीय सेवाएँ |
| 28 प्रतिशत | सिनेमा टिकट रु. 100 से ऊपर, सट्टा, जुआ |

परिशिष्ट II : जीएसटी के तहत विवरणियां
(संदर्भ: पैराग्राफ 1.6.2 (ख))

| जीएसटीआर | विवरण | कौन जमा करता है | दाखिल करने की मानक तिथि | टिप्पणियां |
|----------|--|-------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | वस्तुओं या सेवाओं की जावक आपूर्ति के विवरण | सामान्य पंजीकृत व्यक्ति | अगले महीने की 10 तारीख | जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के मासिक विवरणी के लिए नियत तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2018 कर दिया गया। अक्टूबर-दिसम्बर 2018 और जनवरी-मार्च 2019 की तिमाही विवरणी की देय तिथि को 10वीं के बजाए अगले महीने की अंतिम तारीख तक बढ़ा दिया था। |
| 2 | माल और सेवा की आवक की आपूर्ति के विवरण | सामान्य पंजीकृत व्यक्ति | अगले महीने की 15 तारीख | आस्थगित रखा गया |
| 3 | सामान्य करदाता के लिए विवरणी | सामान्य पंजीकृत व्यक्ति | अगले महीने की 20 तारीख | आस्थगित रखा गया |
| 3 बी | सरल मासिक विवरणी | सामान्य पंजीकृत व्यक्ति | अगले महीने की 20 तारीख | प्रारंभ में दो महीने के लिए प्रारंभ किया और उसके बाद आज तक जारी रखा गया है। |
| 4 | तिमाही विवरणी | कंपोजिशन वितरक | अगामी तिमाही महीने की 18 तारीख | कोई विस्तार नहीं |

| | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|---|---|
| 5 | मासिक विवरणी प्रवासी करदाता के लिए | गैर-निवासी करदाता | कर अवधि के आगामी महीने की 20 तारीख और पंजीकरण की समाप्ति के बाद 7 दिनों के भीतर | जुलाई-दिसम्बर 2017 की मासिक विवरणी के लिए नियत तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी 2018 कर दिया गया। |
| 5 क | एक गैर-कर देय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता से भारत के बाहर एक जगह से ओआईडीएआर सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक विवरणी | ओआईडीएआर के लिए आपूर्तिकर्ता सेवाएं | अगले महीने की 20 तारीख | जुलाई-दिसम्बर 2017 की मासिक विवरणी के लिए नियत तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी 2018 कर दिया गया। |
| 6 | इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) के लिए मासिक विवरणी | इनपुट सेवा वितरक | अगले महीने की 13 तारीख | जुलाई 2017 से अगस्त 2018 की मासिक रिटर्नों के लिए नियत तिथि को 30 सितम्बर 2018 तक बढ़ा दी गई थी। |
| 7 | स्रोत पर कर की कटौती के प्राधिकारी वर्ग के लिए मासिक विवरणी | टैक्स कटौती कर्ता | अगले महीने की 10 तारीख | अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019 तक की अवधि के लिए विवरणी के लिए निर्धारित तिथि को 28 फरवरी 2019 तक बढ़ा दिया गया था। |

| | | | | |
|-----|---|--|--|---|
| 8 | आपूर्ति दर्शाते हुए ई-कॉमर्स ऑपरेटर हेतु मासिक विवरण | ई-कॉमर्स ऑपरेटर | अगले महीने की 10 तारीख | अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019 की अवधि हेतु विवरणी के लिए निर्धारित तिथि 7 फरवरी 2019 तक बढ़ा दी गई थी। |
| 9 | वार्षिक विवरणी | सामान्य पंजीकृत व्यक्ति | अगले वित्तीय वर्ष के दिसंबर की 31 तारीख | वर्ष 2017-18 के लिए 31 अगस्त 2019 तक विस्तारित |
| 9 क | कंपोज़ीशन योजना के तहत सरलीकृत वार्षिक विवरणी | कंपोज़ीशन डीलर | अगले वित्तीय वर्ष के दिसम्बर की 31 तारीख | वर्ष 2017-18 के लिए 31 अगस्त 2019 तक विस्तारित |
| 10 | फाइनल विवरणी | कर देने योग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण छोड़ दिया या रद्द कर दिया गया। | रद्दीकरण की तारीख के तीन महीने के भीतर या रद्दीकरण के आदेश की तारीख, जो भी बाद में हो। | --- |
| 11 | यूआईएन रखने वाले व्यक्ति द्वारा आवक आपूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत किये जाएंगे। | यूएन एजेंसी और दूतावास | | उनके विवरणी तभी दाखिल किए जाए जब वे तिमाही आधार पर प्रतिदाय के लिए आवेदन करें। |

परिशिष्ट-III साधारण एवं कम्पोजीशन करदाताओं का वितरण

(संदर्भ: पैराग्राफ 2.2.2 एवं 2.2.3)

| राज्य कोड | राज्य का नाम | साधारण करदाताएं | अखिल भारतीय साधारण करदाताओं के प्रतिशत के रूप में साधारण करदाताएं | कम्पोजीशन करदाताएं | अखिल भारतीय कम्पोजीशन विक्रेताओं के प्रतिशत के रूप में कम्पोजीशन विक्रेता | अन्य (आईएसडी, आकस्मिक करदाताएं, टीसीएस, टीडीएस, एनआर करदाताएं, ओआईडीएआर शामिल) | कुल प्रतिशत के रूप में अन्य | कुल अन्य के प्रतिशत के रूप में अन्य | कुल | कुल से बाहर विस्थापित | राज्य में प्रतिशत के रूप में विस्थापित |
|-----------|-----------------|-----------------|---|--------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------|--|
| 1 | जम्मू और कश्मीर | 87364 | 0.87 | 9440 | 0.54 | 1267 | 0.01 | 0.81 | 98071 | 46309 | 47 |
| 2 | हिमाचल प्रदेश | 85293 | 0.85 | 21192 | 1.21 | 969 | 0.01 | 0.62 | 107454 | 52175 | 49 |
| 3 | पंजाब | 300047 | 2.99 | 46220 | 2.64 | 1862 | 0.02 | 1.19 | 348129 | 182464 | 52 |
| 4 | चंडीगढ़ | 27387 | 0.27 | 2071 | 0.12 | 885 | 0.01 | 0.56 | 30343 | 16951 | 56 |
| 5 | उत्तराखंड | 126162 | 1.26 | 31947 | 1.83 | 2942 | 0.02 | 1.87 | 161051 | 75467 | 47 |
| 6 | हरियाणा | 419365 | 4.17 | 24654 | 1.41 | 2698 | 0.02 | 1.72 | 446717 | 214678 | 48 |
| 7 | दिल्ली | 719515 | 7.16 | 18558 | 1.06 | 4076 | 0.03 | 2.60 | 742149 | 382229 | 52 |
| 8 | राजस्थान | 545063 | 5.42 | 160877 | 9.20 | 16194 | 0.14 | 10.31 | 722134 | 410251 | 57 |
| 9 | उत्तर प्रदेश | 1099885 | 10.94 | 350689 | 20.05 | 9332 | 0.08 | 5.94 | 1459906 | 667853 | 46 |
| 10 | बिहार | 298693 | 2.97 | 92344 | 5.28 | 5219 | 0.04 | 3.32 | 396256 | 161456 | 41 |
| 11 | सिक्किम | 6599 | 0.07 | 839 | 0.05 | 289 | 0.00 | 0.18 | 7727 | 2676 | 35 |

2019 की प्रतिवेदन सं. 11 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

| राज्य कोड | राज्य का नाम | साधारण करदाताएं | अखिल भारतीय साधारण करदाताओं के प्रतिशत के रूप में साधारण करदाताएं | कम्पोजीशन करदाताएं | अखिल भारतीय कम्पोजीशन विक्रेताओं के प्रतिशत के रूप में कम्पोजीशन विक्रेता | अन्य (आईएसडी, आकस्मिक करदाताएं, टीसीएस, टीडीएस, एनआर करदाताएं, ओआईडीएआर शामिल) | कुल प्रतिशत के रूप में अन्य | कुल अन्य के प्रतिशत के रूप में अन्य | कुल | कुल से बाहर विस्थापित | राज्य में प्रतिशत के रूप में विस्थापित |
|-----------|----------------|-----------------|---|--------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------|--|
| 12 | अरुणाचल प्रदेश | 10561 | 0.11 | 2476 | 0.14 | 916 | 0.01 | 0.58 | 13953 | 3199 | 23 |
| 13 | नगालैंड | 6243 | 0.06 | 2201 | 0.13 | 240 | 0.00 | 0.15 | 8684 | 2985 | 34 |
| 14 | मणिपुर | 10741 | 0.11 | 1749 | 0.10 | 462 | 0.00 | 0.29 | 12952 | 2972 | 23 |
| 15 | मिजोरम | 5100 | 0.05 | 97 | 0.01 | 224 | 0.00 | 0.14 | 5421 | 1850 | 34 |
| 16 | त्रिपुरा | 22938 | 0.23 | 2786 | 0.16 | 914 | 0.01 | 0.58 | 26638 | 11488 | 43 |
| 17 | मेघालय | 23573 | 0.23 | 2598 | 0.15 | 375 | 0.00 | 0.24 | 26546 | 9885 | 37 |
| 18 | असम | 154875 | 1.54 | 45741 | 2.62 | 2420 | 0.02 | 1.54 | 203036 | 85942 | 42 |
| 19 | पश्चिम बंगाल | 575614 | 5.73 | 80120 | 4.58 | 10464 | 0.09 | 6.66 | 666198 | 257847 | 39 |
| 20 | झारखंड | 143600 | 1.43 | 21543 | 1.23 | 2790 | 0.02 | 1.78 | 167933 | 72721 | 43 |
| 21 | ओडिशा | 217261 | 2.16 | 32235 | 1.84 | 2424 | 0.02 | 1.54 | 251920 | 121410 | 48 |
| 22 | छत्तीसगढ़ | 100867 | 1.00 | 35333 | 2.02 | 2521 | 0.02 | 1.61 | 138721 | 74278 | 54 |
| 23 | मध्य प्रदेश | 341926 | 3.40 | 65346 | 3.74 | 3474 | 0.03 | 2.21 | 410746 | 239894 | 58 |
| 24 | गुजरात | 854308 | 8.50 | 112360 | 6.42 | 9791 | 0.08 | 6.23 | 976459 | 474971 | 49 |
| 25 | दमन और दीव | 5971 | 0.06 | 334 | 0.02 | 181 | 0.00 | 0.12 | 6486 | 3690 | 57 |

| राज्य कोड | राज्य का नाम | साधारण करदाताएं | अखिल भारतीय साधारण करदाताओं के प्रतिशत के रूप में साधारण करदाताएं | कम्पोजीशन करदाताएं | अखिल भारतीय कम्पोजीशन विक्रेताओं के प्रतिशत के रूप में कम्पोजीशन विक्रेता | अन्य (आईएसडी, आकस्मिक करदाताएं, टीसीएस, टीडीएस, एनआर करदाताएं, ओआईडीएआर शामिल) | कुल प्रतिशत के रूप में अन्य | कुल अन्य के प्रतिशत के रूप में अन्य | कुल | कुल से बाहर विस्थापित | राज्य में प्रतिशत के रूप में विस्थापित |
|-----------|-------------------------|-----------------|---|--------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 26 | दादरा और नगर हवेली | 8065 | 0.08 | 408 | 0.02 | 109 | 0.00 | 0.07 | 8582 | 4154 | 48 |
| 27 | महाराष्ट्र | 1363979 | 13.57 | 155907 | 8.91 | 34035 | 0.28 | 21.67 | 1553921 | 778504 | 50 |
| 29 | कर्नाटक | 701003 | 6.98 | 111517 | 6.38 | 14034 | 0.12 | 8.94 | 826554 | 482660 | 58 |
| 30 | गोवा | 32864 | 0.33 | 4907 | 0.28 | 670 | 0.01 | 0.43 | 38441 | 21166 | 55 |
| 31 | लक्षद्वीप | 202 | 0.00 | 30 | 0.00 | 43 | 0.00 | 0.03 | 275 | 11 | 4 |
| 32 | केरल | 287751 | 2.86 | 48653 | 2.78 | 5389 | 0.05 | 3.43 | 341793 | 219762 | 64 |
| 33 | तमिलनाडु | 853294 | 8.49 | 90710 | 5.19 | 7899 | 0.07 | 5.03 | 951903 | 511558 | 54 |
| 34 | पुडुचेरी | 20615 | 0.21 | 2562 | 0.15 | 343 | 0.00 | 0.22 | 23520 | 13095 | 56 |
| 35 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 3934 | 0.04 | 882 | 0.05 | 251 | 0.00 | 0.16 | 5067 | 949 | 19 |
| 36 | तेलंगाना | 313292 | 3.12 | 57619 | 3.29 | 8974 | 0.08 | 5.71 | 379885 | 175000 | 46 |
| 37 | आंध्र प्रदेश | 275967 | 2.75 | 111940 | 6.40 | 2093 | 0.02 | 1.33 | 390000 | 192385 | 49 |
| 97 | अन्य क्षेत्र | 66 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 67 | 0 | 0 |
| 99 | केंद्र क्षेत्राधिकार | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 286 | 0.00 | 0.18 | 286 | 0 | 0 |
| | कुल योग | 10049983 | 100.00 | 1748885 | 100.00 | 157056 | 1.31 | 100.00 | 11955924 | 5974885 | 50 |

परिशिष्ट-IV जीएसटीआर-1, 3बी, 4, 5, 5ए एवं 6 को दाखिल करना

(संदर्भ पैराग्राफ 2.3.3 एवं 2.3.4)

| विवरणी प्रकार | ब्यौरे | अप्रैल'18 | मई'18 | जून'18 | जुलाई'18 | अगस्त'18 | सितंबर'18 | अक्तूबर'18 | नवंबर'18 | दिसंबर'18 |
|----------------|-------------------------|-----------|---------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|
| जीएसटीआर-1 | विवरणी दाखिल करने योग्य | 4496316 | 4682345 | 9316710 | 4775626 | 4726891 | 9657239 | 4609444 | 4572118 | 9901997 |
| | दाखिल की गई विवरण | 2728772 | 2748617 | 7048521 | 2750521 | 2728177 | 6998553 | 2653997 | 2583371 | 6436328 |
| | दाखिल विवरणी (%) | 60.69% | 58.70% | 75.65% | 57.59% | 57.72% | 72.47% | 57.58% | 56.50% | 65.00% |
| जीएसटीआर - 3बी | विवरणी दाखिल करने योग्य | 8817798 | 9122309 | 9316710 | 9470282 | 9615273 | 9657239 | 9757664 | 9846645 | 9901997 |
| | दाखिल की गई विवरण | 7694460 | 7818233 | 7897701 | 7957565 | 8014906 | 8041279 | 8052558 | 7913241 | 7818108 |
| | दाखिल विवरणी (%) | 87.26% | 85.70% | 84.77% | 84.03% | 83.36% | 83.27% | 82.53% | 80.36% | 78.95% |
| जीएसटीआर -4 | विवरणी दाखिल करने योग्य | | | 1766630 | | | 1774379 | | | 1757919 |
| | दाखिल की गई विवरण | | | 1506595 | | | 1453121 | | | 1371088 |
| | दाखिल विवरणी (%) | | | 85.28% | | | 81.89% | | | 77.99% |
| जीएसटीआर -5 | विवरणी दाखिल करने योग्य | 109 | 366 | 101 | 61 | 49 | 32 | 29 | 30 | 28 |
| | दाखिल की गई विवरण | 12 | 40 | 47 | 46 | 35 | 20 | 20 | 26 | 17 |
| | दाखिल विवरणी (%) | 11.01% | 10.93% | 46.53% | 75.41% | 71.43% | 62.50% | 68.97% | 86.67% | 60.71% |

| विवरणी प्रकार | ब्यौरे | अप्रैल'18 | मई'18 | जून'18 | जुलाई'18 | अगस्त'18 | सितंबर'18 | अक्तूबर'18 | नवंबर'18 | दिसंबर'18 |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|
| जीएसटीआर - 5ए | विवरणी दाखिल करने योग्य | 158 | 158 | 188 | 210 | 224 | 236 | 251 | 260 | 266 |
| | दाखिल की गई विवरण | 80 | 84 | 86 | 89 | 93 | 95 | 95 | 98 | 99 |
| | दाखिल विवरणी (%) | 50.63% | 53.16% | 45.74% | 42.38% | 41.52% | 40.25% | 37.85% | 37.69% | 37.22% |
| जीएसटीआर -6 | विवरणी दाखिल करने योग्य | 9749 | 9875 | 9832 | 9904 | 9936 | 9852 | 9413 | 9288 | 9220 |
| | दाखिल की गई विवरण | 5129 | 5129 | 5120 | 4936 | 4809 | 4572 | 4465 | 4379 | 4312 |
| | दाखिल विवरणी (%) | 52.61% | 51.94% | 52.07% | 49.84% | 48.40% | 46.41% | 47.43% | 47.15% | 46.77% |

परिशिष्ट-V: प्रमुख वैधीकरण/ कार्यक्षमताओं को प्रावधान में के अनुरूप नहीं होना

(संदर्भ: पैराग्राफ 3.5)

| पैरा नं. | संक्षेप में मुद्दा | एसआरएस में उपलब्ध कराई गई | कार्यान्वयन विफलता |
|------------|--|---------------------------|--------------------|
| 3.7.1 (ए) | सीएलएस के तहत सामान्य करदाता के साथ-साथ पंजीकृत पैन धारक पाए गए, जिन्हें अधिनियम द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। | हां | हां |
| 3.7.1 (बी) | जीएसटी प्रणाली ने एक पैन धारक को सीएलएस के तहत पंजीकरण करने से नहीं रोका यदि अखिल भारतीय आधार पर सभी पंजीकरणों से उनका कुल कारोबार सीएलएस के लिए निर्धारित कारोबार की सीमा से अधिक हो गया हो। | नहीं | -- |
| 3.7.2 (ए) | जीएसटी आईटी प्रणाली को मान्य करने और अंतर्राज्यीय आपूर्तिकर्ताओं, ईकॉम, सेज डेवलपर्स/इकाईयों को मान्य और बेदखल करने में विफल रहा | हां | हां |
| 3.7.2 (बी) | जीएसटी आईटी प्रणाली ने आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू के निर्माताओं को एक कंपोजिशन वितरक के रूप में पंजीकरण करने से प्रतिबंधित नहीं किया। | नहीं | -- |
| 3.8.1 (ए) | पैन, जो अनिवार्य था, ओएनएस के पंजीकरण के लिए वैकल्पिक बनाया गया था। | हां | हां |
| 3.8.1 (बी) | ओएनपी के लिए पंजीकरण - अधिसूचना संख्या को मान्य करने के लिए सुविधा की अनुपलब्धता। | नहीं | -- |
| 3.8.2 (i) | ओआईडीएआर के मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए कोई सुविधा नहीं | हां | हां |
| 3.8.2 (ii) | कर पहचान संख्या (टीआईएन), के स्थान पर प्रणाली ने जंक मूल्य स्वीकार किया जो कि ओआईडीएआर के लिए अनिवार्य था। कर अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए टीआईएन से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं था। | नहीं | -- |

| पैरा नं. | संक्षेप में मुद्दा | एसआरएस में उपलब्ध कराई गई | कार्यान्वयन विफलता |
|-------------|---|---------------------------|--------------------|
| 3.8.2 (iii) | जीएसटी आईटी प्रणाली में ओआईडीएआर आवेदकों के अधिकृत प्रतिनिधियों के पैन और पते ओआईडीएआर के लिए पंजीकरण के आवेदन को दाखिल करने के लिए अनिवार्य नहीं किए गए थे। | हां | हां |
| 3.8.3 | ऐसी कोई अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर उपलब्ध कराई जाने वाली श्रेणी (iv) चालू पायी गयी | नहीं | -- |
| 3.9.3 | एक ही पैन के तहत कई पंजीकरण के लिए अपेक्षित फिल्ड्स की स्वतः आने के लिए कोई प्रावधान नहीं | हां | हां |
| 3.9.4 | पिन कोड के साथ क्षेत्राधिकार मैपिंग सक्षम नहीं | नहीं | -- |
| 3.10.3 | जीएसटी पोर्टल पर करदाता के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि वह प्रत्येक व्यावसायिक अनुलंब के लिए पैन, मोबाइल और ई-मेल का एक अनन्य संयोजन प्रदान करें जो कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है। | हां | नहीं |
| 3.10.4 | स्रोत (टीसीएस) श्रेणी में एकत्र कर के तहत, 'पंजीकरण नाम' के संबंध में रिक्त स्थान या एनपी थे, जो एक अनिवार्य क्षेत्र था और एक अन्य क्षेत्र 'न्यायिक अनुमोदन प्राधिकरण' था, जो वैधीकरण के अभाव को इंगित करता है। | हां | हां |
| 3.10.5 | यदि कोई अनिवासी कर योग्य व्यक्ति (एनआरटीपी)/ आकस्मिक करदाता ने व्यवसाय शुरू होने की तारीख से पांच दिन पहले पंजीकरण के लिए दायर नहीं किया था, तो कर अधिकारी को चेतावनी देने का कोई प्रावधान नहीं था। सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 13(i) के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 25 के तहत आवश्यक है। | नहीं | -- |
| 3.19 | हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति के अनुरूप संदेशों का प्रदर्शित नहीं किया गया था। | हां | हां |

परिशिष्ट-VI : संक्रमणकालीन क्रेडिटों की लेखापरीक्षा समीक्षा

(संदर्भ: पैराग्राफ 4.7.1)

(₹ लाख में)

| डीएपी सं. | शामिल कमिश्नरियों के नाम | मामलों की संख्या | आपत्ति की राशि | स्वीकृत राशि | वसूली गई राशि |
|---|--------------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|
| पैराग्राफ 4.7.2 अतिरिक्त सेनवेट क्रेडिट का अग्रेशन | | | | | |
| 13 | चेन्नई उत्तर | 1 | 50.09 | 50.09 | 50.09 |
| 13 | चेन्नई दक्षिण | 1 | 7.11 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | कोयंबटूर | 1 | 53.06 | 53.06 | 53.06 |
| 25 | देहरादून | 1 | 10.09 | 10.09 | 12.53 |
| 3 | दिल्ली पूर्व | 1 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |
| 31 | पुणे I | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पैराग्राफ 4.7.3 संक्रमणकालीन क्रेडिट के अनियमित लाभ | | | | | |
| 30 | पुणे I | 1 | 74.69 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | चेन्नई दक्षिण | 1 | 31.17 | 31.17 | 0.00 |
| 13 | कोयंबटूर | 1 | 22.74 | 22.74 | 0.00 |
| 2 | गांधीधाम | 1 | 73.51 | 73.51 | 0.00 |
| पैराग्राफ 4.7.4 क्रेडिट के दुगने लाभ को रोकने के लिए कोई प्रणालीगत जांच नहीं | | | | | |
| 26 | बेलापुर | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पैराग्राफ 4.7.5 उपकर क्रेडिट का अनियमित लाभ का पता नहीं लगाया जाना | | | | | |
| 7 | देहरादून | 1 | 37.09 | 37.09 | 37.09 |
| 9 | गांधीधाम | 2 | 27.30 | 27.30 | 0.98 |
| 8 | दिल्ली पूर्व | 1 | 19.51 | 19.51 | 19.51 |

| डीएपी सं. | शामिल कमिश्नरियों के नाम | मामलों की संख्या | आपत्ति की राशि | स्वीकृत राशि | वसूली गई राशि |
|---|--------------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|
| 15 | बेंगलुरु पूर्व | 11 | 345.02 | 345.02 | 46.15 |
| 15 | बेंगलुरु दक्षिण | 5 | 533.47 | 533.47 | 2.99 |
| 23 | दमन | 1 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |
| पैराग्राफ 4.7.6 विवादग्रस्त क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध न लगाया जाना | | | | | |
| 11 | चेन्नई दक्षिण | 1 | 729.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | चेन्नई आउटर | 1 | 7119.97 | 0.00 | 0.00 |
| पैराग्राफ 4.7.7 संक्रमणकालीन क्रेडिट के विपर्यय पर ब्याज का गैर-भुगतान | | | | | |
| 13 | चेन्नई दक्षिण | 4 | 1338.31 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | चेन्नई आउटर | 1 | 21.99 | 9.80 | 0.00 |
| 13 | कोयंबटूर | 2 | 29.03 | 29.03 | 29.03 |
| 13 | सलेम | 1 | 66.44 | 66.44 | 0.00 |

परिशिष्ट-VII : प्रतिदाय दावों की लेखापरीक्षा का विहंगावलोकन

(संदर्भ: पैराग्राफ 4.10)

(₹ लाख में)

| डीएपी सं. | शामिल कमीशनरी के नाम | मामलों की संख्या | आपत्ति की राशि | स्वीकृत राशि | वसूली गई राशि |
|-----------|----------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 18 | मुंबई पूर्व | 2 | 58.88 | 27.18 | 0.00 |
| 20 | भिवंडी | 3 | 34.86 | 34.86 | 0.00 |
| 22 | दमन | 21 | 22.80 | 18.27 | 0.00 |
| 24 | सूरत | 1 | 139.00 | 139.00 | 0.00 |
| 27 | मुंबई पूर्व | 1 | 16.08 | 16.08 | 0.00 |
| | कुल | 28 | 271.62 | 235.39 | 0.00 |

शब्दावली

| | |
|----------|---|
| एसीईएस | सेन्ट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ऑटोमेशन |
| एआरएन | आवेदन की संदर्भ संख्या |
| बीएआरएम | बैंक प्राधिकरण संदर्भ नमूना |
| बीसीएमएस | व्यावसायिक समुदाय प्रबंधन प्रणाली |
| बीसीपी | व्यावसायिक निरंतरता योजना |
| बीआई | व्यापारिक सूचना |
| सीएबी | परिवर्तन अनुमोदन बोर्ड |
| सीएजी | भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक |
| सीबीडीटी | केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड |
| सीबीईसी | केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड |
| सीबीआईसी | केंद्रीय अप्रत्यक्षकर एवं सीमाशुल्क बोर्ड |
| सीसीए | लेखा का मुख्य नियंत्रक |
| सेनवैट | केंद्रीय मूल्य संवर्द्धित कर |
| सीईओ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| सीजीएसटी | केंद्रीय वस्तु और सेवाकर |
| सीआईआई | भारतीय उद्योग संगठन |
| सीआईएन | चालान पहचान संख्या |
| सीएलएस | संयुक्त उद्ग्रहण योजना |
| सीपीआईएन | सामान्य पोर्टल पहचान संख्या |
| सीआर | आवेदन परिवर्तन |
| सीवीडी | प्रतिकारी शुल्क |
| डीसी | डेटा केन्द्र |
| डीईए | आर्थिक कार्य विभाग |
| डीजी | महानिदेशक |
| डीओआर | राजस्व विभाग |

| | |
|-------------------|--|
| डीआरडी | आपदा वसूली अभ्यास |
| डीआरएम | आपदा वसूली तंत्र |
| डीआरपी | आपदा वसूली योजना |
| ईसी | शिक्षा उपकर |
| ईसीएल | इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही |
| ईसीएम | राज्यों वित्त मंत्रालय के सशक्न समिती |
| ईसीओएम | इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर |
| ईओडी | दिनांत |
| ईवीपी | कार्यकारी उपाध्यक्ष |
| ई-वे | इलेक्ट्रॉनिक रास्ता |
| जीओआई | भारत सरकार |
| जीएसटी | वस्तु एवं सेवाकर |
| जीएसटीआईएन | वस्तु एवं सेवाकर पहचान संख्या |
| जीएसटीएन | वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क |
| जीएसटीआर | वस्तु एवं सेवाकर विवरणी |
| जीएसटीएसएफ रूल | फण्ड रूल के वस्तु एवं सेवाकर भुगतान रूल |
| जीटीए | वस्तु परिवहन एजेंसी |
| एचयूएफ | हिंदू संयुक्त परिवार |
| आईसीईजीएटीई | एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर |
| आईएसडी | इनपुट सेवा वितरक |
| आईटी | सूचान प्रौद्योगिकी |
| आईटीसी | इनपुट कर जमा |
| केकेसी | कृषि कल्याण उपकर |
| एलएलपी | सीमित दायित्व भागीदारी |
| एलटीडी | लिमिटेड |

| | |
|------------|--|
| एमसीए | कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय |
| एमआईएस | प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| एमओएफ | वित्त मंत्रालय |
| एमएसपी | प्रबंधित सेवा प्रदाता |
| एनएसीआईएन | राष्ट्रीय सीमाशुल्क अप्रत्यक्षकर एवं नर्कोटिक्स अकादमी |
| एनसीटी | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र |
| एनडीसी | लाइन डेटा सेंटर के पास |
| एनआईसी | राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र |
| नॅन- रिकॉन | गैर सामंजस्य |
| एनआरटीपी | गैर निवासी कर योग्य व्यक्ति |
| ओ एवं एम | परिचालन एवं रखरखाव |
| ओआईडीएआर | डेटाबेस एक्सस एवं पुनर्निर्माण सेवाओं की ओनलाइन सूचना |
| ओएनपीएस | अन्य अधिसूचित व्यक्ति |
| पीएएन | स्थायी खाता संख्या |
| पीसीसीए | प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक |
| पीआईआई | व्यक्तिगत पहचान संख्या |
| पीएलए | व्यक्तिगत बही लेखे |
| पीओएस | आपूर्ति का स्थान |
| पीआरओ | जन संपर्क अधिकारी |
| पीवीटी. | गैर सरकारी |
| आरबीआई | भारतीय रिजर्व बैंक |
| रिकॉन | सामंजस्य |
| आरएफपी | प्रस्ताव के लिए निवेदन |
| आरपीओ | वसूली बिंदु उद्देश्य |
| आरएस | राजस्व सचिव |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| आरटीओ | वसूली समय उद्देश्य |
| एसएडी | विशेष अतिरिक्त कर |
| एसबीसी | स्वच्छ भारत उकपर |
| एससीएन | कारण बताओ नोटिस |
| एसईजेड | विशेष आर्थिक क्षेत्र |
| एसजीएसटी | राज्य वस्तु एवं सेवाकर |
| एसएचईसी | माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर |
| एसएलए | सेवा स्तर करार |
| एसआरएस | प्रक्रिया सामग्री आवश्यकता विनिर्देश |
| एसटी | सेवाकर |
| एसटीएल | निप्टान बही |
| एसटीक्यूसी | जांच एवं गुणवत्ता प्रमाणन का मानकीक |
| एसवीपी | वरिष्ठ उपाध्यक्ष |
| टीसीएस | स्रोत से संगृहित कर |
| टीडीएस | स्रोत पर काटे गए कर |
| टीआईएन | कर पहचान संख्या |
| टीआरएन | अस्थायी संदर्भ संख्या |
| यूएटी | उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण |
| यूआईएन | विशिष्ट पहचान संख्या |
| यूटी | केंद्र शासित प्रदेश |
| यूटीजीएसटी | केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर |
| वैट | मूल्य वर्द्धित कर |

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
www.cag.gov.in